राजस्थान विधान सभा

७ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक–१ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–४५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री गौरीशंकर आचार्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष—Oath of office by Shri Gauri Shankar Acharya.

श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित)—श्री गौरीशंकर आचार्य । (हर्ष ध्वनि)

(श्री आचार्य द्वारा हिन्दी भाषा में शपथ ग्रहण करना)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री भोपालसिंह ।

प्रश्न संख्या ५३

ग्राम बलाया (नागोर) के शैताना जाट द्वारा अपनी हत्या के पूर्व सूचना देने पर पुलिस कार्यवाही

श्री भोपालसिंह—क्या न्याय मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या ग्राम बलाया तहसील नागोर के श्री शैताना जाट ने अपने कत्ल होने के पूर्व कलेक्टर, एस. डी. ओ. नागोर व सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस नागोर के पास उसकी जिन्दगी को खतरा है, ऐसी रिपोर्ट कर दी थी ?

(ख) ऐसी कितनी रिपोर्टें की गई ?

(ग) क्या इन रिपोर्टों पर क्लेक्टर नागोर ने कोई कार्यवाही की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) ऐसा एक प्रार्थनापत्र शैताना जाट द्वारा कलेक्टर नागोर को ता० ३०-६-५५ को पेश किया गया । ऐसा ही एक प्रार्थनापत्र सुप्रिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस नागोर को ता० ७-९-५५ को दिया गया था ।

Page No.2

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ख) दो।

(ग) क्लेक्टर नागोर ने शैताना जाट के प्रार्थनापत्र को ता० २-७-५५ को एस. डी. एम. नागोर के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया था।

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—इन प्रार्थनापत्रों में किन बातों का उल्लेख था ?

श्री रामकिशोर व्यास—कि उनकी जान का खतरा है।

श्री भैंरूसिंह—जब उनके प्रार्थनापत्रों में जान के खतरे का उल्लेख था तो राज्य की तरफ से क्या प्रबन्ध किया गया उनके लिये ?

श्री रामकिशोर व्यास—क्लेक्टर ने एस. डी. ओ के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजा और एस. डी. ओ. ने १०७ की कार्यवाही की।

श्री भैंरूसिंह—क्या उनको १०७ में पाबन्द कर दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—१०७ की शिकायत थी ?

श्री भैंरूसिंह (१६)—क्या उसने यह लिखा था कि उसके कत्ल होने का जल्दी से जल्दी खतरा है, इसका प्रबन्ध किया जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसलिये तो १०७ की कार्यवाही की गई।

श्री भैंरूसिंह—कितने दिनों बाद यह कार्यवाही शुरू की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—क्लेक्टर ने उसी दिन प्रार्थनापत्र को एस. डी. ओ के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया था।

श्री भैंरूसिंह—जिस रोज दरख्वास्त पेश की उसके कितने दिन बाद उसकी हत्या की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये नोटिस चाहिए।

श्री भैंरूसिंह—दर्ख्वास्त के साथ साथ क्या उसने जुबानी भी कहा था कि वापिस जाने के बाद कत्ल करने वाले उसको कत्ल करने के लिये तैयार बैठे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—इस सम्बन्ध में मैं अर्ज नहीं कर सकता।

Page No.3

श्री भैरूंसिंह—क्या उसने यह भी कहा कि उसके कत्ल करने के लिए तीन हजार तक का चन्दा इकट्ठा हो गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं, मुझे मालूम नहीं।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई तफ्तीश की कि इसके लिये चन्दा इकठा किया गया और जिन लोगों ने चन्दा दिया उन सब लोगों का इस हत्या में हाथ था और इस कत्ल के कितने दिन बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिंशोर व्यास—आप दुबारा प्रश्न पूछिये, सुना नहीं।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई तफ्तीश की कि इसके लिए चन्दा इकठा किया गया और जिन जिन लोगों ने चन्दा दिया उन सब लोगों का इस हत्या में हाथ था और इस कत्ल के कितने दिन बाद कातिलों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि सारे के सारे कातिल गवर्नमेंट होस्टल में आये थे।

श्री रामकिशोर व्यास—सारे के सारे गवर्नमेंट होस्टल में गये हों, इसका मालूम नहीं।

श्री तनसिंह—क्या यह सही है कि वे गवर्मेमेंट होस्टल में पकड़े गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—संभव है, जानकारी करके बताया जा सकता है।

श्री भैरूंसिंह—किस रोज पकड़े गये।

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न बिल्कुल साफ है और इसके लिये उत्तर मिलना चाहिये। प्रश्न यह है "क्या ग्राम बलाया तहसील नागोर के श्री शैताना जाट ने अपने कत्ल होने के पूर्व कलेक्टर, एस. डी. ओ. नागोर व सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस नागोर के पास उसकी जिन्दगी को खतरा है, ऐसी रिपोर्ट करदी थी।"

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने यह बतला दिया है। किस रोज पकड़े गये यह, इस समय मालूम नहीं।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि उसकी हत्या आपके कुप्रबन्ध से हुई !

Page No.4

रामकिशोर व्यास—रिपोर्ट के तीन महीने बाद ऐसा हुआ है।

श्री भैरूं सिंह—तीन महीने में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—१०७ की कार्यवाही की। पहले ही मैंने निवेदन किया था।

श्री भैरूं सिंह—एस० डी० एम० को ओर से १०७ की कार्यवाही में नोटिस द्वारा बुलाये जाने के विषय में रिपोर्ट पेश हुई तो उसको सब इन्स्पेक्टर पुलिस के पास जांच करने के लिए कब भेजा ?

श्री रामकिशोर व्यास—सब इन्स्पेक्टर ने जांच करके रिपोर्ट पेश की, चालान किया। तीन महीने बाद कत्ल हुआ।

श्री भैरूं सिंह—सब इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पेश होने के बाद भी इन लोगों को १०७ में जमानत मुचलका पर पाबन्द क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—१.२.५५ को अरेस्ट किया गया। केस सबजुडिस है।

श्री भैरूं सिंह—सब इन्सपेक्टर ने जांच करके किस तारीख को एस. डी. एम. की अदालत में रिपोर्ट पेश की कि इनके जमानती मुचलके ले लिए जांय ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री भैरूं सिंह—यह इसमें ही साफ है और उसके लिए आपको तैयार होकर आना चाहिए था।

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी जरूरत नहीं।

श्री भैरूं सिंह—सब इन्स्पेक्टर पुलिस को दरख्वास्त एस. डी. एम ने भेजी या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग सवाल करिये।

श्री भैरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिल्कुल साफ है। एस. डी. एम द्वारा दरख्वास्त सब इन्स्पेक्टर पुलिस को भेजी या नहीं और कब भेजी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—दोनो केसेज़ सब जुडिसिस हैं और उनके विषय में ज्यादा कहना उचित नहीं।

श्री अध्यक्ष—१०७ की जरूरत रह गई। मर गया तब भी जरूरत रह गई।

श्री भैरूं सिंह—कलेक्टर के पास जो दरख्वास्त दी वह जांच होकर कितने दिनों के बाद कलेक्टर के पास आ गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—कलेक्टर के पास वापिस आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एस. डी. एम. के पास भेजी उसने उसकी जांच करके, कार्यवाही करके रिपोर्ट पेश कर दी।

श्री भैरूं सिंह—एस. डी. एम. ने या पुलिस ने उचित कार्यवाही की या नहीं, इसकी इत्तला कलेक्टर के पास आई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग सवाल है।

श्री भैरूं सिंह—यह अलग कैसे है, इसी में है। दरख्वास्त सब इन्स्पेक्टर के पास जांच करने के लिए भेजी, जांच हो गई, उसकी इत्तला कलेक्टर को भेजी गई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—तहकीकात की और एक्शन ले लिया। He has taken necessary action on the application.

श्री भैरूं सिंह—जो दरख्वास्त उसने एस. पी. के पास भेजी उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक मामले में एक ही कार्यवाही होती है।

श्री भैरूं सिंह—एस. डी. एम और एस. पी. को अलग अलग दरख्वास्तें पेश की गईं, तो पहले कौनसी दरख्वास्त पर कार्यवाही हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—ये सब, सब जगह एक होती हैं।

श्री अध्यक्ष—No useful purpose will be served by going in to these details. The only question is whether after filing a report or making an application before the Collector the man was not safe.

श्री भोपालसिंह—क्या गवर्नमेंट की ढिलाई से आदमी की भले ही जान चली जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास—गवर्नमेंट के कारण नहीं हुई है।

श्री भैरूं सिंह—गवर्नमेंट की ढिलाई से ही उसकी मौत हुई है। कलेक्टर के पास जो दरख्वास्त दी गई और एस. पी के पास जो दरख्वास्त दी गई, उन दोनों के दिनों में अन्तर था और उस बीच में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

Page No.6

[redacted]

श्री अध्यक्ष—सबजुडिसिस केस है।

श्री भैरूंसिंह—इसमें सब जुडिसिस केस कैसे है ? मैं तो तारीख पूछ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कलेक्टर को और एस. पी. को दरख्वास्तें अलग अलग दीं। एस. पी की दरख्वास्त थाने में आई और कलेक्टर के पास दरख्वास्त दी वह या तो यों की यों पड़ी रही और मर्डर के बाद पूछते हैं कि इसका मर्डर कैसे हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—एस. डी. ओ के पास जो दरख्वास्त आई वह पुलिस के पास भेज दी गई, यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। आपने सुनने की तकलीफ नहीं की।

श्री भैरूंसिंह—कौनसी तारीख को एस. डी. ओ के पास आई ?

श्री रामकिशोर व्यास—तारीख नहीं निवेदन कर सकता हूं।

श्री भैरूंसिंह—किस तारीख को कलेक्टर के पास भेजी ?

श्री रामकिशोर व्यास—किस तारीख को एस. पी. ने एस. डी. ओ या कलेक्टर के पास भेजी, ये सब अलग अलग प्रश्न हैं।

श्री भैरूंसिंह—क्या कलेक्टर नागोर ने कोई कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास—मुकदमा खत्म नहीं होता तब तक सब कार्यवाही ही है। अलग २ स्पेसिफिक प्रश्न है ?

श्री जवानसिंह—क्या इस कत्ल के पीछे राजनैतिक हाथ है।

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

(घंटी)

श्री जवानसिंह—कोई जानकारी की गई।

श्री अध्यक्ष—मामला सब जुडिस है।

श्री भोपालसिंह—कत्ल की कोई सबूत नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास—सबजुडिस मामला है।

श्री भैरूंसिंह—जिन लोगों का कत्ल में चालान हुआ है, १०७ की जो दरख्वास्त दी उनमें वे ही लोग थे या अन्य लोग भी ?

श्री अध्यक्ष—Whether those who have been challaned are the same persons ?

श्री रामकिशोर व्यास—कौन कौन से व्यक्ति हैं, यह मैं दर्याफ्त करके अर्ज कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५४

जयपुर में रेन्ज के सर्किल इन्स्पेक्टर्स एवं सब इन्स्पेक्टर्स की वरिष्ठता सूची

श्री चांदमल मेहता— क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर रेन्ज के सर्किल इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस की सीनियोरिटी लिस्ट कब बनाई गई और किस आधार पर बनाई गई थी ?

(ख) उक्त सिनियोरिटी लिस्ट बनने के बाद क्या सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस की कोई अप्रूव्ड लिस्ट भी बनाई गई है ?

(ग) यदि हां, तो उक्त लिस्ट किस अधिकारी द्वारा किस की आज्ञा से बनाई गई ?

(घ) उक्त अप्रूव्ड लिस्ट में कौन कौन अधिकारी लिये गये हैं ?

(ङ) उक्त अधिकारियों में किन २ को ऑफिशियटिंग सर्किल इन्स्पेक्टर बनाया गया है-और उनका सीनियोरिटी लिस्ट में कौन सा स्थान है ?

(च) जिन अधिकारियों को ऑफिशियेटिंग सर्किल इन्स्पेक्टर बनाया गया है उनके सर्विस शीट में किन २ के अच्छे और बुरे रिमार्क्स सिनियोरिटी लिस्ट बनने के बाद लगे है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)— (क) इन्स्पेक्टर्स की सिनियोरिटी लिस्ट होम सेक्रेटरी तथा आई. जी. पी. द्वारा इण्टरव्यू के बाद बनाई गई । सब इन्स्पेक्टर की सीनियोरिटी लिस्ट कमिश्नर, जयपुर तथा डी. आई. जी. रेन्ज ने बनाई । यह दोनों लिस्टें अगस्त १९५२ में बनाई गईं ।

(ख) यह लिस्ट पिछली सेवाओं के विवरण, योग्यता, सेवाकाल एवं अन्य सम्बन्धित बातों का ध्यान रख कर बनाई गई ।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) जी हां ।

(घ) सब इन्स्पेक्टर की अप्रूव्ड लिस्ट, पुलिस हैड क्वार्टर्स में मई १९५३ में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस तथा डी. आई. जी. के अनुमोदन पर बनाई गई । इन्स्पेक्टर्स की अप्रूव्ड लिस्ट डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस तथा डी. आई. जी. की अनुमति पर सरकार द्वारा बनाई गई । इस लिस्ट का अन्तिम रूप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा दिया गया ।

(ङ) व (च) यह बताना जनहित में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जो लिस्ट एक दफा बनायी गई उसमें परिवर्तन करके एप्रूव्ड लिस्ट बनाये जाने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास—वह सिनियोरिटी लिस्ट थी और यह एप्रूव्ड लिस्ट है । एप्रूव्ड लिस्ट जिनको प्रोमोशन देना होता है वह अलग से बनाई जाती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या प्रोमोशन देने के निमित्त सिनियोरिटी लिस्ट का कोई उपयोग नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उपयोग है ।

श्री चांदमल मेहता—उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो सरकार उपयोग में लेना चाहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार हर साल अप्रूव्ड लिस्ट बनाती है । जिन लोगों की जैसी योग्यता होती है उस अनुसार बनाती है और फिर प्रोमोशन देती है ।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को एप्रूव्ड लिस्ट में लिया गया उसके बाद सीनियोरिटी लिस्ट में विशेष योग्यता आदि देखी जाती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—प्रश्न में साफ पूछा है कि अप्रूव्ड लिस्ट बनाई या नहीं, तो मैंने निवेदन किया कि बनाई है ।

श्री चांदमल मेहता—प्रश्न तो ठीक है । यह उससे सम्बन्ध रखता है । अप्रूव्ड लिस्ट बनाई गई और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि विशेष योग्यता के अनुसार बनाई जाती है, तो वे विशेष योग्यतायें कौन कौन सी हैं !

Page No.9

श्री रामकिशोर व्यास—मैं निवेदन करूं कि उनका कार्य अच्छा है, नेक नियती और कहां कहां कार्य अंजाम दिया है, खूबसूरती से कार्य अंजाम दिया गया है आदि....

श्री चांदमल मेहता—ऐसी एन्ट्रीज़ तो उनके सर्विस शीट में भी की जाती हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—अप्रूव्ड लिस्ट में आ जाती हैं।

श्री चांदमल मेहता—इसको साफ करने के लिए मैंने सप्लीमेन्टरी पूछा और जिसको कि माननीय मंत्री महोदय ने टाला है; किन किन को सर्विस शीट्स में अच्छे या बुरे रिमार्क्स हैं ?

(विराम)

माननीय मंत्रीजी बतावें कि किन २ की सर्विस शीट्स में अच्छे अच्छे काम करने के रिमार्क्स हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—हर एक अच्छे या बुरे कामों की एन्ट्री नहीं होती है। जिन कामों के लिए विशेष रूप से ऑर्डर दिया जाता है उनकी एन्ट्री होती है। हरएक की एन्ट्री नहीं होती है।

श्री चांदमल मेहता—फिर यह माना जाय कि विशेष काम के बिना कोई एन्ट्री होती होगी, सिर्फ इस आधार पर कि अमुक व्यक्ति को प्रोमोशन दिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास—ओफिसर्स की नजर में होता है। विशेष रिमार्क की एन्ट्री विशेष ऑर्डर से होती है, हर एक की एन्ट्री जो रिकार्ड में होती है सामने आती है।

श्री चांदमल मेहता—अफसरों की निगाहों में होता है; यह ठीक बात है; लेकिन इनके कन्डक्ट से दूसरे लोगों को वाकिफकारी रहे इस बात के लिये उनकी कार्यवाही को सर्विस कन्डक्ट में दर्ज कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—That is an administrative matter. That has been stated more than once.

श्री हिम्मतसिंह—अप्रूव्ड लिस्ट के लिये आप फरमा रहे हैं क्या, वह लिस्ट गजट होती है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं, वह कोन्फीडेन्शियल होती है।

प्रश्न संख्या ५५

झुंझुनु जिले के पुलिस सब इन्स्पेक्टर्स के लिये निकृष्ट अभ्युक्तियें

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) झुंझुनू जिले में सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस के कितने स्थान स्वीकृत हैं ?

(ख) उक्त जिले में ऐसे कितने एस. आई. हैं जिनके सर्विस शीट में खराब इन्दराज लगाये गये हैं ?

(ग) ऐसे कौन कौन एस. आई. हैं जिन्हें एस. आई. के स्थान पर नहीं रखने के आदेश जारी हो चुके हैं ?

(घ) उक्त आदेश कब कब किसके लिये किन किन अधिकारियों द्वारा दिये गये ?

(ङ) क्या उक्त आदेशों की अवहेलना की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) झुंझुनू जिले में सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस के ३१ स्थान स्वीकृत हैं ।

(ख) यह बताना जनहित में उचित नहीं है !

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) यह भी प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि झुंझुनू के थानेदार के बारे में इस तरह के आदेश हो चुके हैं कि इनको थानेदार की जगह न रखा जाय, और दूसरे स्थान पर भेज दिया जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास—इसका मैंने जवाब दे दिया है, "जी नहीं" ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच करवाने के लिये तैयार हैं कि इस तरह की आज्ञा हुई या नहीं !

श्री रामकिशोर व्यास—आप बतायेंगे तो जरूर करायेंगे ।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रश्न के पूछने के बाद क्या झुंझुनू के इन्स्पेक्टर का ट्रान्सफर कर दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—होते ही रहते हैं कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो निवेदन करूं।

श्री चांदमल मेहता—जो सर्विस शीट में अच्छे और बुरे रिमार्क्स लिखे जाते हैं, उनको कोनफीडेन्शियल रक्खे जाने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह गवर्नमेन्ट की नीति है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह गवर्नमेन्ट की नीति है कि जो बुरे काम करें उसके बारे में भी कोई प्रश्न न पूछा जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास—खूब प्रश्न पूछिये, वाजिब जो जवाब होगा दिया जायगा। लेकिन जहां तक सर्विस शीट के कोन्फीडेन्शियल रिमार्क को बताने का सवाल है वह सभी जगह कोन्फीडेन्शियल रहता है, सभी स्टेट्स में इसी प्रकार का तरीका है।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ५६.

जनवरी १९५५ के पश्चात् परबतसर तहसील में हुई डकैतियों में मारे गये ग्रामीण

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद परबतसर तहसील में कितनी डकैतियां हुईं ?

(ख) उक्त डकैतियों में कितना माल लूटा गया ?

(ग) लूट के माल में से कितना माल बरामद किया जा चुका है ?

(घ) डाकुओं से मुकाबला करते हुए किस किस डकैती में कौन कौन ग्रामीण मारे गये और कौन कौन घायल हुए ?

(ङ) ग्रामीणों द्वारा कितने डाकू मारे गये ?

(च) डाकुओं का मुकाबला करने वाले किन किन ग्रामीणों को सरकार द्वारा पारितोषिक दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) १ जनवरी, १६५५ के बाद परबतसर तहसील में कोई डकैती नहीं हुई।

(ख), (ग), (घ), (ङ) व (च) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि खोखर गांव में १ जनवरी, १६५५ के बाद डकैती हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वह डकैती नहीं थी, जिसके लिए आप फरमा रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह डकैती नहीं थी तो और क्या थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—काउन्टर केसेज़ थे, १४८ और ३२५ के।

प्रश्न संख्या ५७

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभुदयाल (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५८.

किशनगढ़ के तालाब गूढोलाव व बाहर की नहर से सिंचाई

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चालू वर्ष में किशनगढ़ के तालाब गूढोलाव और बाहर की नहर के झरण का कितना पानी बेकार गया ?

(ख) उक्त पानी का सिंचाई में उपयोग नहीं लेने के क्या कारण हैं ?

(ग) उक्त पानी से कितने खेतों की खड़ी फसल को नुकसान पहुँचा है ?

(घ) उक्त नुकसान को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) चालू वर्ष में तालाब गूढोलाव व बाहर की नहर के झरण का पानी कतई बेकार नही गया ।

(ख) उक्त पानी इस समय बन्ध जलथम्मन के द्वारा सिंचाई के उपयोग में लिया जा रहा है व आवश्यकतानुसार सीधा भी सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है ।

(ग) उक्त पानी से किसी भी खेत की खड़ी फसल को नुकसान नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तालाब गुढ़ोलाव का पानी तालाब जलथम्भन में अभी तक पहुँचा ही नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—तालाब गुढ़ोलाव का पानी नहरों के द्वारा तालाब जलथम्भन में जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उक्त नहर के खराब होने की वजह से पानी जलथम्भन में नहीं पहुँचा है और आस पास की खेती को खराब कर रहा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आसपास जो खेत हैं उसी के बीच होकर नहर जाती है । खेती के बीच से नहर जाने के कारण खेतों को किसी प्रकार का नुकसान होता हो इस प्रकार की जानकारी सरकार के पास नहीं है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि खेतों के मालिकों ने अपनी ओर से शिकायतें पेश की हैं कि इस प्रकार पानी भी बरबाद होता है और दूसरी ओर उनकी खेती को भी नुकसान होता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तालाब जलथम्भन के पानी से कहीं भी सिंचाई नहीं होती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—तालाब जलथम्भन से डाइरेक्ट सिंचाई नहीं होती होगी, किन्तु उसके पेटे में काश्त अवश्य होती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जानकारी करायेंगे कि पानी बेकार गया या नहीं और खेती को नुकसान हुआ या नहीं?

श्री रामनिवास मिर्धा—जैसा अभी आपने कहा कि इसके बारे में सरकार को शिकायत की गई है; मैं जांच कराऊंगा । शिकायतें की गई है या नहीं, उसके बाद उचित कार्यवाही की जायगी ।

सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री झुंझारसिंह डिवीजन नंबर १० ने दिनांक ३० नवम्बर से २० दिसम्बर, १९५५ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है ।

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

अनुपूरक मांग संख्या ४५—वन

श्री अध्यक्ष—मांग संख्या ४५—वन ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४५, मेजर हेड १० वन के संबंध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० २,००० तक की राशि प्रदान की जाये ।

माननीय अध्यक्ष, यह मांग दो नई बातों से संबन्धित है, जिसमें से एक तो लेटेरी (सिरोंज) में एक लकड़ी चीरने का कारखाना खोलने के लिये है ।

दूसरी चीज यह है कि वैसे तो एप्रोप्रियेशन बिल के अन्तर्गत खर्च तो कर सकते हैं, मन्जूरशुदा रकम में से हो जायगा लेकिन यह नई चीज होने से टोकन ग्रान्ट लेने की आवश्यकता पड़ी है । यह तो मेरे ख्याल से आप लोगों को विदित ही है कि सिरोंज में राजस्थान के सब से अधिक जंगल है, वहां पर सी. पी. टीक वुड पैदा होता हैं। उसका एक्सप्लोइटेशन ठीक तरह से नहीं हुआ । उसका नतीजा यह हुआ कि वहां जंगल में जाने पर यह देखा गया कि उस जंगल की कितने ही वर्षों से कटाई हुई ही नहीं थी। जब वहां देखा कि इस प्रकार की लकड़ी वहां पर है जो बहुत उपयोगी और काम की है ... ...

श्री कंवरलाल जेलिया—सिरोंज तो अब राजस्थान से अलग हो रहा है, तो फिर अनुदान का सवाल ही कहां रहता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(जारी) इसके लिये यह आवश्यक समझा गया कि इस लकड़ी को अपने यहां काम में लिया जाय। इरिगेशन विभाग से लेकर वहां एक मशीन लगाई गई, इससे ४०-५० हजार रुपये की लकड़ी का स्टॉक वहां इकट्ठा किया हुआ है । यह जो खर्च किया गया है आमदनी के लिए किया गया है और वाजिब तरीके से किया गया है । जो लकड़ी खोखली होकर जंगल में आग लगने का कारण बनती थी उसको वहां लाकर हम सॉ (Saw) कर रहे हैं। उससे ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज़ से भी बच जाते हैं ।

Page No.15

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सो (Saw) मिल किस महीने में लगाई गई, यह तो बता दीजिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तारीख तो मुझे याद नहीं गर्मियों में लास्ट इयर मई या जून में लगी होगी। इसके लिये जो अरेन्जमेंट किया गया है जो यह है कि वहां एक शेड बनाया गया, उस पर करीब दो हजार रुपया खर्च हुआ है। टिनशेड लगे हुए हैं जिसके नीचे माल रहता है। उससे माल को किसी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है। यह एक प्रकार से टोकन ग्रान्ट है।

दूसरी ग्रान्ट इसलिए मांगी गई है कि फोरेस्ट डेवलपमेंट ग्रान्ट के अन्तर्गत कुछ वेविहिकल्स के खरीदने के लिए विलम्ब हुआ। उसकी सारी कॉस्ट और स्टेटमेंट आदि के तैयार होने में विलम्ब हो जाने के कारण उस रकम का उपयोग नहीं हो सका था। अब फोरेस्ट प्लान के रिएडजस्टमेंट के लिये १,२६,२०० रुपये तक की आवश्यकता होगी। यह एक टोकन ग्रान्ट की तरह ग्रान्ट है। एक तो पहले सॉ मिल के लग जाने के कारण मांग की गई और दूसरी वेहिकल्स की खरीदी के लिए है। इस तरह से २,००० रुपये तक की राशि प्रदान करने के लिये सदन की स्वीकृति चाही गई है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, सिरोंज में जो लकड़ी के कारखाने पर पूंजी की बरबादी हो रही है उस पर विचार प्रकट करने के हेतु, एक रुपये की इसमें कटौती की जाय; इस सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो सरकार को यह निश्चित करना होगा कि हम उद्योग किस आधार पर खोलें। इस बारे में सरकार को एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये कि ऐसे कौन कौन से उद्योग होंगे जो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा खोले जायेंगे, ऐसे कौन से उद्योग होंगे जो सरकार खोलेगी और ऐसे कौन से उद्योग होंगे जिनमें प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर खोलेंगे। इस प्रकार की नीति निर्धारित करने के बाद ही कोई कारखाना खोलने के बारे में विचार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी मेमोरेन्डम हमारे सामने आया उसमें यह बताया गया है कि इसमें लाभ होने की उम्मीद है, इसी लिहाज से और लकड़ी बेकार जाती है इस लिहाज से यह आवश्यक है।

अभी कुछ दिनों पहले विधान सभा में प्रश्नोत्तर के जरिये यह मालूम हुआ कि सरकार की नीति कुछ कारखानों के बेचने की है, यह नहीं मालूम हो सका कि वे कारखाने कौन कौन से हैं और वे नफा देने वाले हैं या नुकसान। अगर वे अच्छा फायदा देने वाले हैं या पिछले पांच वर्षों से अच्छा फायदा देते आ रहे हैं तो उनको बेचने की क्यों नोबत आ रही है? जब जायेंगे तो उनके लिए गजट द्वारा प्रार्थनापत्र आमन्त्रित होंगे।

दूसरी ओर सरकार अपनी ओर से कारखाने लगाने का विचार करती है तो मेरा कटौती प्रस्ताव रखने का यह मकसद है कि सरकार अपनी ओर से यह निश्चित नीति घोषित करे कि

[श्री चांदमल मेहता]

किस प्रकार के उद्योग सरकार चलाना चाहती है और किस प्रकार के उद्योग प्राइवेट व्यक्तियों के लिये छोड़ देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कारखाना ४२ हजार की लागत से खोला जा रहा है क्या उसके लिए यह ४२ हजार की रकम पर्याप्त होगी ? क्या उस रकम का आवश्यक उपयोग होगा या नहीं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। आम तौर पर यह देखा गया है कि सरकार की ओर से जो कारखाने चलाये जाते हैं उन कारखानों में शायद ही किसी में फायदे और नुकसान का हिसाब-किताब रहा होगा खासकरके छोटे स्केल पर खोले जाने वाले कारखानों के सम्बन्ध में यह बात बहुत मात्रा में लागू होती है। बड़ी स्केल पर जो कारखाने चालू हैं उसमें कोई शक नहीं कि कुछ कारखानों में सरकार को फायदा रहा होगा लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह का खर्चा होता है, सरकार जिस प्रकार अनुभवहीन व्यक्तियों को इन कारखानों में रख देती है अगर उसी हालत में छोटे कारखाने खोले जांय तो मेरा यह निश्चित मत है कि लाभ कतई नहीं हो सकता। माननीय मन्त्री महोदय ने यह भी नहीं बताया कि यह कारखाना खोलने के पहले इस सम्बन्ध में सर्वे किया गया या नहीं, क्या सर्वे के सम्बन्ध में किसी एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया था और उसकी क्या राय थी ? उनकी राय में कितना काम वहां होगा और उससे प्रतिवर्ष कितने और कितना उसके ऊपर खर्चा होगा और सरकार को प्राप्ति कितनी होगी ? कोई भी कारखाना शुरू करने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि सिर्फ कल्पना के आधार पर कि इससे फायदा होने वाला है कोई भी कारखाना खोलना उचित नहीं होता। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति होनी चाहिए, उनके सामने एक प्लान होना चाहिये कि इन इन आधारों पर कारखाने खोले जायेंगे; इन्हीं बातों का स्पष्टीकरण चाहने के लिये मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—श्री चांदमल मेहता ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करना चाहता हूँ, अति हार्दिक।

श्री दामोदरलाल व्यास—दबे दबे।

श्री कंवरलाल जेलिया—सिरोंज गया, इसलिये नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सिरोंज ही चला गया, इसलिये कर रहे हैं अब।

अभी अभी कहा गया अध्यक्ष महोदय, कि पिछले वर्ष ५४ के मई-जून के महीने में लगभग यह कारखाना खोला गया है और जहां तक मैंने सुना है इसकी बातचीत कुछ चुनाव के दौरान में हो सी गई थी। सात आठ महीने का फर्क पड़ा है। इसके बाद हालां कि यह मालूम हो गया कि अब सीमा कमीशन अपना काम कर रहा है और जो खास खास, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ध्यान में मैं जो बात लाना चाहता हूँ वह यह है कि यह कारखाना खोला गया तब तक शायद राजस्थान सरकार ने अपना मेमोरेन्डम भी सीमा कमीशन के लिए तैयार कर लिया था, जिसमें इस बात को कबूल किया गया था, मिसाल के तौर पर कि यदि सिरोंज को अलग कर दिया जावे तो हमें कोई एतराज नहीं, हम तो सैद्धान्तिक तौर से ठीक मानेंगे। ऐसी बात थी तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि जब सरकार एक ओर इस निर्णय पर पहुँच चुकी थी, सीमा कमीशन बाद में पहुँचा यह जुदा बात है, तो फिर इस अरसे में खास तौर से सिरोंज में कारखाना खोलने की नौबत कैसे आई और इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है क्योंकि इसका कारण मैं खुद तो समझे हुए हूँ। आप शायद नहीं समझे हुये हों तो समझने का और समझाने का तो सबको हक है। इसलिये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हो सकता है कि यह रुपयों का मामला है और एक दिन मेरा खयाल है वापिस उसे आप लाने को तैयार हो जावें, पर स्वीकार आज तो यह करना चाहिये कि इसमें उस इलाके से सम्बन्धित सदस्य महोदय की तरफ का इस पर प्रभाव जरूर पड़ा है, नहीं तो लकड़ी तो राजस्थान में और बहुत सी जगह पैदा होती है; फिर यहां सिरोंज में ही ऐसा करने का क्या मतलब ?

दूसरी बात छोटी सी होगी। आपने जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम दिया है, उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें यह भी लिखा है कि लकड़ी काटने से ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज कम होंगे ही, फलतः लकड़ी ठेकेदार के भी काम में आ जावेगी तो ये ठेकेदार कौन हैं ? इस पर जरा पर्याप्त मात्रा में रोशनी डाली जावे और एक रुपये की कटौती प्रस्ताव के सिलसिले में चैलेंज को ध्यान में रक्खा जावे। उस इलाके के जाने को तो आप रोक नहीं सकते, पर यह कम से कम निवेदन कर देना चाहता हूँ कि कम से कम मशीनरी तो वक्त रहते रहते वापिस ले आई जावे। इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष—Things which are too obvious should not be dilated upon.

श्री हरिकृष्ण व्यास—At least this particular thing deserves mention.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे खयाल से दोनों माननीय सदस्यों को भ्रम हो गया है। वह मेरी कॉन्स्टीच्यूएन्सी है इसलिये नहीं, बहुत से लोगों को फायदा दिलाने के लिए मैंने वायदा......

श्री चांदमल मेहता—यह खयाल आपका गलत है कि मुझे भ्रम हो गया है।

श्री अध्यक्ष—No, no. There is one apprehension which goes in my mind. Together with Sironj, the Hon'ble Member's mind may not go away ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो मैं यह भ्रम निवारण करने के लिए बताऊं कि यह सॉ (saw) मिल जो है वह डूंगरपुर में पड़ी थी। उसकी रिपेयर में पन्द्रह सौ रुपये खर्च किये और १२००) रु० शेड लगाने में खर्च किये हैं। वह भी टेम्परेरी है और यह जो है मोटर वह इरिगेशन की लगी है। तो

Page No.18

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इसमें तो यह सब अकाउन्ट एडजस्ट किया है और इसके एस्टेब्लिशमेंट में सात हजार खर्च होंगे। अब इसके लिए इतना हो-हल्ला मचाना और यह कहना कि सारा का सारा पैसा ब्लॉक कर दिया गया है और अपने अपने आदमियों को रोजगारी दे दी गई है, कितना बेबुनियाद है; यह आप समझ सकते हैं। अब इस सात हजार में कितनों को नौकरी मिलेगी या क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या हिस्सा मिलेगा, क्या बांट मिलेगी यह आप समझ सकते हैं। वास्तव में ये सिरोंज गए होते तो इन्हें पता लगता कि वहां किस प्रकार का जंगल है और क्या है और माननीय सदस्य जो परबतसर से आये हैं उन्होंने तो यह कहा कि.......

श्री अध्यक्ष—Not very Serions.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—किन किन सिद्धान्तों पर इसके लिए पहले सोचना चाहिये था या यह तय करना चाहिए था कि यह उद्योग सरकार लगावे या प्राइवेट पार्टी लगावे, तो अगर आपने वहां जाकर देखा होता तो आपको मालूम होता कि वहां प्राइवेट पार्टी तो पहुँच नहीं सकती और न आज तक पहुँची है। ठेका लेने को पहुँचे हैं तो ४०-४० और ३०-३० एकड़ का बीड़ लगता है क्योंकि वहां से रेलवे करीब सत्तर मील दूर है और ठेका इतना अच्छा है कि फाइनेन्स में होने के कारण थोड़ा सा लालच मुझे जरूर आगया। इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव जिस मकसद से रखा था वह हल नहीं हुआ। मैं तो इस उद्योग के बारे में निश्चित नीति सुनने को उत्सुक था क्योंकि उद्योग मंत्री महोदय मोजूद नहीं हैं और वित्त मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो कोई उद्योग के लिए उद्योग नहीं है। यह तो सॉ (Saw) मिल लग गई है लकड़ी काटने के लिए।

श्री चांदमल मेहता—वित्त मंत्री महोदय इसको उद्योग नहीं मानते तो किसको उद्योग मानते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उद्योग की और क्या स्पेसिफिकेशन है ?

श्री अध्यक्ष—एक मशीन पड़ी थी उसको काम पर लगाया गया था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उद्योग नहीं, यह तो उपयोग है।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ४५, मेजर हेड १०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६१—विद्युत योजनाओं से प्राप्तियें

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान संख्या ६१, मेजर हैड ४१—विद्युत योजनाओं से प्राप्तियों के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० १,०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

(श्री बृजसुन्दर शर्मा से) आप कुछ कहेंगे इसके बारे में?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें कटमोशन है नहीं। वैसे जो बहुत सारा सामान था वह पहले खरीदा जाने वाला था और अभी जो प्रगति हो रही है उससे जितनी रकम, जो कि पहले खर्च नहीं हो सकती और पहले नहीं आ सका सामान, उसके लिए अब इस साल में.......

श्री अध्यक्ष—एतराज सुन लें आप इन लोगों का, फिर एक्सप्लेनेटरी नोट की बात कह दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कौनसी मांग के ऊपर आप बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—६१।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें तो नये पुराने सामान के बारे में जिक्र नहीं है । यह तो सीकर पॉवर हाउस के सिलसिले में है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—गवर्नमेंट ने इस बात का निर्णय किया कि सीकर पॉवर हाउस को ले लिया जाय और उसके लिए उनको जो कुछ भी रकम उसके लिए निर्धारित हुई है उसको देने की आवश्यकता के लिए यह एक लाख रुपये तो कॉन्टीन्जेन्सी फन्ड से एडवान्स किए गये हैं और जो भी एडीशनल एमाउन्ट है वह रिएप्रोप्रियेशन से हमको मिल जायगा । इस तरह से होगा। सीकर में जो अन्धेरा हो रहा था तो यह निर्णय किया गया कि उस पॉवर हाउस को ले लिया जाय । इसलिए वह ले लिया गया । उसका बाकायदा एग्रीमेंट हो चुका है और यह रुपया उनको देना है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कहां क्या कहना चाहिए था...

श्री अध्यक्ष—Only relating to this particular demand. The Hon'ble Member does not want that it should be......?

श्री हरिकृष्ण व्यास—This demand ? No, it is connected with the saving that has been re-appropriated. It is not a straightforward demand.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—It is a new item.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is a new item. The demand asked for is only Rs. 1,000, but the whole demand stipulated to be sanctioned is 1,01,000 and Rs. 1 lac is sought to be re-appropriated by possible saving from another grant which means "Deduct working Expenses." To that extent it will be reduced and the re-appropriated amount will be credited to the account of this new demand. I am concentrating my remarks within this very framework. अभी अभी जिक्र किया गया है, अध्यक्ष महोदय, कि सामान पहले नहीं लिया गया, सो सामान लेने की बात नहीं थी । वह पॉवर हाउस को टेक ओवर करने की बात थी...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I am sorry. सीकर पॉवर हाउस के संबंध में था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सीकर में जो पॉवर हाउस चल रहा था वह बन्द हो गया और चूंकि वहां के लोगों के लिये बिजली की व्यवस्था करना आवश्यक था इसलिए सरकार ने उस पॉवर हाउस को टेक ओवर करके अपना काम-काज अपनी देखभाल में वहां शुरू कर दिया । उस सिलसिले में १,०१,०००) रू० की मांग, एक प्रकार से मन्जूरी के लिए प्रस्तुत की गई । लेकिन चूंकि ऐसा ख्याल है कि इस पूरी मांग में कुछ बचत होने

Page No.21

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के कारण एक लाख रूपया तो मांग के अन्तर्गत बचत से ही मिल जायगा । इसलिये केवल एक नया मद होने की मन्जूरी की आवश्यकता होने के कारण टोकन एक हजार की मांग यहां प्रस्तुत की गई है । मेरा यह कहना है, अध्यक्ष महोदय, कि यह एक हजार की मांग मन्जूर करने की आवश्यकता नहीं थी । ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक रूपये की टोकन मांग यहां पर प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, क्योंकि जहां एक लाख रूपया बचत से रिएप्रोप्रियेट करने को गुंजाइश है तो मेरा यह कहना है कि इस मांग के अंतर्गत और लाखों रुपयों की बचत की गुंजाइश है, और यह ९०० रू० के इस तरह से रिएप्रोप्रियेट करने में कोई कठिनाई की बात नहीं थी क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं इस मांग में बचत का खास तात्पर्य यह है कि जो वर्किंग एक्सपेन्डीचर के लिए मद विधान सभा ने मन्जूर किया है, उसमें कुछ कमी होने वाली है और इस वर्किंग एक्सपेन्डीचर में कमी होने की संभावना है तो वह संभावना नजर आ रही है । सबसे बड़ी संभावना तो जयपुर शहर के अन्दर ही नजर आई, अध्यक्ष महोदय, जहां पिछले वर्ष कोयले के सिलसिले में एक बहुत बड़ी घटना पकड़ी गई और यह मालूम हुआ कि जो कोयला पहले लगभग सात पौंड लगता था पर युनिट; जब आंकड़ों के हिसाब से, जब खुद के रजिस्टरों के हिसाब से वह गोलमाल के पकड़ने के बाद एकदम उसका आंकडा शायद तीन या सवा तीन पौंड पर युनिट पर आ गया । इसका तात्पर्य यह हुआ कि ५० पर्सेन्ट यानी आधी बचत तो इस वर्किंग एक्सपेन्डीचर में हो चुकी, और और होने की संभावना है । संभावना दीखती है इतना ही नहीं, लेकिन इसी सिलसिले में आपसे अर्ज करूं कि वह जो मांग चल रही है उस मांग के बारे में बात तो जाने दें लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है राज्य सरकार ने एक बहुत उच्च अधिकारी को इस कार्य के लिए मुकर्रर किया था जिनका नाम है श्री राणावत । जहां तक मुझे मालूम हुआ है श्री राणावत ने अपनी रिपोर्ट सरकार के पास प्रस्तुत करदी हैं, और उस रिपोर्ट के मुख्तसिर में नहीं जाऊंगा लेकिन उससे वर्किंग एक्सपेन्डीचर में कमी करने की अनेकानेक संभावना है । मसलन मुझे ऐसी सूचना मिली है कि उस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि कुछ माल बिजलीघर के लिये कलकत्ता से खरीद हुआ और वहां से चला और चलते चलते दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में फरोख्त हो गया, जयपुर तक पहुँच ही न पाया, लेकिन उसका पेमेन्ट जरूर हो गया । ऐसे जो मामले हैं वह बन्द कर दिये जावें तो ९०० रू० की क्या बात है, लाखों रूपयों की बचत इस मांग में हो सकती है । इसलिए यह जो अन्दाज किया गया है कि इस मांग में ज्यादा बचत की गुंजाइश नहीं है एक लाख से ज्यादा यह अन्दाज गलत है । इसमें और ज्यादा गुंजाइश है बचत की । वह क्यों नहीं हो रही है ? वह इसलिए नहीं हो रही है कि राजस्थान सरकार के हाथ जरा हिचकिचा रहे हैं । एक ओर तो राणावत रिपोर्ट जो है उसके बारे में मुझे सूचना मिली है कि उस पर अभी तक विचार होकर निर्णय तक नहीं हो पाया है, हालां कि दो सवा दो महीने से ज्यादा उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किये हुए हो गये हैं ।

दूसरी ओर जो कोयले के सिलसिले में एक बड़ी खामी नजर आई थी, एम्बेज़लमेंट बहुत बडा हो गया था उस बारे में अब तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि कितने लाख का गबन सरकार के इस डिपार्टमेन्ट में हो गया, हालांकि इस बात को २ साल हो गये । ऐसी स्थिति रहेगी तो अध्यक्ष

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

महोदय, सेविंग्ज की गुंजाइश पूरी तरह से नहीं रह सकेगी। इस मांग पर १०००रू. की कटोती का जिक्र है लेकिन उसमें से ९९९ रू० निकाले जा सकते हैं। राज्य सरकार की हिचकिचाहट और तेजी से काम न करने के कारण नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह जो मांग रखी गई है उस पर १ रु० की टोकन कटोती होनी चाहिये थी। १ रु० की कटोती रहने दीजिये, ९९९ रु० निकाल दीजिये। मैं आशा करता हूं केवल १ रु० की कटोती की स्वीकृति पेश की जायगी।

श्री अध्यक्ष—This is money already asked.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is an offer for voluntary cut.

श्री अध्यक्ष—No offer. It is sufficient that the Member has expressed his ideas over this,

श्री हरिकृष्ण व्यास—If he wants...

श्री अध्यक्ष—If he wants. But he is not under compulsion.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसका जवाब देने की कोई खास जरूरत नहीं है। ९ हजार रूपये भी बचाये जा सकते हैं जो बचाये जा सकेंगे, वे बचाये जायेंगे ही।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६१, मेजर हेड ४१—विद्युत योजनाओं से प्राप्तियों के संबंध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १००० रु० की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ५२—शिक्षा

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५२, मेजर हैड-३७ शिक्षा सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० ५३,००० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Page No.23

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ५२, मेजर हेड ३७-शिक्षा के संबंध में ३१ मार्च,१९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु. ५३,००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गई ।

अनुपूरक मांग संख्या ४६-अन्य कर तथा महसूल

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ४६, मेजर हैड १३-अन्य कर तथा महसूल के संबंध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १०,००,००० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरा इस मांग पर यह कटौती प्रस्ताव है कि इस मांग में से १०० रूपयों की कटौती कर दी जाय और यह इसलिए कि जो कस्टम विभाग के अब पुराने कहलाने वाले मुलाजिम हो गये हैं उनको रीएम्पलॉय करने के बारे में बहुत ही पक्षपातपूर्ण नीति से काम लिया गया है और उनके साथ अन्याय किया गया है, उनके एब्जोरप्शन के मामले में बहुत अनुचित रूप से पक्षपात बरता जा रहा है । यह जो मांग पेश की गई है वह इस ख्याल से की गई है कि हालां कि विभाग तोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ अरसा लग गया इस बात के लिए कि इस विभाग में काम करने वाले जो पुराने मुलाजिम थे उनको इधर उधर एब्ज़ोर्ब करने के सिलसिले में या यों कहिये कि इस महकमे को वाइन्ड अप करने के सिलसिले में कुछ अरसे तक उनको तनखा देनी पड़ी इस कारण कुछ रूपये, हालां कि ये कुछ रूपये लाखों की संख्या में हैं, की आवश्यकता पड़ी । मेरी यह मान्यता है अध्यक्ष महोदय, कि यहां जो कहा गया है वह न सिर्फ अपर्याप्त है बल्कि गलत भावना और गलत धारणा पैदा करने का प्रयत्न भी है । हुआ दरअसल में यह है कि जिस दिन से यह विभाग खत्म करने का निर्णय हुआ उस दिन से, जानबूझकर या अनजान में ऐसा मैं नहीं कह सकता, सरकार के दिमाग में दो केटेगरीज़ बन गई हैं उन मुलाजिमों के बारे में जो पहले काम करते थे । एक केटेगरी तो उन लोगों की थी जिन्हें उच्च सेवाएं कहा जाता है; कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर्स से लेकर इन्सपेक्टर्स तक लगभग इस केटेगरी में आ गये । यह केटेगरी प्रिविलेज्ड क्लास की केटेगरी मानी गई राज्य सरकार द्वारा । दूसरी केटेगरी उन मुलाजिमों की थी जो नाकेदार, चपरासी वगैरह थे और जो तुच्छ श्रेणी के माने गये उनकी यह केटेगरी मानी गई राज्य सरकार के दिमाग में ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब अचानक यह होता है कि विभाग खत्म हो गया, इसलिये कुछ लोग सरप्लस हो जाने चाहिये। लेकिन सरप्लस करने का मामला समझ-बूझ कर चलने लगा। बहुत काश्यसली, डिस्क्रि-मिनेटली, जान बूझ कर बेचारे तुच्छ श्रेणी के लोगों का फैसला किया गया क्योंकि कमिश्नर से लगा कर इन्सपेक्टर तक में से तो मेरी जानकारी में किसी के सरप्लस होने की नौबत नहीं आई या किसी को सरप्लस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी; मेरी तो कम से कम यह मान्यता है कि छोटे छोटे ५०-६० रूपये पानेवाले आदमियों को सरप्लस करके हजारों लोगों के दिल को दुखाने के बजाय एक आध अफसर सरप्लस हो जाता तो क्या हो जाता, आखिर उनको भी पता तो चलता कि सरप्लस कैसे होतेहैं, और उसका नतीजा क्या होता है, लेकिन वे सरप्लस नहीं हुए। सरप्लस कौन हुए? छोटे मोटे नाकेदार, फिर उसके बाद क्या होता है अध्यक्ष महोदय, कि जैसे लड़ाई के जमाने में प्रिज़नर्स ऑफ वार के साथ बरताव किया जाता है, बड़े-बड़े केम्पों में उनको बंद करके और उनके ऊपर वाच मेन रखे जाते हैं जो हंटर लेकर उनको इधर उधर घुमाते रहते हैं ऐसी ही दौड़ इन कर्मचारियों को कराई गई। अंत में कहीं उनको जगह नहीं मिली तो जहां तक मुझे ख्याल है उनको ट्रेनिंग में भेजा गया और उनसे कहा गया कि आप पटवारी की ट्रेनिंग लें, आपके लिये स्कूल खोला गया है। मैंने देखा कुछ लोगों को जिनमें से कइयों के बाल सफेद हो गये थे, चेहरे पर झुर्रियें पड़ी हुई थीं और बड़े बुजुर्ग लोग थे। मंत्रीजी उनको देखते तो पता चलता। उनके रिटायरमेंट में ४ या ५ साल रह गये थे, उनको कहा गया कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जिनकी उम्र हो गई थी नौकरी करते हुए, उनको कहा गया कि एल. सी. एम., जी. सी. एम. सीखनी पड़ेगी, और कड़कड़ाती धूप में चेन लेकर उनको खेतों पर भेजा गया और कहा गया कि अब यह धंधा भी करो।

और यह सब करते हुए कुल जमा मिला कर चार महीने की ट्रेनिंग की अवधि रखी गई, नोरमली जब कि पटवारी ट्रेनिंग की अवधि १० महीने की है। जिनके खून में जोश है उनके लिये १० महीने की ट्रेनिंग रखी जाती है पर बूढ़े लोगों को कहा कि ४ महीने में यह ट्रेनिंग पूरी करो। ट्रेनिंग पूरी हो गई तो कहा कि इम्तिहान दो। स्कूल मास्टर की तरह राज्य सरकार बैठो और उनसे कहा कि एल. सी. एम., जी. सी. एम. क्या हैं इसकी परीक्षा दो। उस परीक्षा को न जाने क्या हालत की गई है? रेवेन्यू विभाग के जो पटवारी हैं उनमें कई बिना परीक्षा दिये इसमें काम कर रहे हैं; उनको तो पहले प्रेक्टिकल सर्वे की परीक्षा लेकर छोड़ दिया कि जावो तुम काम करो क्योंकि उनकी पहुँची होगी, पर जिनका इस विभाग से बिल्कुल ताल्लुक नहीं उनको कहा कि परीक्षा में बैठो, नहीं बैठोगे तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। उन बेचारों को घुड़कियां पिलाई गईं। सरकारी मुलाजिम ठहरे, उनके हाथ में कोई चारा नहीं। किसी इन्डिपेन्डेन्ट प्राइवेट इन्डिविज्युअल को घुड़की पिलावें तो पता चले। उधर उनको भेज दिया कि जावो अपना अपना जा कर काम करो। १० लाख उनके लिये नहीं हैं, यह प्रिविलेज लोगों के लिये है जिनको सफाई के नाम पर अभी तक सरप्लस नहीं किया गया है। उनको तो ४ महीने ट्रेनिंग देकर किसी को अलवर भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया किसी को शायद डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी भेजा होगा। वहां के कलेक्टर और रेवेन्यु अधिकारी कहते हैं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और अभी तक सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं, जो यहां से तो यह कह कर भेजे गये कि वहां चले जाओ और वहां उनको अभी कच्चा चिट्ठा दिखाया जा रहा है, चार-छः महीनों से उन्हें अभी तनख्वाह नहीं दी गई है। दूसरी ओर यह स्थिति है कि ऑफिसर रेवेन्यु विभाग की ओर से एक और पेज, डेढ़ पेज का सर्कूलर निकलता है, दूसरे विभागों को आदेश दिया कि नई भरती मत करो टेम्परेरी लोग रखे हुए हैं उनकी जगह भी इन सरप्लस लोगों को रखो लेकिन हकीकत यह है अध्यक्ष महोदय, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे कलेक्टर का ऑफिस हो, चाहे इलेक्शन का, चाहे बैकवर्ड का जनरली जो विभाग हैं, जहां जगह खाली थी वहां वहां नये नये लोगों की भरती लगातार की गई और अब भी की जा रही है और जो सरप्लस लोग हैं उनकी कोई बारी नहीं आ रही है।

मेरे पास एक पत्र आया है अध्यक्ष महोदय, अफसोस है कि मैं उस बेचारे व्यक्ति का नाम पता प्रस्तुत नहीं कर सकता।....

श्री अध्यक्ष—Vary kind of you.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not kind, but discreet of me because I know the consequences if the name and address happens to be known.

लेकिन पत्र जरूर है और उसका नाम पता काटने के अलावा जो तहरीर है वह मैं दिखाने को तैयार हूँ। उसने लिखा है कि कस्टम विभाग से चपरासी के तौर पर एब्जोर्ब किया गया फिर तहसीलदार के पास रखा और कहा कि बर्तन मांजो, कपड़े धोओ और आखिर में लिखा है; हमने इस सरकार का क्या बिगाड़ा है कि हमने इतनी नोकरी की है, आखिर चपरासी में भी कोई सूटेबल और अनसूटेबल कैसे हो सकता है।

राज श्री हिम्मतसिंह—बर्तन नहीं मांजता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बर्तन नहीं मांजता, कपड़े नहीं धोता; तो इस पर कोई कायदा बन जाय तो फिर मेरा तो खुले आम मुलाजिमों को कहना है कि इन्कार कर दो। क्या करें, आखिर मुलाजिम सरकार हैं।

तो यह जो १० लाख रूपयों की मंजूरी के लिये कहा गया है यह उन लोगों के लिए नहीं जिनको अपने जीवन के संध्या काल में ये दिन देखने पड़े कि धूप में जरीब खींचो और फिर परिक्षा में बैठो, उनके लिये नहीं है। बल्कि यह रूपया उन लोगों के लिए है जिनको प्रोमोशन पर प्रोमोशन मिल रहे हैं और ऐसे भी प्रोमोशन मिल रहे हैं जिनके लिये रूल्स और प्रोसीजर की किताबों को

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ढूंढते ढूंढते डेढ़ महीना मुझे हो गया पर कोई पता नहीं चलता कि किस प्रकार उनको इस तरह प्रोमोशन मिल गये।

एक ओर यह १० लाख, जिनके लिये खर्च होंगे उनके लिये तो यह स्टेन्डर्ड एप्लाई कर रहे हैं और दूसरी ओर उन दूसरे लोगों के लिये पी. एस. सी. को इन्स्पेक्टर्स की लिस्ट भेज दी, उसके बूते पर ग्रेड १, २, ३ इस प्रकार नियुक्तियां करने के बारे में विचार शुरू हो गया और लगभग मामला तय होने को आया है, यह बड़ी सारी ओपॉर्च्युनिटी मिल गई। पी. एस. सी. ने जो निर्णय दिया वह तो फाइल कर दिया गया और इस विभाग के जो उच्च से उच्च अधिकारी थे कमिश्नर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा, यह जानकारी अभी अभी की है, मुझे जो जानकारी है उसी पर बता रहा हूँ कि कुछ ही दिन पहले कमिश्नर ने सर्कूलर निकाला कि ग्रेड ए. इन्स्पेक्टर्स का होगा उस पर निर्णय किये बगैर अपने दिमाग से या ऊपर का कोई टेलीफोन आ जाने की वजह से यह सर्कूलर लिख कर भेजा कि अपने यहां से पांच पांच नाम भेजो जिनको प्रोमोट किया जाय। यह पांच का आंकड़ा कहां से निकाला यह मैं नहीं कह सकता किसी आरबीट्रेरी तौर पर या स्वयं कुछ लोगों को प्रोमोशन देना था, अलग अलग आदमियों के नाम भेजो। फिर ये नाम छंटने लगे, क्योंकि सक्रेटेरियेट में सीव लगी हुई है। घूम-फिर कर सारे डिवीजनों से जो नाम आये थे वह तो छंटनी में रह गये और पांच सात आदमी बाहर निकल आये, वे आदमी अचानक फर्स्ट ग्रेड के इन्स्पेक्टर्स बन गये। पी. एस. सी. पहले राय आई, उनकी सीनियोरिटी बनी और बूढ़े पच्चीसर साल से काम किये हुए बुजुर्ग जिनको पी. एस. सी. ने ठीक माना था वे लोग गये खत्ते में। कुछ सब लोग जिनकी क्वालिफिकेशन ऐसी थी कि पहले तो किसी विभाग की नौकरी की थी, उनकी वह सर्विस काउन्ट की गई और इधर आये डेढ़-दो साल हुए कि, न मालूम उनके जूतों के नीचे रबड़ लगे हुए हैं, कि डेढ दो साल में इन्स्पेक्टर बन गये और सर्विस काउन्ट की गई तो उनकी पहले विभाग की और इस विभाग की कुल मिला कर ७ साल की सर्विस निकली।....

(श्री राज हिम्मतसिंह, सभापति, पदासीन)

पर उनकी एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है।...

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—सब कुछ कह दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मौका देख कर एक एक करके कहता हूँ कि क्या असर होता है! मैं तो मेरा काम करूंगा ही।

मैंने खास खास लोगों की, विशेष नियुक्तियां जो की गई है उनका उल्लेख किया है तथा और भी है। ऐसे गोलमाल करके बनाये गये और कहा जाता है कि टेम्पोरेरी देख-भाल के लिए एरेन्जमेंट किया गया है। एक ओर वे मुलाजिम हैं जो सरप्लस में हैं और ४५ साल के हैं। मगर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उनको कोई चान्स नहीं दिया जाता और दूसरी तरफ ६ या ७ साल की सर्विस वाले को लंघांग मरा कर फर्स्ट ग्रेड इन्स्पेक्टर बना दिया गया। क्या यह न्याय है या न्याय का ढोंग है ? तो मैं इस कोटि के प्रस्ताव के जरिये सारे सदन का ध्यान इस प्रकार के न्याय की ओर आकर्षित करूंगा। यह ऐसा व्यवहार किया जाता है जिसे दुर्भात पूर्ण व्यवहार कह सकते हैं। हजारों की संख्या में ऐसे मुलाजिम थे उनको इधर से उधर वार के प्रिज़नर्स की तरह से दौड़ाये जाते हैं। आज-कल इलेक्शन के टेम्पोरेरी डिपार्टमेंट में नये नये लोग लिए जाते हैं और सरप्लस के लोगों को पास तक नहीं फटकने दिया जाता है। अगर कस्टम के मुलाजिम नजदीक पहूंच जावें तो उनको कह दिया जाता है कि यहां से निकलो। कलेक्टर के आफिस में नॉनमैट्रिक ले लिए जाते हैं चाहे वह जयपुर में हो चाहे जालोर में हो। लेकिन अगर कोई नॉनमैट्रिक कस्टम का आदमी सरप्लस से जाता है तो कहते हैं कि वह एल. डी. सी. के लिये सूटेबल नहीं है। आपको मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रेवेन्यू में बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो चपरासियों से और पटवारियों से बढ़ते बढ़ते अधिकारी हुए हैं। अभी राजस्व मंत्री यहां पर नहीं हैं, डिप्टी राजस्व मंत्री ही बतावें कि वे कहते हैं कि वे लोग एब्जोर्ब हो गये तो कहां हो गये ? कागज़ों में हो गये क्या ? अगर हो गये कागजों में भी तो आप उनको न तो तनख्वाह देने के लिये और न काम देने के लिए तैयार हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि इलेक्शन सेक्रेट्री की तरफ से सरक्युलर निकल चुका है कि पहले सरप्लस को लेना चाहिए। मैं इलेक्शन सेक्रेट्री के हुक्म का जिक्र कर रहा हूं, आप परेशान न होइये। मगर लिये नहीं जाते। यदि आप इसमें ना कहेंगे तो मैं ऐसे केसेज़ पेश कर दूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)--ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई...

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं उल्टी बात कह रहा हूं। आज्ञा जरूर जारी हुई है। जो बात ठीक होती है उसको मैं ठीक कहता हूं, आप इससे परेशान न होइये। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो आज्ञा हुई है उसको इमिडिएट ऑफिसर अपनी टेबल के कांच के नीचे धर कर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हम सरप्लस को लेते नहीं है। आपने आज्ञा इस संबंध में जारी की, यह तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पालन करने के लिये आपने कोई आज्ञा जारी नहीं की। अभी अभी लोग परमानेन्ट किये गये हैं। अगर आप उनका नाम पता पूछना चाहें तो आप अपने दफ्तरों से पता लगा सकते हैं। आप पिछले तीन महीनों की लिस्ट मंगालें, आपको पता लग जावेगा। अभी तो सेक्रेट्री महोदयों के दिये हुए ऑर्डर चलने नहीं लगे हैं। आज गरीबों के नाम से जिनमें त्राहि त्राहि मची है, १० लाख रूपये लिये जाते हैं मगर उनको कोई फायदा नहीं होता। यह तो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं उनको ही फायदा होगा। इसीलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं यह चाहता हूं कि इसका जवाब एक एक चीज का दिया जावे ताकि जो बातें अनजाने में हुई हैं वे मुझे मालूम हों या गोलमाल जवाब देकर इन सब बातों को छुपाने की कोशिश करेंगे तो मैं फिर साबित कर दूंगा कि वास्तव में गलती हुई है और ऐसी स्थिति में सदन निर्णय करेगा कि यह जो मांग की गई

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है वह कटौती के रूप में दी जावे या पूरी को पूरी दी जावे। इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—माननीय चैयरमैन, माननीय सदस्य ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए जो जो बातें कहीं और जो देर तक भाषण उन्होंने दिया उसको मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मेरी धारणा माननीय सदस्य के प्रति यह थी कि वे शायद गरीबों के ज्यादा पक्षपाती हैं और जिम्मेदारी से सदन में सरकार के जो कायदे कानून बने हैं उनको जान कर, समझ कर, बात करते और देखते हैं कि सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो शायद वे उसके अच्छे कामों को एप्रीशिएट करें और जहां कमी रहती है तो उसे बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे उनके यह भाषण सुनकर मेरी इस धारणा को ठेस लगा। उन्होंने जो शब्द अनाचार, गलत भावना आदि काम में लिये, मैं समझता हूँ कि ऐसे जिम्मेदार शख्स भी ऐसे शब्दों का उपयोग सदन में कैसे कर सकते हैं? आप सब जानते हैं कि कोई भी राज्य का विभाग जब समाप्त होता है तो सरकार इसके लिए बाध्य नहीं होती कि उन लोगों को किसी विभाग में रखा ही जावे या राज्य सेवा में रखा जावे। इसके लिए कोई कानून नहीं कि जिसकी वजह से सरकार का यह जिम्मा हो कि उन व्यक्तियों को किसी भी विभाग में जगह दिलाने का उनका जिम्मा हो। इसके लिये कायदे बने हैं, उनके माफिक उनको सेवाओं में सुविधा दी जाती है, अगर वे उन केटेगरीज में नहीं आते तो उनको सर्विसेज से मुक्त होना पड़ता है। इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने यह समझा कि २५०० या पोने तीन हजार कस्टम के सरवेन्ट्स हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद में बेकार हों, यह मुनासिब नहीं होगा और जन कल्यानकारी राज्य के लिए शोभा की बात नहीं होगी। यह आवश्यक है कि उनको ज्यादा से ज्यादा काम देने की कोशिश की जावे और उसके लिए राज्य की ओर से पूरी पूरी कोशिश की गई और जैसा कि मैंने पिछले समय एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि कस्टम विभाग का एक भी कर्मचारी सरप्लस नहीं है, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसमें वे स्वयं विरोधाभासी थे। एक तरफ वे कहते थे कि बुड्ढे २ लोगों को ट्रेनिंग के लिये भेज दिया। वे जंजीरें लेकर इधर से उधर फिरें, यह उनके लिए ठीक नहीं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि काम उन्हीं को मिले जो काम के योग्य हों। उनकी धारणा यह है कि काम करें उनको ही रोटी मिलेगी और जो काम न करेंगे उनको रोटी नहीं मिलेगी। सरकार ने खुद ने उनके इन उसूलों को माना है। कि जो आदमी काम कर सकता है उसको काम दिया जावे और जो आदमी काम नहीं कर सकता उसको नहीं दिया जावे। जो काम नहीं कर सकता उसकी तरफदारी करने में कोई जिम्मेदारी की बात नहीं हो सकती है। आपने आगे चल कर यह बतलाया कि यह जो रकम मांगी जा रही है वह प्रिविलेज क्लॉस के लिये मांगी जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जिस वक्त कस्टम को समाप्त किया गया था और सेल्स टैक्स चालू किया गया उस समय सबसे पहले उसमें यह प्रोविजन किया गया था कि जितने नये आदमी की जरूरत होगी उसमें पुराने कस्टम विभाग के आदमियों को लिया जावेगा। माननीय चैयरमैन, इसके लिये यह सरक्युलर जारी किया गया कि कोई भी जगह खाली होगी तो उस रिक्त स्थान पर सरप्लस

[श्री अमृतलाल यादव]

कर्मचारियों में से नियुक्त किया जावेगा और अगर उसके विपरीत किसी ने कर दिया तो उसको तनख्वाह नहीं दी जावेगी।

इतनी पाबन्दियां की गई हैं। इतना ही नहीं, राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने भी जो सीनियर ऑफिसर्स की कान्फ्रेंसेज़ हुई उन कान्फ्रेन्सेज़ में मैंने और उन्होंने इस बात पर जोर दिया और राज्य के प्रत्येक कर्मचारी ने इसमें सहयोग दिया, प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष ने सहयोग दिया और अगर सहयोग नहीं देते तो इतनी तादाद में लोग खपा नहीं दिये जा सकते थे।

माननीय सदस्य का यह एतराज है कि उनको ट्रेनिंग में क्यों भेजा गया ? उन्होंने कहा, उस पर मुझे ताज्जुब है। अभी माननीय राजस्व मंत्रीजी बैठे हुए हैं, माननीय उप राजस्व मंत्रीजी बैठे हुए हैं, सदन के सम्मुख मैं यह कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने यह बात कही कि रेवेन्यू विभाग ने जो पटवारी ट्रेनिंग का समय रखा है, कम समय में उनकी ट्रेनिंग देने की जो बात कही गई है और कस्टम के कर्मचारियों के लिये ज्यादा समय इस कार्य के लिए रखा है, वह गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—समय नहीं, स्टैन्डर्ड ऑफ एक्ज़ामिनेशन अलग अलग रखने की बात कही थी।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने सुना नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—समय तो उनके लिए कम रखा गया है। रेवेन्यू विभाग द्वारा रेवेन्यू की ट्रेनिंग के लिए स्टेन्डर्ड ऑफ एक्ज़ॉमिनेशन ज्यादा रखा गया है और इनके लिए कम रखा गया है।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मैं यह भी साबित कर देना चाहता हूँ कि स्टेन्डर्ड ऑफ एक्ज़ामिनेशन के अलग अलग होने की जो बात कही जाती है, अथवा उनके लिए अलग पर्चे तय किए गए और इनके लिए अलग पर्चे तय किये गए, वह गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बिलकुल सही है।

श्री अमृतलाल यादव—तो माननीय सदस्य पर्चे लाकर बतावें, मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नोट कर लीजिये।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय चैयरमेन, मैं फिर निवेदन कर दूं कि आपका यह कहना है कि इनके एक्ज़ामिनेशन का स्टेन्डर्ड दूसरा है और रेवेन्यू की ट्रेनिंग का दूसरा है तो जैसा

[श्री अमृतलाल यादव]

कि मैंने निवेदन किया कि वे दो पर्चे ऐसे लाकर दे दें कि रेवेन्यू के पटवारियों के एक्ज़ामिनेशन का यह स्टेन्डर्ड है और कस्टम्स की ट्रेनिंग के कर्मचारियों के लिए यह स्टेन्डर्ड है, और अगर उन दोनों में फर्क आजाय तो मैं अवश्य ही उस पर विचार करने के लिए तैयार होऊंगा।

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास—नोट कर लीलिये।

श्री अमृतलाल यादव—वे जब आवेंगे तो मैं उनको देखूंगा और अगर यह बात सही होगी तो मैं उसके लिए अफसोस जाहिर करूंगा। लेकिन उल्टा यह कहना कि उनके साथ पक्षपात बरता जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, सही बात नहीं है। कस्टम विभाग के कर्मचारियों के लिए मैं माननीय चेयरमेन, आपके द्वारा निवेदन करूं कि उनको भी काफी वर्षों का राज्य सेवा में रहने के कारण अनुभव है। फर्ज कीजिये कि एक नाकेदार है, पटवारी और नाकेदार के कार्य में फर्क जरूर है लेकिन साधारणतया राज्य के कानूनों और सामान्य ज्ञान जो होना चाहिए वह उसको रहता है और साधारणतया यह माना भी जाना चाहिए कि इतने वर्ष तक राज्य सेवा में रहने के कारण जो जनरल नॉलेज होनी चाहिए वह उनमें होती है। इसलिए यह बात कहना कि उनके साथ कोई ज्यादती हुई है यह बिलकुल सही बात नहीं है और मुझे अफसोस है कि इस तरह की बातें यहां कही जाती है।

उसके पश्चात् उन्होंने यह बात कही कि जो रुपया मांगा जा रहा है वह रुपया प्रिविलेज्ड क्लास के ऑफिसर्स के लिए है और वह छोटे कर्मचारियों के लिए नहीं है। माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करूं कि अभी भी मेरे पास क्लासिफिकेशन्स हैं और उस दिन भी दी थीं और आज उनको देकर इसको मैं लम्बा नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी यह कहना चाहता हूँ कि एक सिद्धान्त यह तय कर दिया गया कि जहां जिस विभाग में जरूरत हो पहले उस व्यक्ति को जो कि कस्टम डिपार्टमेंट में रहा हुआ है, वहां लगाया जाय और यदि उस विभाग में जरूरत ऐसी समझी जाती हो कि अमुक क्वालिफिकेशन का चाहिए और वह व्यक्ति वैसा न हो तो दूसरे आदमी को लिया जाय और दूसरे डिपार्टमेंट को खास तौर पर कहा जाय। जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है हमने इसमें १६-२० को भी लगाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि राज्य की एफिशियेन्सी एक खास चीज होती है और उसको बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, न कि उसको घटाने की। जहां पर इन कर्मचारियों को लगाने की कोशिश की गई तो यह भी तय किया गया कि राज्य की एफिशियेन्सी में फर्क न आवे। लेकिन इस बात को एप्रीशियेट करने के बजाय यह कहा जाय कि उनको नहीं लगाया गया है, यह किया गया है, वह किया गया है, उचित नहीं है। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि हमने इन लोगों को लगाया और जहां योग्यता की बात थी उसका ध्यान रखा गया। अगर एफिशियेन्सी का ध्यान नहीं रखा जाय तो राज्य सेवा की एफिशियेन्सी में फर्क आ सकता है। जिन लोगों को हमने लगाया उनको उनकी योग्यता के अनुसार

[श्री अमृतलाल यादव]

लगाया और जिन लोगों को वाइन्डिंग में रखा गया है उनको भी इसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं जिस तरह से अब तक लोगों को लगाया गया है। हम इसी कोशिश में हैं और हमारे लिये ऑफिसर्स भी इस बात की कोशिश कर रहे है और विश्वास करते है कि लोग है उनको ३१ मार्च तक यथा-संभव लगा दिया जायगा।

आप उनको, किस तरह से लगाया गया है इस बात को भो देखेंगे तो कोई भी जिम्मेदार आदमी यदि प्रशन्सा नहीं करेगा तो उसके विरोध में यह कहने को उसको कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बातें कही गई, यह मेरी समझ में नहीं आया। उल्टे माननीय सदस्य को तो सरकार की सराहना करनी चाहिए थी।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो रुपया मांगा गया है वह इसीलिये मांगा गया है। समय की बात कही गई कि इतना समय लगा। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि तीन हजार कर्मचारियों को तीन महीने के समय में लगा देना मैं नहीं समझता कि ज्यादा समय है, जबकि इतनी परिस्थितियां हों, इतनी दिक्कतें हों, मैं नहीं समझता कि अधिक समय लगा है। मैं इस आलोचना को सुनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यह सरकार को तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि और ऑफिसर्स की तरफ से भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने रात-दिन एक करके इस बात को कोशिश की कि कम से कम समय में इन कर्मचारियों को लगा दिया जाय।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

यह जो रुपया मांगा गया है वह उनकी तनख्वाह के लिए मांगा गया है। जितने समय तक उनको नहीं लगा सके, उस समय के लिए उनको उनकी तनख्वाह का नुकसान नहीं होने दिया और उनको यह महसूस नहीं होने दिया कि उनको रोटी नहीं मिलेगी। उनकी तनख्वाह में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन लोगों को लगा भी दिया गया है। जो रुपया उनके लिये मांगा गया है उसके लिए सदन को सहर्ष स्वीकृति देनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इसी वजह से दूसरे किसी सदस्य ने इस पर आपत्ति उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन माननीय सदस्य ने तो एक लम्बा चौड़ा भाषण दे डाला, मुझे पता नहीं कि इसका क्या मतलब है? उनको सुविधा मिली और उन्होंने कह डाला। उनके स्वयम् के कहने में कितना विरोधाभास है। अगर आप इतमिनान करें तो मैं कह देना चाहता हूं कि आपने जिन बातों का जिक्र किया है वे बातें हो हैं, हमने उन पर अमल किया है, जो बेकार थे उनको रोटी दी गई, न केवल यह रुपया प्रिविलेड्ड क्लास के ऑफिसर्स के लिए रखा है जैसा कि आप कहते हैं, किन्तु यह उन कर्मचारियों के लिए भी रखा है जो कि थोड़ी तनख्वाह पाते रहे हैं। हमने उन सबके लिए यह रुपया मांगा है और यदि इसके लिए यह कहा जाय कि यह तो केवल प्रिविलेज्ड क्लास के लिए है, यह उचित नहीं है। मैं अपने आपको बहुत सीमित करना चाहता हूं,

[श्री अमृतलाल यादव]

मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। मैं यही निवेदन करूंगा कि यह मांग उचित है और आपको यह रुपया सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रोमोशन के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिये। इन्स्पेक्टर्स को प्रोमोशन दिया गया है।

श्रीअमृतलाल यादव—कई अवसर आवेंगे, हम बातें करेंगे।

(विराम)

और मौके आवेंगे। इस पर भी मैं कह सकता था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जरा कहिये। एक बात का उल्लेख ही नहीं आ रहा है तो जवाब है या नहीं, यह कैसे माना जाय? भाषण तो यहीं आकर खत्म हो गया।

एक माननीय सदस्य—कौनसा पोइन्ट बाकी रह गया?

श्री सभापति—जरूरत के माफिक जवाब दे दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पक्षपात पूर्ण प्रोमोशन्स किये इन्स्पेक्टर्स के, पी. एस. सी. को रद्दी की टोकरी में रख कर पांच-सात को कर दिया, उस पर भी तो प्रकाश डालिये।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मैंने शुरू में ही आपके सारे शब्दों का, अन्याय, पक्षपातपूर्ण, गलत भावना, दुर्लक्ष्य व उन सब चीजों का जो आपके कटमोशन में रखी हुई हैं, कस्टम विभाग के पुराने मुलाजिमों पर अन्याय तथा तरक्की के मामलों में पक्षपात बरता जा रहा है, जवाब दे दिया था। इन दोनों चीजों से ही शुरू किया था। फिर आप सुनना चाहते हैं तो दुबारा कह देना चाहता हूं कि ऐसा कोई पक्षपात और अन्याय नहीं हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, इतने प्रोवोकेशन के बाद भी अगर मैं कुछ नहीं कहूं तो अनुचित होगा। चेयरमेन महोदय, आज बड़ा ही दिलचस्प भाषण सुनने को मिला, इसलिये मैं समझता हूं कि आज की कार्यवाही सार्थक रही और यह भी सुनने को मिला कि कल्याणकारी राज्य के लिए कल्याणकारी कदम कैसे तेज और ठीक रफ्तार से उठाये जा रहे हैं, इसके साथ साथ एक चेलेन्ज भी दिया गया, इतनी देर केवल बातों ही बातों में रह गये थे, अब अपने तथ्य पर आ जांय, Let us come to facts.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सब से पहले कूद कूद कर चेलेन्ज दिया गया । इम्तहान का स्टेण्डर्ड तो अलग है, आप उसके परचे ही दिखादें और बाद में जोर से यह कहा गया कि इस बारे में जरूर कार्यवाही की जायगी।

कल परसों कभी भी दिखा दें चेयरमेन महोदय, शुभ काम में देरी क्यों। इसलिए मैं अभी बता देता हूं, इसी समय बता देता हूं और माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए, वर्तमान राजस्व मंत्री महोदय की जानकारी के लिए और भूतपूर्व राजस्व मंत्री की याददाश्ती के तेज करने के लिए बता देता हूं ।

जुलाई-अगस्त, १९५३ में उदयपुर के कर्मचारी जो पहले से रेवेन्यू विभाग में काम कर थे उनके सामने ऐसा प्रश्न आया तो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन महोदय की सलाह से यह निर्णय लिया गया कि उनका कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया जाय केवल फील्ड सर्वे का टेस्ट लेकर वापिस भेज दितेय जाय । फरवरी, १९५४ में जयपुर डिवीजन के ऐसे अन्ट्रेन्ड पटवारीज़ लेने का सवाल आया तो यह पर यह निर्णय हुआ कि इनका केवल प्रेक्टिकल सर्वे, फील्ड सर्वे का इम्तहान हो जाय और पास शुदा करार देकर भेज दिया जाय ।

अभी तो मेन्युएल की तैयारी हो रही है और आज सरप्लस जो है और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हैं उनका क्या हुआ, इसकी दो मिसालें मैं आपके सामने रख चुका हूं । इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को यह भी सूचना दे दूं कि पहली केटेगरी वालों के लिये रिटन टेस्ट हुआ ही नहीं।

मैं कहां से परचे पेश कर दूं, जब परचे दिये ही नहीं गये। कस्टम के जो सरप्लस लोग थे उनको, अलबत्ता परचे दिये गये उनका रिटन टेस्ट हुआ है । अगर आप ज्यादा टेकनिकेलीटी में जाना चाहते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये कह दूं (अश्रव्य) सबजेक्ट जो अधिकारियों ने उनके लिये रखा था उनका टेस्ट हुआ, रेवेन्यू विभाग के मामूली पटवारियों का टेस्ट नहीं हुआ । तो मैंने इस मांग पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया वे सुन्दर शब्द थे, इसके लिये माकूल भी थे । जो बात मैंने क्लेरिफाइ की है वह हकीकत है, जो आपके ध्यान में लाई गई है और सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में भी हर समय लाई जाती रही है ।

लिखित टेस्ट के बारे में और चाहे तो और आप अपने कागजातों को टटोल सकते हैं। आज रेवेन्यू विभाग में उन कर्मचारियों को खपाने के बजाय इस विभाग में अनट्रेन्ड व्यक्ति लिये गये हैं जिनका किसी प्रकार का टेस्ट नहीं लिया गया । सब उनके स्टेण्डर्ड से कम थे, उनका किसी प्रकार का टेस्ट नहीं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लिया गया अब लिये जावेंगे तो बात दूसरी है। पर उन लोगों ने क्या पाप किया था ? उन लोगों के लिए यह सारी एफीसियेन्सी कहां से आ गई सिर पर सवार होकर। तो यह जोर जोर से जो बात कही है गई उसका तो आप जवाब दे दें तो बहुत बहुत धन्यवाद।

दूसरी बात यह कही गई कि हमने लगभग पौने तीन हजार लोगों को एब्ज़ोर्ब करके काम पर लगा दिया। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि ऐसी बातें कैसे कह दी जाती हैं ? यह हो सकता है कि आपने उनको कागज़ों पर लगा दिया, सेक्रेटेरियट की फाइलों में लगा दिया। पर आपने क्या इस बात की भी जानकारी करने की कोशिश की है कि अमल में, असल में उनको काम में लगा दिया गया है या क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)--तनख्वाह उनको मिल ही गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जी हां, अगर आप इजाजत दे दें कि जिन जिन लोगों को पांच-पांच, छः-छः और सात-सात महीने से तनख्वाह नहीं दी गई हो उनको यहां से तनख्वाह के बिल पास करके तनखा दे दी जावेगी तो एवड़ का एवड़ तीन दिन में सेक्रेटेरियट में जमा करने का यह जिम्मा मुझ पर है। अलवर और भरतपुर से भी कहें तो यही कर सकता हूं। मंत्री महोदय को अलवर की जानकारी ज्यादा होनी चाहिये थी, पर अलवर से भी यहां पहुँचेंगे अपने अपने कागज़ लेकर यहां से भेजे हुए जिनको तनख्वाह नहीं मिली और अभी तक उनकी पोस्टिंग्स का ऑर्डर नहीं है। यहां से तो वे रेवेन्यु का सक्यूलर लेते हुए चले गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--तनख्वाह कहां से मिलेगी, फैल अगर हो गये होंगे इम्तिहान में वे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--चेयरमेन महोदय, सरकारी सक्यूलर की जानकारी मुझे मन्त्री महोदय को देनी पड़ेगी। मैं अगर भूल नहीं करता हूं तो ८ जुलाई, ५५ को इस विभाग का एक सक्यूलर निकला है जिसके लगभग दो साइक्लोस्टाइल्ड पेज हैं। तो इस सक्यूलर के अन्त में लिखा गया है कि उनको दो साल तक रिपीटेड मौका दिया, लेकिन एब्ज़ोर्ब तो कर ही लिया जावे। तो इम्तिहान में पास-फेल का यहां क्या सवाल है ? और फिर इसे तो जुम्मा जुम्मा आठ-दस दिन हुए हैं। इस बिना पर अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो यह साफ क्यों नहीं कहते, साफ कह दीजिये कि हुक्म तो यहां से जाता है पर अमल कोई दूसरा होता है।

तीसरी बात यह कही गई कि हमारे विभागों के लोगों ने माकूल कोऑपरेशन किया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)--यह तो जवाब में इतना टाइम लिया जा रहा है जैसे प्रस्ताव पेश कर रहे हों।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मेरी गलती नहीं है, उधर से जो जवाब दिया गया उनकी गलती है।

श्री सभापति—जब तक रिलेवेन्ट हैं तब तक ठीक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Thank you, Mr. Chairmen.

तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार को उनके सभी अधिकारियों ने बखूबी सहयोग दिया। अब वह कैसा सहयोग दिया इसके बारे में अभी मैंने अर्ज किया आपसे कि इधर से यह सरप्लस लोगों के लिए ऐसा सर्कुलर है और उधर से नये नये लोग भरती किये गये कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और दूसरे डिपार्टमेंटों में। मैं दो-तीन डिपार्टमेंटों के नाम भी बोल गया हूं। पर अगर तफसील चाहते हों, उनके नाम, पता, ठिकाना चाहते हों तो पहले यह घोषणा आपकी तरफ से हो जावे कि जितने महीनों से या अप्रेल के महीने से जब से सेपरेट रेवेन्यू का सर्कुलर निकला था उसके बाद से जितने नये व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं वे आज से कैंसिल होती हैं तो फिर नाम, पता, ठिकाना देने का जिम्मा मुलाजिमों का है कि जिन पर इन नई नियुक्तियों से आफतें आई हैं और अगर मुझसे आप कहेंगे तो मैं भी ये सब बता दूंगा।

एक ही महीने में नई भरती हुई हो सो बात नहीं; सितम्बर में हुई, अक्टूबर में हुई और इस महीने में भी हुई। केवल मात्र मुख्य मन्त्री महोदय को यहां बुला कर ऐसा भाषण यहां करा दिया जावे कि सर्कुलर की खिलाफ वरजी करते हुए जिस जिस विभाग ने नई नियुक्तियां की हैं they stand cancelled from today.

फिर वे कौन कौन हैं, इसकी सूची आप लोग मुझ से ले लें और दूसरों से भी चाहें तो ले लें, किसी से भी ले लें, कोई भी दे देगा। तो यह कोआॅपरेशन की बात कहने में कोई तथ्य नहीं है। हकीकत यह है कि यह कोई नहीं कहता कि पहले के लोगों के रहते और इस सरक्युलर के रहते नए लोगों को क्यों भरती किया गया। काम नहीं होगा तो जबर्दस्ती लोगों को लगा दिया जावे यह मेरा भी नहीं कहना। पर काम है तो फौरन पहले पुराने मुलाजिमों को मौका दिया जावे। पर तथ्य यहां भी दूसरा ही है। काम नहीं होते पर भी काम को पैदा किया गया। पद नहीं, फिर भी पद पैदा किया गया। इसमें जरूर कोआॅपरेशन मिला इन अधिकारियों का। समाजवादी व्यवस्था का जो उल्लेख करते हुए कहा गया कि जो काम करेगा वही तनख्वा लेगा पर मैं आपको बताऊं उनके समाजवाद के नारे में कितना वजन है, काम नहीं होते हुए भी कैसे कैसे लोगों के लिए काम क्रिएट किया जाता है। इस कस्टम विभाग से लोग सेल्स टैक्स विभाग में गए, ऐसा कहा गया। चेयरमेन महोदय मैं पूछना चाहता हूँ कि सेल्सटेक्स कमिश्नर जो पहले थे वे बाहर से लैंड सर्विस पर आए हुए थे, नाम उनका क्या है ठीक से नहीं मालूम; मेहरचन्द महाजन मुझे याद है और कस्टम विभाग के जो कमिश्नर थे वे कमिश्नर भी अब विभाग खतम होने के बाद सरप्लस में आ गए; तो सरकार ने न मालूम कैसे निर्णय कर लिया और क्यों कर लिया, पर अलबता कर लिया और सेल्सटेक्स विभाग

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

का नाम बदल कर एक्साइज़ और टेक्सेशन कर दिया। इस विभाग का डेज़िग्नेशन ही बदल दिया और फिर कस्टम के कमिश्नर को इस विभाग में कमिश्नर बना दिया और मेहरचन्द को असिस्टेन्ट कमिश्नर कर दिया।

श्री सभापति—आपके कट मोशन्स बहुत से हैं। उनके लिए भी कुछ समय रिज़र्व रखिये। सभी टाइम इसमें मत लगाइये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसमें यह नहीं फिट बैठेगा साहब, यह तो कस्टम में ही फिट बैठेगा। यह कहा गया है कि काम नहीं हो तो क्या करें। पर इनके लिए तो काम क्रिएट कर दिया जाता है और उनके लिए होते हुए भी कह दिया जाता है कि काम नहीं हो तो क्या करें, इम्तिहान पास करने न करने की आड़ लेते हैं, नई नई नियुक्तियां कर करके अपने अपने भाई भतीजों और सगे सम्बन्धियों को भर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप तो हर एक जगह फिट कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, हरेक को हरेक जगह फिट नहीं कर सकता। पर जो मिनिस्टरों के सिलसिले में बात आती है तो अनफिट को हरेक जगह फिट करने का जिम्मा तो आप लोगों ने ले रखा है। यह उधर का ही काम है, इधर का नहीं। अनफिट के बारे में ध्यान दिलाने का जिम्मा मेरा है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि काम नहीं रहता है तो काम क्रिएट भी कर दिया जाता है। कहते हैं पहले पुरानों को मौका देंगे फिर नये लोग लेंगे। पर पुरानों को मौका दिये जाने से पहले नए लोगों को लिया गया है। इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आप पहले सचिवालय में ही जांच कर लें और फिर यहां जितने हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जांच कर ली जावे और इसके बाद फिर मैंने जो शब्द कहे, नाप तोल कर कहे हैं कि दुर्लक्ष्यपूर्ण और अवांछनीय। और अगर ये शब्द तथ्य से सम्बन्ध नहीं रखते हैं तो बात दूसरी है। अन्त में माननीय चैयरमेन महोदय कि पक्षपात के सिलसिले में ये शब्द जान बूझकर प्रयोग किये थे क्योंकि बाद में यह कह दिया जावेगा :

"I have been taken by surprise."

तो इसका उत्तर नहीं मिला। अब माननीय मन्त्री महोदय, की उत्तर देने के बारे में उत्कंठा भी नहीं मालूम होती। वे कल्याणकारी राज्य का जो जोश रखते हैं वह जोश इस मामले में आकर कैसे ठंडा होगया यह जरा समझ में मुझे तो आता है पर अब और लोगों के भी समझ में आ जावेगा। नाप तोल कर शब्द जिम्मेदारी से कहे जावें तथ्यपूर्ण आंकड़े पेश करने में जितनी रोक की जाती है, कहां क्या स्थिति है, कहां क्या गड़बड़ी है मैंने तो इस बारे में जो बातें कहीं वे बिलकुल

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

स्पष्ट और निश्चित जानकारी के आधार पर कही हैं। इस विभाग के इन्सपेक्टरों के बारे में कहीं, प्रोमोशन जितनों को दिये उनके बाबत फिर कहा जा सकता है। उनको पता न हो, यह बात नहीं है, उनको पता तो है पर न मालूम क्यों उत्तर नहीं देते बन पड़ रहा है।

और एक विशेष सुझाव है जिनका कॉल सर्विस का सात वर्षों का है। सर्विस कॉल जब बताया जाता है तो ४८ की विभागीय सूची में नाम भी नहीं है। ये सब बातें हैं। फिर इनका जवाब क्यों नहीं देते आप ? अगर गलत है तो आप कहें न कि यह गलत आरोप लगाया जा रहा है, तथ्यहीन आरोप लगाया जा रहा है। नहीं तो फिर जरा कम से कम अब तो इतना तो करें कि अब तो यह ज़ाहिर करदें कि पी. एस. सी. को रेफर किया जावेगा। डेढ़ डेढ़ साल में छलांग लगाकर दो दो और तीन तीन प्रोमोशन दिला दिये और पुराने काम करने वालों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनको सैकिंड ग्रेड तक पहुँचा दिया, उनको फर्स्ट ग्रेड तक क्यों छलांग लगवाते हो। ऐसी बात नहीं है कि इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखा जावे। मैं भी इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए जिक्र करूं पर ये जो प्रोमोशन इस समय हुए हैं वे तो एकोमोडेट करने की दृष्टि से हुए हैं और क्या ही अच्छा हो कि जितना जल्दी उन प्रोमोशनों को रद्द करके नोरमल तरीकों से प्रोमोशन दिलाने के बारे में सरकार कदम उठावे। ऐसा करना सरकार के बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। बड़े आदमियों को तो बड़े ही ढंग से काम करना चाहिए। और यह भी शोभा नहीं देता कि इस प्रकार से प्रोमोशन करके सैंकड़ों डिज़र्विंग आदमियों का गला दबावें। आप ऐसा करते हैं तो फिर जबान जबान पर यह बात चलती है कि इस राज में तो यह चलता है कि बड़ों बड़ों के सगे सम्बन्धियों और रिश्तेदारों को तरजीह मिलती है, उनके लिए कायदे कानून तो गये एक तरफ और उनको ही दौड़ दौड़ कर प्रोमोशन मिलता है। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि ये सरकारी अधिकारी जो इधर उधर करते हैं इसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है और माननीय मन्त्री महोदयों को भी है। और...

श्री भैरूं सिंह (१६) —नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— नहीं, अच्छी तरह से है। अगर नहीं होती तो वे इन्कार करते, इसके बारे में धौंस धप्पस बताते, सुबूत पेश करने पर जैसे अपने यहां कहावत है कि हथियार डालने पर क्या हथियार उठाते हो। तो जब उनकी इतना सुनने के बाद जबान ही बन्द हो गई कि इन सारी बातों का वे कोई उत्तर दें तो ऐसी स्थिति में मैं कम से कम नहीं चाहूंगा कि और बाकी हथियारों का या और बाकी चीजों का उन पर प्रयोग करूं। अब भी फिर फरवरी-मार्च में मौका आवेगा जब तक कि सरकार नहीं करदे। अगर इतना कहने के बाद भी इस कहने की परवाह नहीं की गई तो फिर उनके लम्बे लम्बे भाषणों का, और समाजवादी पैटर्न का और लम्बी-चौड़ी बातें करने का कोई तथ्य नहीं है। हां, यह केवल एक ही विभाग की बात हो और एक ही के बारे में मेरा इशारा हो ऐसी बात नहीं है। यह चार-पांच विभागों के बारे में मेरा इशारा है; note one but all of them.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसलिये वे आपस में हंस हंस कर बात कर रहे थे उनकी थोड़ी सी जानकारी के लिए और कह दूं कि एक ही के बारे में मेरा कहना नहीं है कि एक ही ऐसा है। एक ही के बारे में तो केवल मिसालें बताई हैं। पर उसी कैटेगरी में सभी के सभी फिट बैठते हैं। कोई ऊंचे रिलेशन में कोई नीचे कोई नेक्स्ट के रिलेशन में बैठता है, पर अलबत्ता रिलेशन के बैठने में ऊंच-नीच का फर्क आता है पर कैटेगरी वही की वही लागू होती है। एक आध को छोड़ कर। तीन चार के बारे में तो निश्चित रूप से जानता हूं, कई बातों के बारे में, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था जवाब ही नहीं दिया गया। तो एक बार वित्त मन्त्री महोदय ने एक प्रिन्सिपल पुरःस्थापित किया था कि जिस चीज का जवाब नहीं दिया गया हो वह सही है ऐसा मान कर चला जावे। तो मैं उसी प्रिन्सिपल की बात की याद दिलाते हुए, उसे दोहराते हुए यह कह देना चाहता हूं कि वह अब भी लागू है कि जिन चीजों का जवाब नहीं दिया गया वे चीजें सही है और इसलिए सही हैं कि चूंकि उनका जवाब नहीं दिया गया। उनको सही मानते होंगे तो उनको ठीक करने का अरसा दिया जावे, उनको यह सोचकर मैं और बातों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। पर फिर भी मेरी प्रार्थना है कि क्योंकि कटौती को साफ स्वीकार करने की गुंजाइश तो रक्खी नहीं इसलिये इसे मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६ के बारे में श्री हरिकृष्ण व्यास का जो कटौती का प्रस्ताव है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिए, मांग संख्या ४६, मेजर हैड १३ अन्य कर तथा महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को दस लाख तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या-४७ सामान्य प्रशासन

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय चेयरमैन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ४७, मेजर हैड २५-सामान्य प्रशासन के सम्बंध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० २०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इस हैड में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, टोकन ग्रान्ट चाही गई है। वह तीन बातों के लिए है। एक तो एन्टीकरप्शन बोर्ड स्थापित किया गया है। राजस्थान में उसके खर्चे के लिए, दूसरे राजप्रमुख को डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट के लिए और तीसरा डिक्रीटल एमाउन्ट है, उसके बारे में है। यह मेमोरेन्डम में दिया गया है। उसमें यह स्पष्ट है। मुझे साफ करने की और कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि यह मांग स्वीकार की जाय।

श्री चांद मल मेहता—चेयरमेन महोदय, मांग संख्या ४७ पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि इस मांग में एक रुपये की कमी की जाय (राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु)।

चेयरमेन महोदय, राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही है और उस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान ने कई मामलों में तरक्की की है और वह तरक्की योजनाबद्ध हुई है। लेकिन भ्रष्टाचार में भी दिनोंदिन तरक्की हुई है और बिना योजना बनाये ही वह तरक्की बहुत काफी ऊंची स्टेज पर पहुंच गई है और दिनोंदिन वह आगे बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार का एक भी विभाग ऐसा नहीं मिलेगा जहां भ्रष्टाचार का दौर-दौरा नहीं हो। जहां तक कि योजनाओं का ताल्लुक है यह कहना पड़ेगा कि इस भ्रष्टाचार की वजह से योजनाओं में जो करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है उसमें बहुत बड़ी रकम बरबाद होती है। जहां तक न्याय मिलने का ताल्लुक है यह कहना पड़ेगा कि इस कानून के युग में भी इसी भ्रष्टाचार की वजह से न्याय दूर होता जा रहा है। जहां तक प्रमोशन, नौकरी आदि मिलने का ताल्लुक है यह कहना पड़ेगा कि इस मामले में भी भ्रष्टाचार काफी कम नहीं है। ऐसे मामले भी देखने में आते है कि जहां डाकुओं ने डकेतियां की हैं, लेकिन उन लोगों को सजा मिलने की बात नहीं। ऐसे मामले भी आते हैं जहां चोरों को पुलिस ने छोड़ दिया है और विधान सभा में उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन पहले तो जल्दी कार्यवाही नहीं की गई और जब कार्यवाही की गई तो कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। ऐसे मामले भी देखने में आते हैं कि जहां अनाज लटाई कर लिया सरकार ने गलत तरीके से और वह अनाज हजम कर गये। बाद में एक्शन लेने का मौका नहीं हुआ। इस तरह की चीजें आये दिन हो रही हैं और सामने आ रही हैं। वे सारी घटनाएं ऐसी हैं, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह भ्रष्टाचार रूपी रोग यहां तक बढ़ा है कि ऑफिसरों के मातहतों पर किश्तें मुकर्रर हो गई हैं, और इन किश्तों की वजह से भ्रष्टाचार की जांच होना मुश्किल हो गया है। ऐसे मामलों की जांच करदी गई और साबित कर दिया गया लेकिन वह लोग बाद ऐसी एजेन्सियां के पास पहुंच जाते हैं जिन एजेन्सियों की जयपुर शहर में दिनों दिन वृद्धि हो रही हैं, वे ऐजेन्सियां भ्रष्टाचार की जांच के कागजों को दबा देती हैं। यही नहीं करती है, बल्कि उनको सजा दिलाने की बजाय तरक्की दिला देती हैं। ऐसी मिसालें मौजूद हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह भ्रष्टाचार रूपी फोड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि हमें बहुत मेजर ऑपरेशन करने की जरूरत है और मेजर ऑपरेशन करने के पहले जहां विशेषज्ञ होंगे और मैं मानता हूं कि सरकार में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं वे उसका मेजर ऑपरेशन करेंगे।

[श्री चांदमल मेहता

लेकिन मैं खुद ही यह आवश्यक मानता हूं कि इस मेजर ऑपरेशन के सम्बन्ध में अपनी ओर से भी सरकार को कुछ सुझाव दे दूं कि मेजर ऑपरेशन के करने से पहले उन सुझावों को जो मैं देना चाहता हूं उन पर विचार कर लिया जावे और उसके बाद में इसका मेजर ऑपरेशन किया जावे जिससे कि राजस्थान में भ्रष्टाचार रूपी रोग समाप्त हो सके।

चेयरमेन महोदय, सबसे पहली बात जो आवश्यक है वह तो यह है कि सर्विस क्लास में जो असंतोष है, वह समाप्त किया जाय। जब तक सर्विस क्लास में असंतोष समाप्त नहीं होता तब तक यह भ्रष्टाचार रूपी रोग समाप्त होने वाला नहीं है। जिन एजेन्सियों के जरिये राज्य के अधिकारीगण मजबूर किये जाते हैं, गलत काम करने के लिए, जिन एजेन्सियों के जरिये राज्य के कर्मचारीगण पर भ्रष्टाचार की जांच के कागजात दबाने के लिए दबाव डाला जाता है, वह दबाव जो है वह समाप्त किया जाना चाहिए, और वह दबाव जब खत्म हो सकता है तब कि सर्विस क्लास को यह गारन्टी हो, यह श्योरिटी हो कि उनका जो वाजिब हक है, उनका वाजिब दर्जा उनको मिलेगा, उनकी वाजिब तरक्की, उनका प्रमोशन, जो है वह मिलेगा। और जब तक उनको इस तरह से विश्वास न होजाय, जब तक वह एजेन्सियां बराबर काम करती रहेंगी और उन एजेन्सियों के जरिये भ्रष्टाचार की तहकीकात के कागजात को दबा दिया जायगा, और भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा, यह समाप्त नहीं हो सकता तब तक माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने इस मामले में काफी गहराई तक जाने की कोशिश की कि किस रूप में राज्य कर्मचारियों में जो असंतोष है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जहां मैं गहराई में गया वहां मैंने बहुत कुछ जानकारी इस सदन में प्रश्नों के जरिये प्राप्त की है। वह जानकारी एक तरह से ऐसी है जिसके बारे में कहा जाय कि जानकारी गलत है। वह एक प्रामाणिक जानकारी है जो कि सरकार की ओर से दी गई है।

मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे सबसे बड़े ऑफिसरों को ले लें जो कि आई. ए. एस. की केडर में काम ले रहे हैं। आर. ए. एस. की केडर के आदमियों से आई. ए. एस. का काम लेने के पहले यह बहुत आवश्यक है कि इस बात को देख लिया जाय कि सीनियोरिटी लिस्ट में कौन किस जगह है। सीनियोरिटी के आधार पर कोई अफसर आर. ए. एस. से आई. ए. एस. में जाय। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ेगा कि जहां ऊंची सीनियोरिटी का मामला है वहां यह बात नहीं हो पाई है। २१ तारीख को एक प्रश्न के दौरान में एक लिस्ट मुझे दी गई थी वह लिस्ट दी गई है उन व्यक्तियों के जो कि आर. ए. एस. के कर्मचारी है, लेकिन जो आई. ए. एस, की केडर में काम कर रहे हैं। उसमें से एकाध आदमी का नाम मैं देना चाहता हूँ। एक श्रीमान हैं जिनका सीनियोरिटी लिस्ट में ४६ वां नम्बर है, लेकिन ४६ वां नम्बर होने के बावजूद आज वह आई. ए. ऐस. की केडर के स्थान पर काम कर रहे हैं और आई. ए. एस. का सिलेक्शन जब होगा तो उस आदमी पर नजर होगी कि वह आई. ए. एस. की केडर में काम कर चुका है। इस लिहाज से उनका हक हो जाता है.....

एक माननीय सदस्य—वह कौन महोदय है, उनका नाम बता दीजिये ?

श्री चांदमल मेहता—मैं नाम बता देना चाहता हूँ। वह हैं श्री जे० पी० अरोरा, जिनको अभी हाल में कलेक्टर झुन्झुनू मुकर्रर किया गया है। ऐसे एक नहीं, बल्कि ऐसे कई नाम हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जहां इस तरह की स्थिति है, इतनी ऊंची सेवाओं में जहां जिसको हक मिलना चाहिये उसको हक नहीं मिलकर उसके नीचे के दर्जे वाले को अगर हक मिल जाता है तो उनके दिमाग में यह बात आती है कि हमारा कौनसा अपराध है ? आज आम तौर पर हमारे देश के माने हुये नेता यह आवाज उठाते हैं कि Seniority Should be maintained. लेकिन राजस्थान में यह बात नहीं है। राजस्थान में सीनियोरिटी मैनटेन करने की बात नहीं है। सीनियोरिटी के अलावा क्या बात मेनटेन की जाती है, यह हमारे माननीय मंत्रीगण ही जवाब देंगे, जिससे कि हम इस नतीजे पर पहुँच सकें कि आखिरकार यह इस तरह की बात क्यों है ?

मैं अब दूसरी ओर फिर आना चाहता हूँ कि अभी हाल में कुछ व्यक्तियों को आर. ए. एस. की केडर की पोस्ट्स दी गई हैं जो कि तहसीलदार सर्विस और दूसरे ढंग की सर्विस में काम करते थे। उन आदमियों को जहां तक मैं गहराई पर पहुँचा हूँ वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम तहसीलदारों की सूची में बी ग्रेड में बहुत नीचे है, लेकिन आर. ए. एस. की ग्रेड उनको दे दी गई है। पहले उनसे ऊंचे कितने ही आदमी हैं जो कि पूछते हैं सरकार से कि हमारा कौन सा अपराध है जिसकी वजह से हम पीछे हैं और हमारे से पीछे आने वाले आदमी आगे हैं, मेरे खयाल से इसका कोई जवाब नहीं। २१ तारीख को एक प्रश्न में मुझे इसके बारे में जवाब मिला और यह कहा गया कि रेवेन्यू बोर्ड ने सिफारिश की इसलिए कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या रेवेन्यू बोर्ड ने लिख दिया और उसी के ऊपर स्वीकृति देना आवश्यक है और क्या रेवेन्यू बोर्ड के सामने कोई उसूल या सिद्धान्त की भी आवश्यकता नहीं ? यही नहीं, इससे भी आगे क्या हुआ कि जो आदमी नायब तहसीलदार पी. एस. सी. से कनफर्म नहीं हुए हैं उनको कार्यवाहक तहसीलदार बना दिया गया है।

वे व्यक्ति जो कन्फर्म्ड नायब तहसीलदार हैं उनकी सीनियोरिटी की बात तो जाने दीजिये लेकिन जो व्यक्ति पी. एस. सी. द्वारा कन्फर्म्ड नायब तहसीलदार भी नहीं हैं उनको भी ऑफिशियेटिंग का मौका दिया गया है। मेरे पास ऐसी कई नजीरें मौजूद है। मंत्रीजी यदि चाहें तो मैं उन्हें बताने को तैयार हूँ। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस क्लास के बारे में मैंने दो चार बातें आर.ए.एस. और आई. ए. एस. के बारे में कहीं।

अब मैं दूसरी बातें भी कहूँगा। सहकारी समितियों का डिपार्टमेंट बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। हम सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ स्टेट बनाने जारहे हैं। ऐसे समय में भी सहकारी विभाग जैसे विभाग में पक्षपात से काम लिया जा रहा है। एक सीनियर व्यक्ति को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार बनाया गया था और वे काफी सीनियर थे। १५ महीनों तक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का काम करने के बावजूद भी और उनका काम खराब न होते हुए भी उनको रिवर्ड किया गया और उनके स्थान पर उस आदमी को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार बनाया गया जो सीनियोरिटी में उनसे बहुत पीछे था और उसके

[श्री चांदमल मेहता]

खिलाफ रिश्वतखोरी के चार्ज हैं, व उसकी सर्विस शीट में रिमार्क्स लगे हुए हैं लेकिन उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनाया गया।

मैं कुछ बातें वित्त मंत्रीजी के विभाग के बारे में भी कहूँगा क्योंकि उन्होंने मांग पेश की है। अभी अकाउन्टेन्ट्स की पोस्ट्स के लिए पी. एस. सी. ने सिलेक्शन किया था। उस समय उन्होंने कुछ आदमियों को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बावजूद भी जिनका नम्बर सिलेक्शन में आ गया था उनको अकाउन्टेन्ट मुकर्रर न करके पुराने उन आदमियों को जो रिजेक्ट हो चुके थे, अकाउन्टेन्ट बना दिया गया और वे आज काम कर रहे हैं। उनको ट्रेनिंग देने के लिये क्लासेज़ खोली गईं और फिर उनको इम्तहान दिलाकर उनको अकाउन्टेन्ट बना दिया गया। यही नहीं मैं और आगे यह कहूँगा कि उन आदमियों में से कई ऐसे थे जो पहले अकाउन्टेन्ट नहीं थे। शायद यह कहा जायगा कि जो पुराने अकाउन्टेन्ट थे उनको ही लिया गया लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जो पहले केवल सीनियर क्लर्क थे उनको भी पास न होते हुए भी लिया गया। यदि आप उनके नाम जानना चाहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा। यदि मैं सब बातों की तफसील में जाऊं तो समय बहुत लग जायगा। मैं आशा करता हूँ कि मंत्रीजी मुझे विश्वास दिलायेंगे कि सीनियोरिटी का पूरा खयाल रखा जायगा जिससे कि सर्विस क्लास में असन्तोष न फैले और वे एजेन्सीज़ पनपने न पावें जो भ्रष्टाचार को फैलाने का काम करती रहती है। यदि ऐसा कर सकेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे यह मैंने बात कही।

अब मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि आम तौर से देखा गया है कि भ्रष्टाचार पनपने में बहुत बड़ी मदद इस बात से मिली है कि जब अधिकारी अपने अपने अधिकार के खिलाफ काम करते हैं तो ऐसा करने के बदले में उनको कोई सजा नहीं मिलती। जब कोई अधिकारी अपने अधिकार के खिलाफ काम करता है तो एक बात यह है कि जो आदमी उससे नाराज है वह अपील करें, लेकिन यह फैसला अपील में नहीं होता कि जिस अफसर ने खिलाफ कानून काम किया है उसको सजा दी जाय। यदि कानून के खिलाफ काम करने वाले को सजा दी जाय तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, क्योंकि लोगों को डर रहेगा कि अनुचित काम किया तो सजा मिलेगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ वह यह कि सरकार ने भोज पर से प्रतिबन्ध हटा दिया लेकिन आज भी ऐसी हालत मौजूद है कि प्रतिबन्ध हटाने के बाद भी गरीब किसानों को परेशान किया जाता है और उनसे रुपये लिये जाते हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन ऐसी नजीर मौजूद है कि भोज पर से प्रतिबन्ध हटाने के बाद भी लोगों पर मुकदमें चलाये गये। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में गृह मंत्रीजी ने स्वीकार किया कि फलां मामले में भोज पर से प्रतिबन्ध उठाने के बाद भी केस चलाया गया। लेकिन इस प्रकार का केस चलाने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता बल्कि मौका पड़ने पर उन व्यक्तियों को प्रमोशन भी दिया जा सकता है।

[श्री चांदमल मेहता]

कई जगह तहसीलदार लोग, उनका ताल्लुक न होते हुए भी दूसरों के काम में दखल दे देते हैं। सिंचाई विभाग से संबंधित जो काम हैं उनसे तहसीलदारों का कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन वे नहर तुड़वा देते हैं जब उसके खिलाफ अपील हुई तो तहसीलदार का हुक्म ठहरने नहीं पाया लेकिन अनुचित काम करने के लिए उनको कोई सजा नहीं दी गई। जो अधिकारी अपने अधिकार के बाहर का काम करते हैं उनकी जांच करने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नही की है लेकिन विधान सभा में प्रश्नों के जरिये जब सरकार का ध्यान ऐसे मामलों की ओर दिलाया जाता है तो सरकार को तत्काल उस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि गड़बड़ियें खत्म हो सकें।

तीसरी बात यह है कि सर्विस क्लॉसेज़ में तनख्वाह का भेद भाव है। वह ऐसा है कि एक ओर तो ऐसे आदमी हैं जो बड़ी बड़ी तनख्वाह, महंगाई अलाउन्स आदि पाते हैं और उनको कार, बंगले नौकर आदि दिये जाते हैं और शायद उनकी जान का ज्यादा खतरा हो तो उनके यहां पुलिस गार्ड भी रख दी जाती है। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अपनी जिन्दगी चलाने भर को पूरा नहीं मिलता तो सरकार के इस असमानता की ओर भी ध्यान देना चाहिये। जैसे पटवारी को ३५ या ४० रु० की तनख्वाह मिलती है जिसका खर्चा इससे नहीं चलता तो फिर उससे क्या उम्मेद की जा सकती है कि वह ईमानदारी से रकम की वसूली करेगा ? उसके भी बाल बच्चे हैं, विवाह-शादी, गमी आदि होती हैं इस सब का खर्चा उसको चलाना पड़ता है। ऐसी हालत में उससे कैसे आशा की जा सकती है कि वह ईमानदारी से काम करेगा। यदि हम ऐसी उम्मेद करते हैं तो गलती करते हैं। कम तनख्वाह देने से यदि भ्रष्टाचार बढ़ता है तो मैं कहूँगा कि सरकार को उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिये। आम तौर से गिरदावर और दूसरे मामूली कर्मचारियों के रिश्वत लेने के मामले सामने आते हैं तो उसका कारण यह है कि आप उनको तनखा कम देते हैं। उनको भी अपना खर्चा निकालना पड़ता है विवाह, शादी आदि करनी पड़ती है और इसलिए वे मजबूर होकर ऐसा करते हैं। उनके स्तर को ऊंचा हमें उठाना चाहिये। पिछले समय जब बजट पेश किया गया था तब सोशियेलिस्टिक पेटर्न की चर्चा चली थी तब मैंने वित्त मंत्रीजी से कहा था कि आप तनख्वाह में भेद-भाव कम करिये तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम इस भेद-भाव को कम करने का कदम उठावेंगे लेकिन दुःख के साथ कहूँगा कि दूसरे मामलों को प्राथमिकता दी गई लेकिन इस ओर कुछ भी नहीं किया गया। यही भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण है। सरकार को इसे जल्दी खत्म करना चाहिये।

चौथी बात यह है कि जो मामले भ्रष्टाचार विभाग के सामने जाते हैं उन पर किस तरह से और क्या कार्यवाही की जावे कि जल्दी से जल्दी उसका फैसला हो, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। भ्रष्टाचार निरोधक मण्डल बनाया गया लेकिन उसके बनाने के बावजूद भी भ्रष्टाचार में कमी आई हो, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक मण्डल के ध्यान में किस तरह से कोई बात लाई जाती है और किस तरह काम होता है इसका हमें पता नहीं चला। ऐसे मामले मौजूद हैं जिनके बारे में विधान सभा के सामने पूरे तथ्य आये हैं लेकिन आज तक उन मामलों को भ्रष्टाचार निरोधक मण्डल ने अपने हाथ में नहीं लिया।

[श्री चांदमल मेहता]

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जो चोरी से सम्बन्धित है। किशनगढ़ तहसील में नरवा गांव के पास चोरी हुई जिस में कुछ माल गया। वहां के पुलिस चौकी के इन्चार्ज ने कुछ तत्परता दिखाई जिसके फलस्वरूप चोर को पकड़ लिया गया। बाद में उसने सब इन्सपेक्टर, किशनगढ़ को लिखा कि तफतीश के लिये आइये लेकिन वे कई दिन तक नहीं पहुँचे। कई दिन तक चोर चौकी में रहा। जब चौकी के इन्चार्ज ने देखा कि तफतीश करने के लिये नहीं आये हैं तो उसने चोर को थाने में भेज दिया, लेकिन होता यह है कि वहां से कोतवाल चोर को लेकर रवाना होता है परन्तु बीच में से उसको भगा देता है। रेकार्ड पर कोई चीज नहीं आती और सारा मामला यों ही रह जाता है। इस पर विधान सभा में प्रश्न पूछा गया तो मंत्रीजी ने इन्कार किया कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। मैंने उस पर चेलेन्ज दिया, उसके पश्चात चार बार मैंने पर्सनली उनसे कहा कि आप जांच क्यों नहीं करते। आप भ्रष्टाचार निरोधक मण्डल के अध्यक्ष हैं, आपको जांच करनी चाहिए। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं बल्कि चार बार कहा लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि जांच क्यों नहीं कराई गई, जब चौथी बार उनसे कहा तो उनकी निद्रा भंग हुई और जांच कराई गई, कुछ कहने के बाद किया है। अच्छा होता कि इस सम्बन्ध में मुझसे थोड़ी जानकारी ली गई होती या जांच होने को कहा होता। जांच वहां होनी चाहिये थी जहां कि चोर को पकड कर रखा या मौके पर जा कर जांच की जाती परन्तु जांच इस तरह की गई कि उससे सारे मामले को दबा सकें और उन सारे कागजों को दबा दिया। सिर्फ एक काम किया कि इस मामले को कैसे ठंडा पटकें, इसके लिए उस सब इन्सपेक्टर को किशनगढ़ से ट्रान्सफर कर दिया कि यह एम. एल. ए. की नजर में नहीं आयेगा।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को ध्यान में लाने का तरीका है कि उसमें परिवर्तन कर दिया जाय। कोई भी इन्डिविज्युअल अपनी तरफ से लिख कर भेज दे या विधान सभा का सदस्य विधान सभा में उस मामले को लाये उसकी जांच की जाय। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की ओर से तय किये गये मामलों की संख्या बताई जो विभागीय है। दो-तीन साल में जो कार्य किया गया उसको उलट फेर कर, शेप बदल कर संख्या दी है।

इन शब्दों के साथ मैं मेरा यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ और निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार हमारे मुल्क के लिये कलंक है, हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने में बाधक है। हमारे सरकार को सब से अधिक इस मामले को प्राथमिकता देनी चाहिये, अपने अपने आदमियों को खुश न रख कर यह सोचें कि वे ट्रस्टी के रूप में सरकार में हैं और यह भ्रष्टाचार का दोष जो चल रहा है उसको कम करना है।

श्री मानसिंह मेहर—माननीय चेयरमैन महोदय, परबतसर से आये हुए मेरे मित्र का भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव है उसके समर्थन में मैं भी दो शब्द निवेदन करूंगा।

[श्री मानसिंह महार]

राजस्थान में भ्रष्टाचार जिस सीमा पर पहुँच चुका है उसके लिए जो कुछ हम कर सकें वह थोड़ा है। लेकिन बात यह है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार जो है वह बंद तभी हो सकता है जब कि उसको ऊपर से रोकें। जब तक ऊपर से रोकने की कोशिश नहीं की जाती तब तक भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता।

चेयरमैन महोदय, अन्य बातें कहूं उससे पहले एक ताजी बात का जिक्र करूंगा जिससे कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं समझा कि भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड बनाना, भ्रष्टाचार विरोधी मंडल बनाना सब बेकार है, ढकोसला है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कुछ ही दिनों पहले मैंने राजस्थान के राष्ट्रदूत अखबार में पढ़ी थी कि कुछ दिनों पूर्व गंगापुर स्कूल की बिल्डिंग के बारे में कुछ इन्जीनियरों को मोअत्तिल किया गया था। यह राजस्थान के लिये, राजस्थान सरकार के लिये और इस तरह के बोर्ड और मंडलों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उन इन्जीनियरों के खिलाफ जो अपराध लगाया गया, आप जाकर देख लीजिये उस स्कूल को, बिलकुल नगण्य चीज है कि बिलकुल गलत काम किया गया है, पी. डब्लू. डी. के तरीकों का उल्लंघन किया गया है, आप जा कर अंगूलों से टटोलेंगे तो यह बात साबित होगी कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था उसके बावजूद भी हमारे मंडल ने यह सिफारिश की है कि उन इन्जीनियरों को एक साल के लिये तरक्की रोक दी जाय और उन्हें बहाल कर दिया जाय। इस प्रकार की बातों के लिये, चीजों के लिये बड़ी शर्म की बात है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इस प्रकार की जिन्दा मिसाल हमारे सामने आये और हमारी सरकार इस प्रकार से चश्मपोशी करे यह शर्म की बात है। यह एक ऐसा सनसनीखेज मामला था जिससे लोगों की आंखें खुल गई थीं, ७५ फी सदी पी. डब्लू. डी. का भ्रष्टाचार इससे बंद हो गया था लेकिन आज लोग कहते हैं कि इन्क्वायरी का क्या हुआ। हमारी सरकार ही नहीं विरोधी दल के मित्र भी इसमें शामिल थे और सरकार की जितनी कटु आलोचना इस कदम के लिये की वह और भी दुर्भाग्य की बात है। पिछले अधिवेशन में हमारे विरोधी दल के नेता ने फरमाया कि उन इन्जीनियरों को जल्दबाजी में मोअत्तिल किया गया था। मैं कहता हूं माननीय चेयरमैन महोदय, कि चोर को चोर कहा जाता है, सजा दी जाती है तो कोई अन्याय नहीं है। इसमें लम्बा पचड़ा लाते हैं कि यह नहीं किया गया, यह नहीं हुआ तो इस तरह से भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता।

भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसमें पहले शब्द यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी मंडल को भ्रष्टाचार रोकना चाहिये था किन्तु उसने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया है।

इसके बाद में माननीय चेयरमैन महोदय, आपके जरिये सदन को यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार विभाग जो है, भ्रष्टाचार विरोधी मंडल जो हैं, पर देखा जाय तो आज तक उन्होंने एक भी मुकदमे में जो कुछ किया है वह नहीं के बराबर है। मैं सरे आम कहता हूं,

[श्री मानसिंह महार]

आम बात कहता हूं, नहीं मानते तो सामने जलेबी चोक है उसमें चले जाइये, वहां रिश्वतखोरी का बाजार गरम है। यहां के आर. ए. एस., आर. पी. एस. अफसरों को १५ दिन में रिश्वत लेते हुए पकड़ाता हूँ। ५००० रु० के दस्तखती नोट दीजिये कल पकड़ाता हूँ। पर कहते हैं हमारे पास रूपया नहीं है। जब आपके पास भ्रष्टाचार को पकडवाने के लिये रूपया देने को नहीं है तो फिर यह ३५००० रूपया क्यों खर्च करते हैं। एक आदमी से २००० रूपये मांगे जाते हैं वह आकर आपको कहता है मुझे रूपया दस्तखत करके दे दीजिये मैं फलां आदमी को पकड़वाता हूँ तो जवाब मिलता है, इसके लिए हमारे पास ग्रान्ट नहीं है। मैंने हमारे माननीय डिप्टी लीडर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रूपया नहीं है, रूपया आप लाइये। यही बात सदन में भी मैं कहता हूँ। रूपया भी हम लायें, जाल सारा हम बिछायें तो फिर आप यह काम क्यों करते हैं ? ऐसी सूरत में इन लोगों को पकडने में लोग असमर्थ होते हैं क्योंकि लोगों के पास रूपया है नहीं और मांगते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास रूपया नहीं हैं। जो मालदार होगा वह कभी किसी को नहीं पकड़ायेगा क्योंकि मालदार होगा वह ५००० रूपया रिश्वत के देकर पचास हजार रुपये का काम निकलवायेगा। गरीब, जिसके गले पर छुरी चलती है वह देखता है कि ५००० कहां से लाऊं, वही पकड़ायेगा मालदार किसी को नहीं पकड़ायेगा।

तो भ्रष्टाचार को रोकने की दूसरी बात यह है कि आप अपने पास ५० हजार रूपया रखिये, जहां जरूरत होगी दस्तखती नोट दिये जायेंगे। इसके बिना आपके मंडल वगैरह कोई कतई काम नहीं कर सकते।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा वह चेयरमेन महोदय यह है कि मेरे माननीय मित्र ने अभी फरमाया कि परमीशन में बड़ा पक्षपात होता है। मैंने एक नजीर सदन के सामने रखी थी कि हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव के छोटे भाई को आई. ए. एस. के लिये रिकमेंड किया और बी. लिस्ट में गुप्त तरीके से ले लिया गया, वहां आई. ए. एस. की लिस्ट में ले लिये गये हैं। माननीय चेयरमेंन, मैं आपके द्वारा सदन को अर्ज करूंगा कि जब उनको एस. डी. ओ. बना कर भेजा गया तो उन्होंने सरकार को यह लिख कर दिया कि मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, मैं स्ट्रेनियस वर्क नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी दिगर स्थान पर भेजा जाए। अगर सरकार ऐसे व्यक्ति को, जिसकी आंखे कमजोर है और जो एस. डी. ओ. का काम नहीं कर सकते उनको आई. ए. एस. के लिये रिकमण्ड करते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। जब बड़े बड़े कामों में भी ऐसा होता है तो हमारी बेचारी राजस्थान की जनता की क्या हालत है, उसका तो कहना ही क्या है।

एक नमूना मैं आर. पी. एस. का भी पेश करता हूँ। आर. पी. एस. का नमूना जयपुर शहर में ही हैं। मैं आस पास की ऐसी नजीर दूंगा कि अगर आप चाहें तो साथ चल कर देख सकते हैं। हमारे यहां बिलीमोरिया साहब आई. जी. पी. थे, उनको सबसे ज्यादा रिश्वत श्री काशीप्रशाद जी ने खिलाई। श्री काशीप्रशाद जी ने ५० हजार रूपये शहर से नहीं दिये हों तो आपके जचे

[श्री मानसिंह महार]

जो करिये। बिलीमोरिया साहब ५० हजार रूपये लेकर चले गये। अभी जब दूसरे आई. जी. पी. आये तो उन्होंने श्री काशीप्रशाद जी, जो यहां जयपुर के डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस हैं, उनका तबादला डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट सिटी से वायरलेस में कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उनकी पहुंच यहां तक है कि उनकी ट्रान्सफर यह कह कर रोक दी गई कि ऑक्ट्राय ड्यूटी लागू होने वाली है और नये आने वाले आदमी इसका इन्तजाम नहीं कर सकेंगे इसलिये श्री काशीप्रसाद जी रिश्वतखोरों के बादशाह को वैसा का वैसा रखा गया। यदि उनको सीनियोरिटी देखी जावे तो आपको मालूम होगा कि जयपुर जैसे इम्पोरटेन्ट जगह में इतने जुनियर व्यक्ति को डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाना सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यह कहने से कुछ नहीं होगा कि हम भ्रष्टाचार को हटा रहे हैं। जिस माननीय मंत्री महोदय ने, जिन जिन महानुभावों ने इस प्रकार की कार्यवाही की है जिससे कि उनकी ट्रान्सफर रूकी हैं वे इस प्रकार के भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह खाली कहने से कुछ नहीं होगा कि भ्रष्टाचार को रोका जावे और उसके लिये मंडल बनाये गये हैं। जिन्होंने यह कार्यवाही की है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ने में प्रोत्साहन अवश्य दिया है। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं। वे रूपया भले ही किसी से नहीं लेते हों मगर खुशामदी टट्टुओं को अवश्य प्रोत्साहन देते हैं।

माननीय चेयरमेन, मैंने यह कुछ नजीरें आसपास की दी है। उन्होंने किस प्रकार से चोरों को प्रोत्साहन दिया उसकी एक नजीर और देता हूँ। आज से १॥ वर्ष पूर्व मेरे मकान पर चोरी हुई थी। उन्हीं की जाति के एक व्यक्ति ने चोरी की। यह चोरी श्री बिलीमोरिया के इशारे से कराई गई थी उन्हीं की जाति के कायस्थ व्यक्ति से क्योंकि मैंने बिलीमोरिया की बुराई सदन में की थी। मैंने उनके रिश्वत खानें की बातें सदन में बताई थीं।

("शेम शेम' की आवाज विरोधी दल की ओर से) और जब तक वे बिलीमोरिया साहब रहे मेरी चोरी बरामद नहीं हुई। श्री बिलीमोरिया साहब के जाने के दिन आये तब बड़ी मुश्किल से फतहपुर के सी. आई. ने चोर को पकड़ लिया। उसको तीन बार जेल से निकाल दिया गया। उसके पास से कुछ चोरी का माल बरामद कराया, मेरा असली माल तो बरामद नहीं हो पाया। मैंने उनकी बुराई की इसलिए उन्होंने मेरे चोरी कराई। मैं उनके इस प्रकार के चोरी कराने के एक्शन से नहीं डरने वाला। अगर ऐसी २७ चोरियें भी हों तो भी मैं उसके डर से किसी प्रकार चोर को विधान सभा में चोर ही कहूँगा। उन्होंने अपने जाति के भाई से चोरी करवाई। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जयपुर जैसे शैहर में रखा जावे यह शोभा की बात नहीं है।

(विरोधी दल की ओर से 'शेम शेम' की आवाज)

इसके बाद माननीय चेयरमेन, मैं सत्य बात को सत्य कहूँगा और सत्य बात को कहने में डरता नहीं हूँ। कुछ लोग मेरी तरफ आंख निकालते हैं तो वे भले ही मेरी तरफ आंख निकालें।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

अगर वे चाहें तो मुझे आज ही कांग्रेस से निकाल दें, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। अगर राजस्थान सरकार ने कोई अच्छा काम किया तो वह यह कि उन्होंने मौजूदा आई. जी. पी. जैसे आदमी को यहां लाकर रखा है। उनके आने से पुलिस के अफसरों में खलबली मच गई है। उन्होंने आते ही, बिलीमोरिया के अन्याय पूर्ण तरीकों से जिनके साथ अन्याय किया था उनको फिर से कुछ न्याय दिया। मगर जो कुछ उन्होंने किया है वह थोड़ा किया है और जब से डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट सिटी का ट्रान्सफर केन्सल हुआ है लोग यह समझने लगे हैं कि आई. जी. पी. पर ऊपर का चक्कर आने लग गया है और वे ऊपर के चक्कर से डरने लग गये हैं। राजस्थान सरकार इस प्रकार के आई. जी. पी. को बुलाने के लिये तो बधाई की पात्र है और इसके लिये तो हम सरकार के बड़े आभारी हैं और उसके आभार को नहीं भूल सकते।

इसके बाद मैं यह कहूँगा कि जो लोगों को प्रोमोशन्स दिये जाते हैं वह उनकी सीनियोरिटी को देखते हुए नहीं दिये जाते और जिस ढंग से दिये जाते हैं यह अन्याय पूर्ण तरीका है। हमारे यहां आर. ए. एस. व आई. ए. एस. की लिस्ट बनी हुई है। जब १, २ और ३ का नम्बर आ जाए तो यही क्राइटेरिया होना चाहिये कि तीन के बाद ४ को चान्स दिया जावे। जब २५ नम्बर तक लिस्ट के आदमियों को चांस दिया गया तो उसके बाद २६ को नम्बर दिया जाना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि २६ को उलांग कर आप ३२ नम्बर पर चले गये। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अन्याय करते हैं और असंतोष पैदा करते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि सर्विसेज कभी इमानदार नहीं होगी। अगर आप यह कहते हैं कि जो लोग ओनेस्ट हैं उनको तरक्की दी जावे। अगर आप इमानदारी का क्राइटेरिया रखेंगे तो जिसको आप चाहेंगे उनको चान्स देंगे। इसलिए मैं चेयरमेन, ऐसी सूरत में यह कहना चाहता हूँ कि सबसे सीधा तरीका यही होना चाहिये कि जो लिस्ट सीनियोरिटी की बनाई जावे वह ले ली जावे और नम्बर वाइज यानि ४ के बाद ५ को चान्स दे दिया जावे। यह तो कोई तरीका हो सकता है।

अब कोओपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कहूँगा। रजिस्ट्रार एक ऐसे आदमी को बनाया गया है कि जो बहुत ही जूनियर है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी तक ओफिशिएटिंग ही है।

श्री मानसिंह महार—सबसे बड़ा तरीका प्रोमोशन देने का यही है। जिसे आपको तरक्की देना हो उसको पहले ओफिशिएटिंग आप कर देते हैं और बाद में यह उसके लिये कह दिया जाता है कि ६ महीनों से बहुत अच्छा काम किया है इसलिये इसको इसी स्थान पर रख दिया जाता है।

Page No.49

[श्री मानसिंह महार]

अगर आप अपनी सर्विसेज़ के किसी व्यक्ति को जो जूनियर होगा रखेंगे तो आप, मैं यह कहूँगा कि सर्विसेज़ के साथ न्याय नहीं करेंगे। जब आप उनके साथ न्याय नहीं करेंगे तो आप उनको कभी ऑनेस्ट नहीं बना सकोगे। जब उनको तसल्ली हो जावेगी कि हमको अपनी सीनियोरिटी के मुताबिक अपने आप प्रोमोशन्स मिल जावेंगे तब वे यह समझेंगे कि उनको इमानदारी और न्याय पूर्ण तरीकों से चलना है। अगर आपको अपना शासन इमानदारी और न्यायपूर्ण तरीकों से चलाना है तो आप सर्विसेज़ के साथ न्याय कीजिये। मैं यह कहूँगा कि ९५ प्रतिशत लोग न्याय करने लगेंगे। लेकिन जब तक हम लोग उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक ऐसा नहीं होगा और मैं निश्चयात्मक तरीके से कहूँगा कि सारे सदन के १६० सदस्य की भी कोई कमेटी आप बनादें, अगर भ्रष्टाचार रुके तो आप के जचें सो कीजिये।

(घंटी)

राजस्थान में दिन-रात यह हो रहा है। इस प्रकार की बातों के लिये हम पिछले तीन सालों से चेतावनी देते आ रहे हैं और पिछले तीन सालों से जो भी सरकार आई है उसका यही रवैया रहा है कि जो सदन में कहा जाता है उस पर बिल्कुल लाइटली ध्यान दिया जाता है। अगर कोई मुद्दे की बात भी कही जावे तो भी उसको ऐसे तरीके से टालमटोल कर दिया जाता है। क्या कोई ऐसे आदमी हैं जो आगे आकर कह सकते हैं कि राजस्थान में आर. ए. एस. और आर. पी. एस. में सिनियोरिटी पर ध्यान दिया गया है।

अगर यह बात इस सदन के फ्लोर पर कोई माननीय मंत्री कहेंगे तो मैं देखूंगा और इस चीज़ को चैलेन्ज करूंगा और जब तक सेशन चलेगा इस प्रकार की बात कहूँगा, आर. ए. एस. की लिस्ट लाकर, उसकी सिनियोरिटी और वर्तमान पद को रोक कर किस प्रकार का पक्षपात पूर्ण रवैया अख्तियार किया गया है, यह बताऊंगा। यह तो हुई आर. ए. एस. और आर. पी. एस. की बात।

(घंटी)

दो महत्वपूर्ण बातें और हैं, माननीय चेयरमेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बातें हैं।

(हंसी)

श्री सभापति—कट मोशन का जो प्रस्ताव दिया उससे भी ज्यादा समय आप ले रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—बहुत इम्पोर्टेन्ट बातें हैं। वे चैलेन्ज मानते हैं।

श्री सभापति—Two minutes more.

श्री मानसिंह महार—मशीनरी में घोटाला हो रहा है, वह चरम सीमा पर पहुँच चुका है। मशीनरी की खरीद और फरोख्त में जितनी कमीशन और भ्रष्टाचार की बातें हो रही है, उनके लिए कुछ कहना नहीं है और उसके लिए हमारे भ्रष्टाचार मण्डल के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। इस मांग का विरोध नहीं करें तो क्या करें। तहसीलदार वगैरह में भ्रष्टाचार है। यह मैं मानता हूँ कि चपरासी, पटवारी, सिपाही इनकी तनख्वाहें इतनी थोड़ी हैं कि अगर वे अनजान में सिकरावा में दो चार रुपये ले लें तो वह रिश्वत नहीं, मैं उसको रिश्वत नहीं मानता। अगर नहीं लें तो उनका काम भी नहीं चलता। क्या फाका करें? उनको ४५ रुपया तनख्वाह मिलती है और खाने वाले हैं बीबी, बच्चे मां और बाप, क्या उनका इस कम तनख्वाह में काम चल सकता है, उनको तो मैं माफ करके चलता हूँ। उनके लिये मंडल है भी।

श्री सभापति—यह तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं।

श्री मानसिंह महार—क्या करें जब यह सरकार उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो उन गरीबों के लिए क्या किया जाय? मैं तो यह चाहता हूँ कि यह सरकार उन मोटी मुर्गियों का इन्तजाम करे जिनको हजार२ दो दो हजार रुपया मिलता है, राजस्थान के भूतपूर्व आई.जी.पी. जो चार-पांच हजार रुपये का महीना पाते थे और एक एक मुर्गी में खुश हो जाते थे, अगर उन मोटी मुर्गियों का इन्तजाम नहीं करेगी तो मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान का दुर्भाग्य है। तो माननीय चेयरमेन, मैं राजस्थान के मन्त्रियों से, खास कर हमारे पार्टी के डिप्टी लीडर महोदय से, मुख्य मंत्रीजी तो मौजूद नहीं है, जो सुन रहे हैं कम से कम उन मन्त्रियों से और उप मन्त्रियों से तो निवेदन करूंगा कि वे यह क्राइटेरिया प्रोमोशन के लिए कभी नहीं रखें कि फलां आदमी के लिए हम कह देते हैं, वह बात कर देते हैं, इसलिए फलां आदमी को तरक्की दे दी जाय? अथवा वह घर पर जाकर सलाम कर लेता है इसलिए उसको तरक्की दे दी जाय। आप सीनियोरिटी का क्राइटेरिया रखिये, इससे लोगों में सन्तोष की भावना पैदा होगी और संतोष होने से लोग ठीक काम करेंगे और भ्रष्टाचार कम होगा। आपकी वर्तमान नीति से, आप लोगों को येन केन प्रकारेण खुश करने के कारण लोग गलत तरीका अपनाते हैं और उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसलिए भ्रष्टाचार की जड़ जो ऊपर है और नीचे जो लीपापोती करते हैं वह गलत है। ऊपर से शुरुआत कर सही तरीके से प्रोमोशन दिया जाय। ऐसे नहीं कि जैसे कि कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार जैसों को कार्यवाहक रूप में कृपा पात्र बैठा रखें और उनको मुश्तकिल नहीं किया है, यह कहा जाता है। अगर इस तरह की बात आप कर सकेंगे तो बड़ा फायदा हो सकेगा। आज राजस्थान की जनता को सच्ची सुखी कर सकेंगे। और यह जो क्षेत्रीय भावनाओं पर भी मामला बढ़ता जा रहा है जैसा कि पिछले वक्त कहा गया लेकिन जो बातें हैं वे हमारे मंत्रीजी के जवाब के बाद अगले दिन किसी भी रूप में मैं सदन के सामने रखूंगा। आज मैं ज़्यादा निवेदन न करके उनके जवाब से आशा करता हूँ कि वे विश्वास दिलावेंगे, वे सदन में इस प्रकार का बयान देंगें जिससे सदन को विश्वास हो जाय कि वाकई यह सरकार भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है और इससे राजस्थान सरकार के आर. ए. एस., आर. पी. एस. ऑफिसर्स हैं उनमें भी ऐसा विश्वास पैद होगा कि हमारा क्राइटेरिया सीनियोरिटी के आधार पर आधारित है। आप

[श्री मानसिंह महार]

एक प्रमोशन दे दीजिये उसको जिसने बड़ी इमानदारी का काम किया हो। नहीं तो माफ करिये, यह रूपया तो क्या इससे पचास गुना रुपया भी ले लीजिये भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है। चेयरमेन महोदय, मेरा निवेदन है।

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, परबतसर से आये हुए माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए दो शब्द में अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री सभापति—दो ही कहना, ज्यादा मत कहना।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—इरादा तो यही है। लिमिट एक्सीड ही हो जाती है।

श्री सभापति—It is dangerous.

श्री गोपीलाल यादव—This is corruption,

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is unauthorised excess.

जो प्रश्न विचाराधीन है उस पर तात्विक बातें तो प्रस्तावकर्ता ने खुद ने ही कह दी हैं और कुछ विशेष चीजों की ओर ध्यान आकर्षित माननीय मित्र ने किया, मैं भी चन्द चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इस बात को सामने लाने के लिए कि भ्रष्टाचार के बारे में दर असल कितनी सजगता और जिम्मेदारी बरती जानी चाहिए, नहीं बरती जा रही है, उसे रोकने की बात जाने दीजिये लेकिन जो चीज़ सामने आती है उस पर सख्त कार्यवाही करने के बारे में शायद इस राजस्थान में इतनी ढिलाई व्याप्त है और जगह हो या न हो मैं नहीं कह सकता। मैं माननीय चेयरमेन, आपके जरिये सदन के सामने सिलेक्टेड स्पेसिमेन्स के रूप में तीन-चार चीजें अर्ज करूंगा।

एक है वह पी. डब्ल्यु. डी से शुरू कीजिए। वैसे सड़कें वगैरह की बातें तो रोज हुआ करती हैं लेकिन जिस बात का मैं जिक्र करूंगा उसके लिए यह मानना पड़ेगा कि एक नोवल तरीका निकाला गया है भ्रष्टाचार का। बिल्कुल ओरिजिनल है। अभी कुछ दिनों पहले तक वेगन्स की बड़ी शोर्टेज थी। जोधपुर के पी. डब्ल्यू डी के अधिकारियों ने यह सोचा कि क्यों न इससे फायदा उठाया जाय? रेलवे ने यह अधिकार दे दिया था राज्य सरकार को बोनाफाइड कार्य के लिए अगर पी.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

डब्ल्यू. डी. सर्टिफाई कर दे तो अमुक अमुक कार्य के लिए इतने इतने वेगन्स की आवश्यकता है तो वे वेगन्स रेलवे से अलॉट हो जावेंगे। दूसरे यदि मांगने जावें तो न जाने उनको कितना कितना किसको देना पड़े, लेकिन यहां यह हुआ कि पी डब्ल्यू डी सर्टिफाई कर दे तो वे अलॉट हो जावेंगे। पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों ने सोचा कि दुकान अपने यहां क्यों न खोल लें। चेयरमेन महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, सदन ताज्जुब करेगा कि उस विभाग ने पूरे तीन साल तक ऐसे केसेज़ रिकमन्ड करके भेजे, वेगन अलाट हो गये, रेलवे से चले गये और जिस जगह पहुँचने थे पहुँच गये। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि सोजत के लिये तीन वैगन पत्थर के अलॉट किये गये। सरकारी स्कूल के निर्माण के सम्बन्ध में वेगन तो पहुँच गये लेकिन सरकारी स्कूल में पांच फीट भी पत्थर नहीं गया और न उस स्कूल के बनने की ही योजना थी। उनके लिए सरकारी काम का हवाला दिया जा रहा है। अलाटमेंट हो गया, वेगन मिल गया, रेलवे रजिस्टर्स में दर्ज है लेकिन इस प्रकार के काम की न तो कभी पी. डब्ल्यू. डी. से मंजूरी हुई और न ही प्रस्ताव आया। यह तो एक रेकर्ड की बात अर्ज की। इतना ही नहीं तहसीलदार की सिफारिशों पर सिफारिशें की जाती हैं. रेकर्ड विभाग में मौजूद हैं और उनमें नये नये तहसीलदारों के नाम दर्ज हैं और बड़े मजे की बात तो यह है कि राजस्थान सरकार की लिस्ट में उन तहसीलदारों के कहीं नाम नहीं। मिसाल के तौर पर लिखा है तहसीलदार परबतसर और उस पर जो दस्तखत किये गये हैं रामलाल, वह रामलाल कभी रहा ही नहीं। बिल्कुल फर्जी। तहसीलदार का नाम रखा, तहसीलदार के नाम बदले, तहसीलों के नाम बदले, न व तहसील कहीं एग्जिस्ट करती है, उनकी मोहरें मौजूद हैं। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के लोग जांच करने के लिए गये थे, उन दिनों पी. डब्ल्यू. डी. महकमे की दराजों में ११ सीलें मौजूद थीं जो रोज ठपा टप लगायी जाती थीं। वे क्यों नहीं चार्ज में ली गई? बाद में तो हटा दी। इस बात को मेरा खयाल है कि छः सात महीने हो गये।

यह बातें माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में आई और उन्होंने इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करने का आदेश दिया। कार्यवाही शुरू भी हो गई और उसी कार्यवाही की वजह से वह खलबल हुई थी। इसके बाद इस विभाग में रद्दोबदल हुई। नतीजा यह हुआ कि अब भी वह एन्टी करप्शन बोर्ड द्वारा उसकी जांच नहीं हो पाई। वे कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि फलां स्टेशन पर जांच के लिये चलेंगे तो एन वख्त पर यह कोशिश की जाती है और उस प्रोग्राम को दबाया जाता है। मैं पूछता हूँ कि इस जैसे मामले में किस प्रकार की जांच होना जरूरी है। जिस तहसील का नाम नहीं, तहसीलदार उस नाम का नहीं और उसके नाम पर इस तरह का भ्रष्टाचार हो और वह भी जांच के योग्य है क्या? जो सरकारी बिल्डिंग बनी ही नहीं और जिसका न कागजों में उल्लेख ही है उसके लिए जांच करने में क्या देरी है, आप अपने सरकारी कागजों को देख लीजिए और वेगन्स आये या नहीं इस बारे में आप रेलवे से मालूम कर सकते हैं। इसके बारे में जो सर्टिफिकेट जो इश्यू होते हैं वे भी आप रेलवे से मालूम कर सकते हैं। किस जगह के लिए वेगन्स दिये गये यह रेलवे से मालूम कर सकते हैं और १५ दिन के अन्दर अन्दर मालूम कर सकते हैं और जांच करके इससे सम्बन्धित अधिकारियों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के खिलाफ कार्यवाही की जाय। इस केस को सरकार के सामने लाये करीब छःमहीने हो गये लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, वैसे तो इन मामलों में पी० डब्ल्यू० डी० विभाग माहिर तो है ही।

बिजली घर का तो रोज रोज जिक्र होता ही है। अब की दफा में थोड़ा सा इरीगेशन विभाग का जिक्र करना चाहता हूँ। योजनाओं में लाखों रुपया खर्च हो रहा है। भाखरा, चंबल आदि परियोजनाओं में करोड़ों रुपयों का व्यय हो रहा है। भाखरा के बारे में पंजाब में क्या हुआ, इससे सब लोग विदित ही हैं। राजस्थान के एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ.......

श्री सभापति—आप ज्यादा समय लेंगे तो उनको ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं केवल एक-एक, दो-दो उदाहरण देकर ही खत्म कर दूंगा।

श्री सभापति—नहीं तो गुलेटिन एप्लाई करना पड़ेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास-भाखरा प्रोजेक्ट का जिक्र है, वहां कम्प्रेशन एन्ड लाइनिंग ब्रान्च ओफ शार्दूलगढ़ ब्रांच। इरिगेशन विभाग के इन्जीनियर महोदय ने एक सर्क्यूलर निकाला है कि जो पुराने रेट्स बने हुए हैं वे बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आज कल सब चीजों की कीमतें गिर गई है इसलिए कम्प्रेसन एन्ड लाइनिंग वर्क के लिये टेन परसेन्ट बिलो दी शिड्यूल रेट्स से एवरेज रेट मानी जाय। इसके अन्तर्गत टेन्डर मांगे गये और जो टेन्डर्स आये वे शिड्यूलड रेट से बिलो आने के बजाय १० और १५ परसेन्ट अबाउ आये। जब उपरोक्त प्रकार का सर्क्युलर उनके पास पहुँचा तो वे घबराये और जो पहले टेन्डर उन्होंने २९, ७ को मांगे दूसरे टेन्डर २२, ८ को मांग लिए गये, इसलिए कि यह सर्क्युलर आ गया कि कहीं गड़बड़ न हो जाय। जो टेन्डर दुबारा आये उनमें टेन्डर देने वाले कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फाइव परसेन्ट बिलो न्यू शिड्यूल के दिये, उनके द्वारा पांच परसेंट बिलो न्यु शिड्यूल के टेन्डर दिये और कुछ लोगों ने न्यू शिड्यूल के पांच परसेन्ट अबाउ टेन्डर दिये। इस तरह से दोनों में १५ परसेन्ट तक का फर्क होता है, लेकिन विभाग ने जहां नई शिड्यूल से १० प्रतिशत अबाउ के टेन्डर मन्जूर किये यह क्यों मन्जूरी दी गई, इसका उल्लेख तक फाइलमें नहीं है। इसके लिये यह कहा जाता है कि अनुभवी आदमियों को काम देना चाहिये और जो लोग रेट देने वाले थे वे अनुभवी नहीं थे, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इससे यह जानने की कोशिश की गई कि जिन लोगों को काम दिया गया वे तो अनुभवी होने चाहिये। मालूम हुआ कि वे लच्छीरामजी की कम्पनी के लोग है, वे अनुभवशाली है। लच्छीरामजी राजस्थान के मशहूर आदमी है उनको कौन नहीं जानता।

श्री जसवन्तसिंह—वे मशहूर कैसे है, आप जरा बताने की कृपा करेंगे?

Page No.54

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी रखते हुए) उनको कौन नहीं जानता ?

इन्होंने इन्डस्ट्रियल एरिया गंगानगर में हजारों बीघा जमीन ले रखी है, यह तो आप को पहले सुनाई देना चाहिये था।

श्री जसवन्तसिंह—आपके मुंह से सुनना था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी रखते हुए) चेयरमेन महोदय, जो ठेका दिया गया है मैंने पता लगाने की कोशिश की कि सुपरिटेन्डिंग इन्जीनियर एस. एन. गुप्ता हैं, उनके भानजे श्री वीरेन्द्रकुमार एक सज्जन नजर आये जिन्होंने इस प्रकार का काम कभी किया ही नहीं। दूसरे सज्जन जो नजर आये वे इन इन्जीनियर महोदय के साढू थे, जिनका नाम है विद्याधर; उनको ठेका दिया गया। क्या आप इन्हीं को स्पेशल एक्सपीरियन्स्ड आदमी समझते हैं। यह एक छोटीसी मिसाल आपके सामने रखी गई है। इसका बार बार जिक्र आता है, फिर भी एक्शन नहीं लिया जाता। यह सूचना छः-छः और आठ-आठ महीने पहले गवर्नमेन्ट को दी जा चुकी है फिर भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बिजली घर के बारे में जो एक राणावत कमेटी बिठाई गई थी उसकी रिपोर्ट के बारे में भी जो सरकार को पेश हो चुकी है उसको दबाया जा रहा है। कोई कहता है कि वह चीफ सेक्रेटरी के कब्जे में है और किशनपुरी जी ने उसको ताले में रख रखा है। वह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट में आई या नहीं, यह बात भी राजस्थान सरकार के ऑफिसर लोग कहने की स्थिति में नहीं हैं कि वह रिपोर्ट आई या नहीं। इस रिपोर्ट में क्या है? किसी से पूछ लो चीफ सेक्रेटरी से या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को पूछ लो, अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी को पूछ लो। उनका भी यही कहना है कि उनको तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं। खुद राणावत साहब को पूछ लो वे भी यहीकहते हैं कि मुझे भी कुछ मालूम नहीं। जब कि सब अधिकारियों द्वारा यह उत्तर दिया जाता है कि हमें मालूम नहीं तो आखिर इस रिपोर्ट में है क्या? गजट में अगर शाया हो तो इतनी परेशानी क्यों हो? खैर इस रिपोर्ट में क्या है, उसकी दो चार पांच बातें तो मैं आपको बता दूंगा आप कार्यवाही करने में विश्वास दिला दें। यादवरामजी की रिपोर्ट भी पहले से पड़ी हुई है। पता नहीं उसके सम्बन्ध में भी यही कहा जाता था लेकिन आखिरकार वह सामने आई। अगर आप राणावत कमेटी की रिपोर्ट के बारे में यह आश्वासन दें कि तीन दिन के अन्दर अन्दर इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो जायगी तो वह रिपोर्ट भी सबके सामने लाई जा सकती है; खास तौर से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में जो कुछ उसकी रिपोर्ट है उसके बारे में तो कार्यवाही हो।

अब मैं चन्द मिनिट शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातों को जिक्र करूंगा। इस मामले को जिसका कि मैं जिक्र कर रहा हूँ माननीय शिक्षा मंत्री को निजी तौर पर मैंने सूचना दी थी कि इस पर कुछ ध्यान दिया जाय। मामला बहुत साफ था। उसमें पूछताछ की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो पुस्तकों के खरीद के मामले में हुई वह सदन के सामने रखता हूँ। जो टेन्डर इसके लिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आया, उसने कहा कि मैं किताबें सप्लाई और पब्लिश करूंगा और २६ परसेन्ट कम कीमत लूंगा। सरकार का हुक्म निकला कि आप पब्लिश किताबें कर सकते हैं २५ परसेन्ट कम कीमत लें; इसमें जहां उसने २६ परसेन्ट कम का लिखा वहां सरकार द्वारा २५ परसेन्ट कर दिया गया। यह तो पहले ही गड़बड़ हो गई। उसके बाद २५ परसेन्ट के आर्डर निकले, बिल जो इसने बनाकर दिया; ७॥, १२॥ और २२॥; जो उसको जचा उस कमीशन में उसके बड़े बड़े बिलों का पेमेन्ट हो गया। किस अधिकारी द्वारा हुआ; कैसे हुआ इस सम्बन्ध में सरकार का हुक्म मौजूद है, पेमेन्ट जिसने दिया वह मौजूद है और टेन्डर भी मौजूद हैं।

आज आठ महिने से उसकी जांच हो रही है और यह कहा जाता है कि एक बहुत उच्च अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं लेकिन नतीजा आज तक नजर नहीं आया।

यहां राजस्थान प्रिन्टिग वर्क्स है, जो बहुत मशहूर है। अपोजीशन के लीडर यह पूछेंगे कि यह मशहूर कैसे है तो मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि यहां से नवयुग अखबार छपता हैं।

तो राजस्थान प्रिंटिंग वर्क्स को किताबें छापने के लिए ठेका दिया गया; तो उसकी रेट सबसे कम नहीं थी तो भी उसे छापने के लिये ठेका दिया गया। यह भी किया सो किया। पर वे सज्जन ऐसे तेज निकले कि जिस रेट पर भी ठेका दिया गया उससे सवाई रेट पर पेमेन्ट किया गया। ऐसा किसलिए किया गया। उन्होंने कहा मैंने ड्राइंग बुक्स कलर भरकर छापी थी और आपने टेन्डर जो छापा था उसमें कलर का जिक्र नहीं था। तो ड्राइंग के मामले में और एक्स्ट्रा पेमेन्ट दिया, कम से कम पेमेन्ट थी नहीं और फिर भी ठेका लिया और इस पर भी अपनी मनमानी ऊंची रेट से पेमेन्ट लेकर बैठ गये। अब उनसे वापिस वसूल करने वाला तो कोई नजर आवे, और जिन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए यह गड़बड़ी होने दी उन पर तो कोई कार्यवाही की जावे। ये सम्बन्धित मन्त्री महोदय कहते हैं कि हमें सूचना दो तो हम कार्यवाही करें। इस पर हमने कोशिश की और आज से ६ महीने पहले चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि यह ऐसा मामला है, कार्यवाही की जावे। पर मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस मामले में कुछ नहीं किया गया क्योंकि असल गड़बड़ी की शुरूआत इन अधिकारियों से नहीं शुरू हुई, असल शुरूआत टेलीफोन से शुरू हुई थी। यह किस वजह से हुई यह उन टेलीफोन करने वालों से कौन पूछे? इसके बाद मामले को ऊंचा-नीचा करके ठिकाने लगाया गया। ऐसी स्थिति जब है तो कौन क्या करे। मेरे माननीय मित्र जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मामले हैं जिनका कभी अन्त नहीं। फिर कभी मौका आवेगा तो मैं आपके सामने रक्खूंगा। इस समय आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता। इतना ही नहीं; न सिर्फ यही विभाग, पर पुलिस विभाग, सिविल सप्लाईज़ विभाग आदि इतने विभाग हैं और इनमें इतने करप्शन के मामले हैं, एम्बेज़लमेंट के मामले हैं कि इस बारे में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज दिन तक सैकडों एम्बेज़लमेंट के केसेज़ हुए हैं पर आज तक इनमें से एक में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक केस में एक कमेटी बैठी अधिकारी मुकर्रर हुए, उन्होंने रिपोर्ट दी, पर कोई एक्शन फिर नहीं लिया गया। यही नहीं, चैयरमेन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

महोदय, जिनके दफ्तर का इन्सपेक्शन होने को था, आज होने वाला है और सुबह सुबह दफ्तर की टेबुलों की दराज में फॉस्फोरस डालकर आग लगादी जाती है, जांच होती है और आखिर में कुछ नहीं होता है, सबको छोड़ दिया जाता है कहते हैं; साबित नहीं हुआ मामला। अब मैं पूछता हूँ अगर इससे भ्रष्टाचार साबित नहीं होता तो क्या इससे होगा कि कोई रजिस्टर साफ सीधा आप पावेंगे कि मैं भ्रष्टाचार करता हूँ और यह मैंने किया, वह किया, इस तरह से कोई रजिस्टर में लिखकर आपको सौंपेगा कि जिससे भ्रष्टाचार साबित होगा। तीन सौ ऐसे एम्बेज़लमेन्ट के केसेज तो हुए सो हुए। एक प्लान्ट प्रोटेक्शन के अधिकारी पंजाब से आये। लाखों रुपया साफ कर गये। उनको सस्पेन्ड किया तो उन्होंने वापिस अपना रिवर्शन मांग लिया, पर राजस्थान सरकार बहुत तेज है। कहती क्या है, अच्छा आपका रिवर्शन किया जाता है। हिम्मत नहीं राजस्थान सरकार की पड़ी कि कह दे कि जांच समाप्त होने तक आप कहीं नहीं जा सकते और फिर हुआ यह कि वही अफसर वहां पर फुलफ्लेज्ड अफसर हो गये। अभी तक जांच ही उसकी पूरी नहीं हुई है और न कोई कार्यवाही हुई है। जिन्होंने फरजी कागजात बनाये और जिन्होंने इन्सेक्टिसैन्ड के लाखों रुपये खाये, गबन किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही राजस्थान सरकार नहीं कर सकी। इस प्रकार इन तीन सौ केसेज़ में से एक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। फिर कहने की हिम्मत करते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार रोकने के लिये बहुत लालायित हैं। यह कहना गैरवाजिब है और इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए यह मैंने अर्ज किया और मेरे माननीय मित्र अर्ज करेंगे और फिर बजट सैशन भी आनेवाला है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देता हूँ।

श्री भैरूसिंह(१६) माननीय सभापति महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है, मैं भी थोड़े से शब्दों में उसका समर्थन करना चाहता हूं। उनके इस प्रस्ताव के समर्थन में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और सब की एक आम राय थी कि राजस्थान के अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उसको रोकने की आवश्यकता है। आज इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राजस्थान में भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन हमें उसके मूल कारणों की ओर भी देखना पड़ेगा। जिस भ्रष्टाचार का राजस्थान में शामिल होने वाले रियासतों के समय में कोई जिक्र नहीं था, बीकानेर जैसी रियासत में जिसका नाम लेना संभव नहीं था, उन स्थानों पर भी आज राजस्थान बनने के बाद आज भ्रष्टाचार किस कदर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका एक मूल कारण है।

जहां तक मैं समझ पाया हूं सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं, यह बात तो बिल्कुल सही है पर यह भी हमें देखना है कि उनको भ्रष्ट बनाता कौन है। उस मशीनरी की ओर भी हमें देखना पड़ेगा। और यदि उस मशीनरी को समाप्त नही किया गया तो चाहे कितना भी हम सरकारी अधिकारियों पर अंकुश रक्खें वे उस अंकुश से बचेंगे और यह भ्रष्टाचार बढ़ता रहेग।

माननीय सभापतिजी आज प्रश्नोत्तरकाल में नागोर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पछा। उसमें माननीय गृहमन्त्रीजी से उन्होंने एक बात जाननी चाही थी कि नागोर के पास

Page No.57

[श्री भैरूंसिंह]

बलाया गांव में जो एक हैताना नामके जाट का कत्ल किया गया है, और उस कत्ल से पहले जिन जिन अधिकारियों के पास जाकर उसने जिक्र किया और उनको यह सूचना दी है कि मेरे कत्ल के लिए गांव में कुछ लोग तैयार हो रहे हैं और राजस्थान के बडे बडे राजनैतिक धुरन्धर मुझे मरवाने की रात दिन कोशिश कर रहे हैं, मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा, मुझे बचाने की कोशिश की जावे और उनसे मुझे संरक्षण दिलाने का प्रबन्ध किया जावे; आज उत्तर मिला कि दरख्वास्त पुलिस के पास चली गई थी। दरख्वास्त की जांच हुई थी, थानेदार और एस. डी. एम. जांच कर रहे थे और उनकी जांच के बावजूद यह मार दिया गया। यह पूछा जाता है कि उसको मारने के लिए कातिल कैसे इकट्ठे किये गये थे। पर इसकी उनको मालूम नहीं। यह पूछा जाता है कि उन कातिलों को गवर्नमेंट होस्टल में गिरफ्तार किया गया, तो वे कहां ठहरे, किसके साथ ठहरे, किसके यहां खाना खाया पर यह जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ती। जिक्र करते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने का। अगर इसको खत्म करने की आपकी हिम्मत है तो करिये न इन राजनैतिक धुरन्धरों को गिरफ्तार। ये जयपुर में खुले घूमते फिर रहे हैं और अगर आपको सुबूत नहीं मिल रहे हैं और हिम्मत नहीं पड़ रही है तो चलिये मेरे साथ नागोर। मैं बतलाऊंगा आपको। ये कातिल भागे भागे यहां गवर्नमेंट होस्टल में आते हैं और मिनिस्टरों से राय लेने के लिए आते हैं, इन राजनैतिक धुरन्धरों से राय लेने के लिए आते हैं। कहते हैं वे उनसे कि तुम्हारे कहने से कतल तो कर दिया है, अब कतल से बचने का रास्ता बताओ। यहां से वे कातिल गिरफ्तार किये जाते हैं। जिसका कत्ल हुआ उसने शिकायत की थी कि इन राजनैतिक धुरन्धर ने जिनका चुनाव नागोर से हुआ है मुझे मारने का तय कर लिया है, वे मुझे मारने के लिये लोगों को तैयार कर रहे हैं कि मेरी हत्या की जावे और उन्होंने गांव के लोगों से कहा है कि मेरी हत्या कर दो। आप इस बात की चिन्ता मत करो कि वह राजनैतिक धुरन्धर कितना बड़ा है, कौन है, क्या है, मैं उसका सुबूत दूंगा, मुझे कत्ल होने से बचाओ, उसने इसी आशय का एक आवेदन पत्र पुलिस अधिकारियों को भी दिया था। पर वे उसे बचाते नहीं हैं और सम्भव है अब उस आवेदनपत्र में भी हेरफेर कर किया गया है, और दूसरा फर्जी आवेदनपत्र रेकार्ड में तैयार कर लिया गया। अब आपको जानकारी उस बात की नहीं है, इसकी कोई बात नही। पर यह भी पूछने की हिम्मत नहीं कि जो कातिल गवर्नमेन्ट होस्टल में गिरफ्तार किया गया, वह यहां किसके पास रहा, कहां उसने खाना खाया, किससे राय ली और कहां घूमता फिरता रहा। कल से आप इसकी एन्क्वारी करें और अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने का दम भरते हैं तो यह पूरी छानबीन करके पता लगावें कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ था, किसने पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा और किसने प्रेरणा दी थी कि तुम कत्ल करो और बाद में हम तुम्हें बचा देंगे। इस सब की आप एन्क्वायरी करो, इस बात का पता लगाओं कि किस किस राजनैतिक धुरन्धर का इसके पीछे हाथ था और उस दरख्वास्त को देखो जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख उस आदमी ने, जिसका कत्ल कर दिया गया है किया है कि नाथूरामजी मिर्धा की और मेरी दुश्मनी है, मैं उनके खिलाफ हूँ, वे मुझे कहते हैं और धमकी दे रहे हैं कि मैं उनकी खिलाफत नहीं करूं; नहीं तो मेरा कत्ल कर दिया जावेगा। तो मुझे कत्ल का

[श्री भैंरूसिंह]

नोटिस दे दिया गया है, अगर मैं इनकी खिलाफत करूंगा तो ये मुझे मार देंगे । आज जो दरख्वास्त यह ओरिजिनल थी वह आप देखें । आज तो उसमें से नाथूरामजी का नाम गायब कर दिया गया है । पर आप अगर चाहते हैं जांच करना तो आज भी सुबूत की कमी नहीं है । आप मेरे साथ चलिए और जिनसे वह दरख्वास्त लिखवाई गई थी उनसे मालूम करिये । सुबूत और भी मैं पेश करूंगा । आप जांच करें इस बात की । पर हिम्मत हो आपकी तब काम चले । इस बात के लिए आपकी हिम्मत नहीं । खुद गृहमन्त्री भी डरते हैं । इस बात के लिए हिम्मत नहीं, खुद भी सच्चे नहीं, नहीं तो ऊपर की मशीनरी अगर सच्ची हो तो नीचे के अधिकारी की हिम्मत हो सकती है क्या भ्रष्टाचार करने की ? आदमी स्वयं अगर न्यायप्रिय हो तो हिम्मत हो सकती है, पर आपमें हिम्मत नहीं, खुद भी सच्चे नहीं ।

आपने देखा होगा कि तीन चार दिन पहले वोटर लिस्ट छप रही थी । कई प्रेसों को ब्लैक लिस्ट में ले लिया गया था; उनके कहने सुनने पर कहा गया कि तुम्हारा काम ठीक नहीं था, इसलिए तुम्हें ब्लैक लिस्ट में ले लिया गया । अब तो वोटर लिस्ट केवल एक प्रेस छापेगा या दो प्रेस छापेंगे । इनमें से एक पर मन्त्री का कब्जा है, मन्त्री के बेटे का कब्जा है । वहां सारी की सारी वोटर लिस्ट आती है छपने के लिए; पर प्रेस हो तो । इतना काम उसमें नहीं, इतने साधन नहीं कि उसे छाप सके । उन्होने उन्हीं प्रेसों को सारी की सारी लिस्ट छापने के लिए दे दी, जिनको सरकार ब्लेक लिस्ट में घोषित कर चुकी थी । वह सारे के सारे कागज उन्हीं प्रेसों के पास गये छपने के लिए । दूसरे लोगों ने शिकायत की । पुलिस ने मौके पर जाकर वे सारे के सारे कागज पकड़ लिये । इतना होने पर भी आज तक इस मामले में कुछ नहीं हो रहा है और यह इसलिए नहीं हो रहा है कि वे स्वयं सच्चे नहीं हैं । हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती कि वैसे के वैसे धन्धे वे करते हैं । आप में अगर हिम्मत हो तो इन प्रेस वालों का चालान ठोको । लोग जो न्याय मांग रहे हैं उन्हें न्याय दो । पर मिले कहां से । खुद के रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी फंसे हुए हैं, इसमें तो जांच हो तो कैसे । इसलिए इस बात की जांच नहीं हो सकती । जांच इसलिए नहीं हो सकती कि हमारे राजनैतिक हथकंडे जिन्दा रहें । तो इस तरह से जब तक यह मूल मशीनरी नहीं सुधरेगी तब तक सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार को दूर करने की हम जो बात करते हैं वह पूरी नहीं हो सकती । उनका भ्रष्टाचार तो इनमें निहित है । आपवोटर लिस्टों की बात को खैर जाने दीजिये, इसकी कोई चिन्ता नहीं । बलाया गांव में सैतानिया को मार दिया, राजगढ़ के सेठ के लड़के को उडा लिया गया । तो इस तरह से तो हर समय किसी भी वक़्त किसी की हत्या की जा सकती है । सरकार एक का भी पता लगाने में हिम्मत से काम नहीं ले रही है । आपने देखा होगा कि इन्हीं दिनों में राजस्थान के एक मन्त्री को इस्तीफा देना पड़ा । समाचार पत्रों में आपने यह पढ़ा होगा कि उनको इसलिये निकाला गया कि सूरजभान को उड़ाने में उनका हाथ था और अगर हाथ को साबित करने के लिए कहें .....

श्री रामकिशोर व्यास—How it is connected with corruption ?

श्री भैरूंसिंह (दाता रामगढ़)—यह इस तरह कि इन्हीं कारणों से सरकारी मुलाजिमों में भ्रष्टाचार बढ़ता है। हमारे देवता भी इस तरह का काम करते है तो वे सोचते हैं फिर हम भी क्यों नहीं करें, तो हम इन देवताओं में फैले हुए इस भ्रष्टाचार को, इन लीडरों में व्याप्त इस भ्रष्टाचार को, पहले दूर करें तब इन अधिकारियों में फैले-हुए भ्रष्टाचार को कम करने में सरकार को सफलता मिल सकती है ।

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—इस सेकुलर स्टेट में देवता कहां से आ गये ?

(हंसी)

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६)—देवता नहीं तो राक्षस कहिये ।

(अट्टहास)

तो मेरे अर्ज करने का तात्पर्य यह था कि जहां मन्त्रियों के लिए इस बात की अफवाह होती है कि लड़के को उठाया है, लड़के को वापिस देने में पैसा दिया है ; मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्रीजी को यदि शक है तो ढेबर साहब से पूछिये कि आपके सामने श्री लच्छीराम ने जैसा कि जोधपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने बताया है, लड़के के बाप ने क्या बयान दिये हैं ? उसने स्पष्ट कहा है कि कुम्भाराम जी आते थे और कहा था कि ५० हजार रूपये तुम से लिये गये हैं उसका कहीं जिक्र न करो तो ५० हजार रू० तुम्हें वापिस दिला देंगे। जब यह बातें हो सकती हैं तो क्या उसकी एन्क्वायरी करायेगें ? सेन्ट्रल सी. आई. डी. के कागजात देखकर, ढेबर साहब से पूछकर यदि हिम्मत है तो आप करायेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो यहां मौजूद नहीं है, पर्सनल आक्षेप नहीं किए जाने चाहिये ।

श्री भैरूंसिंह—वह व्यक्ति यदि भाग जाय तो उसकी हाउस की जिम्मेवारी नहीं है । अगर ऐसी ही बात, तो बुला लीजिये उनको, मैं उनके सामने ही कहूँगा । मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह था कि हमारा नैतिक स्तर कितना है, इस बात पर सोचना पड़ेगा ।

जिस दीपचन्द नाम के व्यक्ति ने लड़के को उठाया, और जिस दीपचन्द के मकान पर सूरजभान रखा गया था, उसी दीपचन्द को तलाश करने के लिए कहा जाता है....

श्री सभापति—डिटेल में न जायें तो अच्छा है ।

श्री भैंरूसिंह—५० हजार और लड़के के उठाने का मामला है उसमें अगर डिटेल में नहीं जाऊंगा तो किसमें जाऊंगा।

इसीलिये उसी दीपचन्द को इत्तिला दी जाती है कि तुम तलाश करो और पुलिस सारी की सारी उस दीपचन्द के साथ जाती है और कहा जाता है कि पता नहीं लगा....

श्री जसवन्तसिंह—वह दीपचन्द क्या मुलाजिम है सरकार का ?

श्री भैंरूसिंह—सरकार का मुलाजिम नहीं है, लेकिन डाकुओं का प्रेसीडेन्ट है, कॉंग्रेस लीडर है...

एक आवाज—तहसील कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट है।

श्री भैंरूसिंह—मुझे तो जानकारी नहीं है। तहसील कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट इस तरह की हरकत करे, लेकिन अगर करता है तो कोई ताज्जुब नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जिस चीज को साबित करने को तैयार होते हैं, जनता जिस चीज की मांग करती है, जिस चीज में सरकार समझती है कि बुरा असर पड़ता है, हम उन चीजों को समाप्त नहीं कर रहे हैं। जो बलिया ग्राम में सैताना जाट की हत्या, लड़के का उठाया जाना और मतदाता सूचियों के छापने का काम; ये तीनों चीजे ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध मन्त्रियों से है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाय तो क्या मन्त्री महोदय यह आशा करते हैं कि कलेक्टर इमानदारी से काम करेंगे, तहसीलदार इमानदारी से काम करेंगे ? एस. डी. ओ. इमानदारी से काम करेंगे ? बड़े बड़े चले जाते है, बड़े बड़े आते हैं और बड़ों के साथ साथ में छोटों को फंसाना चाहते हैं। आपने एन्टी करपशन बोर्ड बनाया, आपने एन्टी करपशन कमेटीज़ कायम की हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट को उठा कर देखेगे तो उसमें किसी पटवारी को फंसाया है, किसी स्कूल के अध्यापक को फंसाया है, किसी एस. डी. ओ. के एक २० रू० माहवार पाने वाले क्लर्क को फंसाया है। बड़े २ पत्थरों को पूछिये। देवता कोई मानते हों, मैं नहीं मानता हूँ। उनकी जांच करिये। जयपुर शहर में जाकर देखिये कि आपने जो कुछ बंगले बनाये हैं वह पैदा कहां से किया है ? जिन्होंने केवल असेम्बली के मेम्बर होने के बाद, मिनिस्टर होने के बाद, एक तरफ तो वे कहते हैं कि हमारी तनख्वाह कम है दूसरी तरफ मकान बनाते हैं ५०–५० हजार के, तो आपके ये मकान कहां से आ गये ? जिनकी असेम्बली के मेम्बर होने से पहले आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी, मेम्बर होने के बाद में क्या कहीं से बीमा आ गया या उन्होंने सट्टा किया था ? कांग्रेस और गांधीजी के चेले सट्टा करते नहीं है, बीमा उनका है नहीं; लेकिन मकान कहां से बन गया ? इसकी जांच करानी चाहिए। सरकारी कर्मचारी देखते हैं कि बड़े बड़े देवता जब रिश्वत खाते हैं तो हम भी क्यों न खायें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मकान तो कारीगरों ने बनाया है।

श्री भैंरूसिंह—लेकिन पैसा तो आपने लगाया है।

कल मुझे ताज्जुब हुआ कि जोधपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने एक मन्त्री के खिलाफ ट्रेक्टर को काम में लेने का इल्जाम लगाया और ट्रेक्टर का फोटो भी पेश किया। मैं तो कह सकता हूँ कि हमारे मन्त्रियों में इतनी शर्म होनी चाहिये कि जिस व्यक्ति ने कुसूर किया है तो कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट का काम होना चाहिए था कि उसको कांग्रेस से निकाल दिया जाय, लेकिन दोनों मौन हैं। खुद के पैर बन्धे हुए हैं, इसलिए दोनों मौन हैं।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—आगे भी मौन रहेंगे।

श्री भैंरूसिंह—मौन रहें तो उनकी मर्जी है, लेकिन मौन रहने से काम नहीं चलेगा। दुनिया मौन नहीं रहने देगी, दुनिया आगे बढ़ रही है। माननीय सभापतिजी, अभी २ एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि तहसील दातां रामगढ़ में एक नायब तहसीलदार थे। उन नायब तहसीलदार को डेवलमेंट स्कीम्स का रुपया बांटने का चार्ज दिया गया। यह गांव में रुपया बांटने के लिये गये। उन्होंने गांव वालों से कहा कि आधी किश्त का रुपया आज ले जावो और आधी किश्त के रुपये पर दस्खत कर जाओ, यह रुपया बाद में मिलेगा। खजाने से रुपया ले लिया पूरा, और किश्त की गांव वालों से रसीद ले ली पूरी। किसी से दो हजार की रसीद ले ली और एक हजार रुपया दिया और कहा कि आधा रुपया जिस वक्त काम शुरू करोगे तो उस वक्त बाकी का रुपया तुम्हे मिल जायगा। गांव वाले धौखे में आ गये। किसी को कुए की जरूरत थी, किसी को स्कूल के निर्माण की जरूरत थी, किसी को स्कूल के मरम्मत कराने की आवश्यकता थी और किसी को किसी काम के लिए रुपये की आवश्यकता थी। आधा रुपया ले लिया और बाकी रुपये की पूरी रसीद दे दी। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों को दो महीने के बाद पता लगा तो उन्होंने कहा कि रसीद हमारे से ली है वह बिल्कुल धोखा देकर ली है। खजाने से उन्होंने पूरा रुपया उठाया है लेकिन किसी को आधा रुपय दो सौ, किसी को पांच सो कम दे दिये। इस तरह से ११००) रु० खा गये। लोगों ने शिकायत की डेवलपमेंट कमिश्नर के पास, उन्होंने शिकायत की रेवेन्यू कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास शिकायत की, लेकिन उस शिकायत पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और नायब तहसीलदार को वहां से ट्रांन्सफर होने के बाद प्रमोशन मिला। उसने ११०० रु० खाये तो उसको प्रमोशन मिला, अगर वह दो, तीन हजार खाने वाला होता तो शायद एस. डी. एम. बन जाता। ११०० रु० तहसीलदार के काम की फीस होती है। एस.डी.ओ. के लिए ज्यादा देता तो निश्चित रूपसे एस.डी.ओ. बन कर रहता। उस पर एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वह कहा करता था कि मैंने बड़े २ काम करवाये हैं, यह तो मामूली सी बात है। मैं छोटे छोटे कामों के लिए, ऐसी बातों के लिए ध्यान नहीं देता। मैं खुद कहता हूँ कि कितना जबरदस्त अन्याय है। मालपुरा के दफ्तर में १४४ सेटिलमेंट की फाइलें जला दी गई हैं। क्यों जलाई गई हैं? कहीं पर वकालत नामा नहीं दिया गया था, किसी के अन्दर लोगों से यह कहा गया था कि तुम्हारे मामले को तहसीलदार के पास भेज दिया गया है, तुम्हारा मामला सेटिलमेंट कमिश्नर के पास भेज दिया गया है; यह उनकी जबान से कहा

[श्री भैंरूसिंह]

गया है। ऐसी १४४ फाइलें इकट्ठी की हुई थीं वे सारी की सारी मालपुरा के एक आदमी ने जला दीं। इसमें एक मोका था कि एक सेटिलमेंट का इन्सपेक्टर कुए में पड़ कर मर गया। उधर इन्सपेक्टर मरा जिस वक्त कि फाइलें जलाने का काम था। बहुत बढ़िया मौका था। कह दिया गया कि फाइलों में आग लगा कर कुए में गिर गया। फाइलों के आग लगाने में वह कई दिनों से इन्तजार में था और कोई तरीके से करता। जिस तरह एक जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि दराज के अन्दर फॉसफोरेस डाल लें। तो सारे कागजात को जला दिया गया है। एक इन्सपेक्टर तालाब में मर गया तो उसका कारण क्या है? क्यों मरा है? हमने जांच की तो पता लगा कि सारी की सारी फाइलें जला दी है इसलिए मरा। लेकिन फिर लोगों ने जांच की तो फाइलें जला देता तो कुए में क्यों जाता मरने। मरने के बाद क्या उस पर एन्टीकरपशन बोर्ड बैठा देते, उसके प्रमोशन में किसी प्रकार की बाधा आती? यह चीज नहीं थी। एक तरफ तो वह मरता है लेकिन दूसरा आदमी उससे फायदा उठाता है। लोग कहते हैं जला डाली और एन्क्वायरी करने के बाद चालान हुआ होता उससे आदमी मर गया। आदमी नहीं चलायेगा तो मरेगा क्यों? मरे भले ही लेकिन जलायेगा नहीं। यह जलाया गया है किसी बड़े आदमी के इशारे से और बदनाम होता है वह। यह होता है कि बड़े आदमियों की रक्षा करने में छोटे आदमियों का बलिदान होता है। वह बड़े आदमी की रक्षा थी। बड़े आदमी की रक्षा के लिए छोटे आदमी को तालाब में मरना पड़ा। वह तालाब में ही नहीं मरा, मगर उस वेचारे की मृतात्मा पर यह इल्जाम लगाया गया कि उसने १४४ फाइलें जला दीं। लेकिन इसका होना जाना कुछ नहीं, इन्क्वायरी हुई, कतई बात नहीं हुई। अब माननीय चेयरमेन जो कुछ बात कही है...

श्री सभापति——समय थोड़ा है।

श्री भैंरूसिंह—(वि० स० १६)—इसीलिये मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सरकारी मुलाजिमों पर ही केवल ध्यान न देकर जिनको हम राजनैतिक पीड़ित या राजनैतिक धुरन्धर कहते हैं उनसे भी भ्रष्टाचार को बचाया जाय और उसके लिये एक ही तरीका है। आज यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आती है कि उसने तकावी में या और किसी मामले में रिश्वत खाई या भ्रष्टाचार किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम तुरन्त उठाना चाहिये और उसमें यह ख्याल छोड़ देना चाहिये कि वह कांग्रेस का सदस्य है या राजनैतिक धुरन्धर है। रिश्वत केवल सरकारी मुलाजिम ही नहीं लेते हैं, लेकिन ये लोग उनको रिश्वत देते हैं, दिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। यदि ये लोग रिश्वत नहीं लेंगे तो सरकारी मुलाजिम भी नहीं लेंगे। लेकिन जो लोग रिश्वत लेने वाले सरकारी मुलाजिमों की शिकायत कर सकते हैं वे स्वयं उनसे दबे हुए होते हैं क्योंकि वे स्वयं भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मेद की जाय कि वे गांव, कस्बा या तहसील के लोगों का भला कर सकेंगे और मुलाजिमों को सही रास्ते पर ला सकेंगे हमें यदि राजनैतिक स्तर को ऊंचा उठाना है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, तो

[श्री भैंरूसिंह]

तो हमें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम लोग अपने चरित्र को ऊंचा बनायेंगे। जितना हम लोग चरित्र ऊंचा बनायेंगे उतना ही सरकारी मुलाजिम भी बनायेंगे ।

एम्बेज़लमेंट के केसेज हमारे सामने आये, एक नहीं, बल्कि १ जनवरी, सन् १९५५ को १४३ केसेज़ ऐसे पेन्डिंग थे, जिनमें ८ लाख ६८ हजार रुपयों का एम्बेज़लमेन्ट हुआ है । सन् १९५० से पहले के मुकद्दमें अब तक चल रहे हैं, उनका अब तक फैसला नहीं हुआ है। जितने ऐसे केसेज़ होते हैं वे सब सरकारी अधिकारियों की असावधानी के कारण हुए हैं । सरकार को चाहिये कि उन लोगों को सजा दे। लेकिन उनको सजा नहीं दी जाती। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि जनता और जनता के प्रतिनिधि अपने अपने चरित्र को ठीक करें; फिर जनता के मनोनीत जो सरकारी अधिकारी हैं उनको कहें कि यदि भ्रष्टाचार पनपाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। यदि इस प्रकार का रूख हमने अपनाया, राजनैतिक धुरन्धरों ने अपनाया तो सरकारी अधिकारियों की हिम्मत नहीं होगी कि वे रिश्वत ले सकें।

(कुं० श्री जसवन्त सिंह और अन्य कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री **सभापति**—श्री जसवन्तसिंह बोलें।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—On a point of explanation, Sir, I have to say a few words.

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**—He should be allowed first because his name was mentioned in the House in his absence.

श्री **नाथूराम मिर्धा**—सदन में अभी कुछ बातें कही गई हैं, जिनमें मेरा नाम जोड़ा गया है, इसलिये उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री **चेयरमेन**—अच्छा कहिये।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—माननीय चेयरमेन, इस सदन में मैं कुछ देर के लिये मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे पता लगा है कि कुछ बातों से मेरा संबंध जोड़ा गया है। वे बातें यहां क्यों कही गईं, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन भ्रष्टाचार पर बोलते हुए यह कहा गया कि बलाया नामक गांव में शैताना नाम के एक आदमी को कत्ल कर दिया गया और उसको कत्ल करने से पहले वे लोग मेरे से मिल लिये थे। ऐसी बातें एक माननीय सदस्य ने यहां कही कोई सदस्य सदन में जिस गैर जिम्मेदारी से भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी कहने का हक है........

श्री भैरूंसिंह—कोई गैर जिम्मेदारी से इन्कार करे तो भी उनको रोका नहीं जा सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा—यहां वे जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं, क्योंकि न तो उनको जानकारी है, न जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है। असल फेक्ट्स में पेश करता हूँ। बलाया नागौर तहसील में एक गांव है जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जाटों की है और उनके आपस में दो पार्टीज़ हैं जो आज से २५ साल पहले से चल रही हैं। शैताना उनमें से एक पार्टी का लीडर था? दूसरी तरफ भी बहुत से आदमी थे, मैं उनमें से किसी का नाम नहीं जानता। शैताना को मैं जानता था। वह काम-काज में हमेशा मेरी इमदाद करता था, मैंने भी उसकी कई बार इमदाद की थी। इन दोनों पार्टीज़ के आपस में मुकद्में २५-३० हर साल होना सुनता आया हूँ। मैंने कई बार उन लोगों को आपस में समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। दो साल पहले शैताना की पार्टी में दो-तीन घर ही रह गये थे। जब उसकी पार्टी कमजोर हो गई तो एक रोज जब वह जंगल में जा रहा था तो वहां उसको मार दिया। उसके मरने के चार रोज बाद मुझे पता चला कि शैताना को कत्ल कर दिया गया है। उससे पहले होस्पिटल में जाने-आने या लीगल कार्यवाही होने का मुझे कोई ख्याल नहीं है। दोनों ही पार्टीज मेरे लिये बराबर थी। इस मामले में एक्यूज्ड गिरफ्तार हो चुके हैं। जो कानूनी कार्यवाही हो रही है उसमें मैंने कभी दिलचस्पी नहीं ली और न मुझे दिलचस्पी लेने की जरूरत ही है। उनमें पुराना बैर चला आ रहा था। मैंने समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। इस तरह की बे-बुनियादी बातें सदन में कहना उचित नहीं है क्योंकि जो बातें यहां कही जाती हैं उनकी कोई इन्क्वयारी नहीं होती, इस लिये जैसी मन में आई वैसी बातें कह देना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये। भ्रष्टाचार के रूप में किसी बात को लाकर किसी पर आक्षेप करना सदन के सदस्यों को शोभा नहीं देता।

श्री भैरूंसिंह—इस बारे में यदि माननीय सदस्य तैयार हैं तो गृह मंत्रीजी मेरा चेलेन्ज स्वीकार करें।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष—Order please !

श्री जसवन्तसिंह—उपाध्यक्ष महोदय...

श्री गोपीलाल यादव—चेलेन्ज एक्सेप्ट कर लेना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—गृह मंत्रीजी को चेलेन्ज मंजूर कर लेना चाहिये। यदि मेरा इससे सम्बन्ध साबित हुआ तो जो सजा तजबीज करेंगे वह मैं भुगतने को तैयार हूँ, नहीं तो झूठी बातें करने वाले को सजा होनी चाहिये। माननीय सदस्य जिनसे चाहें उनसे इन्क्वायरी करा लें।

श्री जसवन्तसिंह—whatever the Commission of enquiry he suggests, that should be accepted.

श्री नाथूराम मिर्धा—Yes, Sir.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Then it is a very good suggestion indeed.

श्री मथुरादास माथुर—इस बारे में मैं भी कुछ सुझाव रखता हूँ, क्योंकि मेरा नागौर डिस्ट्रिक्ट से संबंध है। मैं नागौर कांग्रेस का सदर हूँ। इस नाते से मैं कहता हूँ कि माननीय सदस्य सदन के बाहर इस प्रकार का आरोप लगावें ताकि अदालत के सामने इसका फैसला हो जायगा। यदि बात सच्ची है तो इनको सजा मिल जायगी, नहीं तो डिफेमेशन का दावा आपके खिलाफ हो जायगा, यह झगड़ा इस तरह से खत्म हो जाता है। जिस मामले की चर्चा चली है उसका कोई पोलिटिकल पार्टीज़ से संबंध नहीं है। वे पार्टीज़ पोलोटिकल आधार पर नहीं थीं। दोनों ही एक ही कौम के थे और उनकी कौम में दो धड़े थे और उन धड़ों के बीच में झगड़ा था। एक पार्टी वालों ने दूसरी पार्टी के आदमी को कत्ल कर दिया। जिन माननीय सदस्य ने यहां बातें कहीं उनको पूरा इल्म नहीं है, न उन्होंने इसकी इन्क्वायरी की है। मैं जानता हूँ कि एक-दो दिन के लिए वे नागोर में आये थे, अपने दोस्तों के यहां ठहरे थे। वे इस गांव में इन्क्वायरी करने नहीं गये। वे किसके इशारे पर चलते हैं, बोलते हैं यह मैं जानता हूँ क्योंकि आप यहां कुछ भी कह सकते हैं। जो कुछ कहेंगे उसके लिए आपकी जबाबदारी नहीं है, इसलिये आपने जैसा चाहा कह दिया। यहां आप प्रोटेक्टेड है। सदन के बाहर आप कह दें कि इन्होंने कत्ल करवाया या उनका इसमें हाथ था तो आपको सत्य का पता अदालत से लग जायगा।

दूसरी बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब क्यों चेलेन्ज को मन्जूर करें? अदालत में मुकद्दमा चल रहा है, उसमें इनका कहीं नाम नहीं है। मुल्जिम गिरफ्तार हो चुके हैं और कानूनी कार्यवाही हो रही है और उसमें कहीं उनका नाम नहीं है, फिर उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत में चलता है तो अदालत कोशिश करेगी, होम मिनिस्टर साहब क्या कर सकते हैं? मैं बड़े अदब से आपको यह निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ चलिये....

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपके साथ चलने से गवाह डर जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर—मैं एक बड़ी जवाबदार संस्था, जवाबदार के नाते कहता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी साथ चल सकते हैं, वे भी ओरीजिनली वहीं के रहने वाले हैं...

कुं० श्री जसवन्त सिंह—मुझे तो माफ करिये बाबा, मुझे भी मरवा दें तो मैं क्या करूं।....

श्री मथुरादास माथुर—और किसी को साथ ले लें, एच. के. व्यास को साथ ले लें, गवर्नमेंट का जो वर्स्ट से वर्स्ट अपोनेन्ट हो सकता है, उसको साथ ले लें।

जीप कार और खाने खर्चे का मैं इन्तजाम करूंगा।

श्री भैरोसिंह (दांता रामगढ़)—मुझे आपका यह चेलेन्ज स्वीकार है।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, एक बहुत जरूरी सवाल है; वह यह है कि ठीक इसी प्रकार का सवाल श्री मथुरादासजी के बारे में आया था और बहस हुई। उस बहस के दौरान में कहा गया कि कोई भी आदमी इस तरह की चीज कह कर किसी मेम्बर को बदनाम करे तो सदन के मेम्बर्स के प्रिविलेज क्या हैं, तो क्या चेअर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी।

मैं यह कहता हूँ कि यह चीज सही नजर आती है तो प्रोसीजर है उसके माफिक चलें। इस चीज को लिख कर हाउस के स्पीकर को दें, हाउस के नेता से पूछें। बगैर इस प्रोसीजर को एडोप्ट किये चाहा जिसको डिस्कस किया जाय और कह दें कि फलां ने यह कत्ल किया, तो माननीय उपाध्यक्ष, क्या इन चीजों को आप कभी बन्द नहीं करेंगे? हाउस के मेम्बर के प्रिविलेज का प्रश्न है, आप खुद इसको प्रीविलेज कमेटी को दे दें। इस तरह की चीजें कब तक चलती रहेंगी?...

श्री भैरोसिंह (दांता रामगढ़)—जब तक इस तरह के काम चलते रहेंगे तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी।

श्री गोपीलाल यादव—अगर किसी मेम्बर के खिलाफ ऐसी चीज हैं तो प्रोसीजर के अनुसार चलें, स्पीकर को लिखकर दें, सदन के नेता से पूछें। पर चूंकि हाउस में कुछ भी कहें, उस पर केस नहीं चलाया जा सकता, इस ख्याल से किसी मेम्बर के खिलाफ हाउस में कोई बात कही जायगी तो वह गलत चीज होगी। आप हाउस के स्पीकर को लिख कर दीजिये, हाउस के नेता को दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह जो श्री गोपीलाल जी का एतराज है वह ठीक है क्योंकि इस प्रकार एक दूसरे के खिलाफ चार्ज लगाने से तो फिर हाउस को कार्यवाही तो कुछ भी होगी नहीं, यही चलेगा कि कौन खराब है, कौन बुरा है, चार्ज लगाये हैं वे सही है या गलत हैं; इस प्रकार प्राइवेट चार्ज लगाना ठीक नहीं। इस बात को बचाने के लिये वही तरीका रखा हुआ है।

एक माननीय सदस्य—प्राइवेट क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—जहां तक कोई खास बात असेम्बली में कहने की हो वही असेम्बली में आनी चाहिये, इस तरह की बातें कहने से आपस में वैमनस्य पैदा होता है और कोई लाभ नहीं होता।

श्री जसवन्तसिंह।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं किसी एक कार्यवश इतने दिनों तक सदन में नहीं आ सका और आज ज्योंही मैं सदन की फ्लोर पर पहुँचा तो हमेशा कि माफिक जैसी कि हमारी विधान सभा की परम्परा पड़ गई है बहुत दिलचस्प बहस सुनने को मिली । पहले तो मैं समझा कि या तो श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर बहस हो रही है या बजट पर जनरल डिबेट हो रही है । पर कुछ मित्रों से पूछने पर पता चला कि हमारे मित्र चांदमलजी मेहता ने कटौती का प्रस्ताव रखा है एन्टी करप्शन बोर्ड पर डिस्कस करने के बारे में, उस पर बहस हो रही है । जहां तक बहस का दायरा है, लिमिट बन जाती है पर इस पर इस किस्म के विषय सदन के सामने लाये गये हैं वाकई में वे इसके दायरे में नहीं आते और उनको सुन कर दुख भी हुआ । अन्त में उसने ऐसा रूप धारण कर लिया कि जो सदन में रात दिन आते हैं वे तो हमारी परम्परा से वाकफियत रखते हैं पर बाहर वालों को ताज्जुब जरूर होगा कि यह किस प्रकार की विधान सभा है और इसमें किस प्रकार के कार्य होते हैं । लेकिन इसके साथ हमें यह भी देखना है कि हमें डेमोक्रेसी को चलाना है तो ट्रेज़री बैंचेज़ की तरफ से अपना नैतिक स्तर इतना ऊंचा रखना पड़ेगा कि ओपोजिशन को उनके बरखिलाफ कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़े । इन जनरल रिमार्क्स को कह कर मैं अब अपने विषय पर दो चार शब्द कहना चाहूँगा ।

माननीय उपाध्यक्ष, मेरे आने से पहले कुछ माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के विषय पर कुछ बातें कहीं और उसके सिलसिले में मेरे एक पुराने मित्र ने इस भ्रष्टाचार के लपेटे में एन्टी करप्शन बोर्ड को भी ले लिया और सर्टिफिकेट भी दिया । मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मुझे कुछ मित्रों ने कहा तब मालूम हुआ । मैं आशा करता हूँ कि एन्टी करप्शन बोर्ड के अध्यक्ष जो होम मिनिस्टर साहब हैं वे उसका जवाब देंगे । भाग्य से या दुर्भाग्य से मैं भी एक मेम्बर हूँ और एन्टी करप्शन बोर्ड में अपनी पोजिशन ठीक करने के लिये कहूँगा, क्योंकि मैं भी उसका एक मेम्बर हूँ । मैंने नहीं सुना पर मेरे मित्रों से सुनने में आया है कि उन्होंने कहा कि एन्टी करप्शन बोर्ड खुद भ्रष्टाचार को बढ़ाता है और राज्य के मुलाजिमों को जिन पर कि भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया गया था उनको और खास तौर से इन्जीनियर लोगों को बहुत कम सजाएं एन्टी करप्शन बोर्ड ने दी हैं ।

इस मामले में माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन को अर्ज करूंगा कि एन्टी करप्शन बोर्ड के नियमों को देखेंगे तो मालूम होगा कि उसके नियम सीमित हैं और किसी के लिये कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया, उसने कोई रूपया लिया, मैंने या सदन के किसी माननीय सदस्य की आंखों के सामने भ्रष्टता करते देखा तो उसके नियम के मुताबिक इस केस को वह नहीं ले सकता । उसके नियम यहां तक बनाये गये हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने दस्तखतों से और एफीडेविट देकर अफसर के सामने राइटिंग में कम्प्लेन्ट करे कि अमुक राज्य कर्मचारी ने रूपये लिये, यह लिख कर दे तभी एन्टी करप्शन बोर्ड उसकी जांच कर सकता है । पर अगर कोई दन्तकथा के आधार पर, यह कहे कि फलां कर्मचारी ने रिश्वत ली है, बगैर राइटिंग में, दरख्वास्त दिये और यह कहे तो एन्टी करप्शन बोर्ड नियमों के माफिक कार्यवाही नहीं कर सकता । इससे यह साफ है कि किसी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वह किसी मन्त्री, सचिव या बड़े अधिकारी के विरूद्ध शिकायत करे या बड़े ऑफिसर या सेक्रेटरी या किसी हैड ऑफ डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत करे ।

श्री मानसिंह महार—आप इन्जीनियरों के मुतल्लिक रोशनी डालिये ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मामूली आदमी की हिम्मत नहीं होगी । अगर उसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो और वह त्यागी होकर यह कहने की हिम्मत करे कि सच्ची बात कहूँगा और किसी से न डरूंगा; जो कुछ होगा हो जावेगा उसी को हिम्मत पड़ेगी और वह कह सकेगा; नहीं तो मामूली तौर पर राइटिंग में दरख्वास्त देने में जोर आवेगा और ऐसे वगैर लिखित मामलों को एन्टी करप्शन बोर्ड ले नहीं सकता ।

श्री मानसिंह महार—ऐसे नपुन्सक बोर्ड में रहने से क्या फायदा होगा ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप अपने शब्दों में इसको नपुन्सक कह सकते हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि यह बोर्ड नपुन्सक है या नहीं, मगर आपने इस प्रकार कह कर सदन के सारे माननीय सदस्य हैं उनको नपुन्सक न करे ।

श्री मानसिंह महार—सदन नपुन्सक नहीं है ।

(घंटी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अब इन्जीनियरों का प्रश्न है इसके लिये अगर मेरे माननीय मित्र यह कहें कि किसी आदमी ने कसूर किया ही नहीं है, उस पर चार्ज भी नहीं है तो फिर उनके खिलाफ कैसे कार्यवाही की जावे ? माननीय सदस्य यह कह सकते हैं लेकिन जब तक मैं उस बोर्ड का नियत रूप से सदस्य इस प्रकार का अन्याय कभी नहीं होने दूंगा । अगर बेकसूर ओफिसर को जिसकी गल्ती नहीं है सजा दी जावे और एन्टीकरप्शन बोर्ड सजा दे तो वह नपुन्सक तभी होगा जब वह ऐसा करेगा ये मैं माननीय सदस्य के शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कहता हूँ वह नपुन्सक तभी होगा जब वह किसी निरापराधी को सजा देगा या अपनी चीप पोपुलेरिटी प्राप्त करने के लिये किसी की सिफारिश पर उसको सजा दी जावे; तो यह नपन्सक कहलाया जा सकता है । अब जहां तक इंजीनियरों का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो चार्ज लगाये हैं उसमें उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है । माननीय चैयरमेन, गवर्नमेंट ने एक भी इंजीनियर के खिलाफ करप्शन या भ्रष्टाचार या ब्राइबरी का चार्ज नही लगाया । गंगापुर स्कूल के मुतल्लिक उन पर रिटन चार्ज है; वह यह है कि उनका काम ठीक नहीं रहा जिसकी वजह से इमारत बराबार मरम्मत तलब हो जाती हैं, यह ठीक नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा-कौनसी ऐसी इमारत है जो ५ वर्ष के बाद मरम्मत तलब नहीं हो । इसके लिये गवर्नमेंट ने खुद ने भी उनके खिलाफ करप्शन का चार्ज नहीं लगाया और जब करप्शन का चार्ज नहीं है तो यह केस एन्टीकरप्शन के सामने नहीं आ सकता है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ड ओफ ओनर हर एक समाज और मनुष्य को निभाने का उनका कर्तव्य बन जाता है । अगर एक सरकार कोई कार्य करे और वही सर-

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

कार जब बदल जावे और उसके बाद सक्सेसर सरकार दूसरी जो आवे तो मैं यह जानना चाहूँगा कि जो कार्य पहले की सरकार कर चुकी है क्या दूसरी आने वाली सरकार को उसके कार्य को बदल देना चाहिये अगर ऐसा हुआ तो मैं यह कहूँगा कि यह दुनिया उथलपुथल हो जावेगी। डाकुओं और चोरों के बीच में भी कोड ओफ ओनर हुआ करता है। इसलिये अगर नई आई हुई सरकार उस पहले की सरकार के आदेशों को नहीं मानती है तो वह सरकार उसके योग्य नहीं। इंजीनियरों के पहले वेच के सम्बन्ध जब जयपुर सरकार थी उस समय के इंजीनियर, जिसका नाम जहां तक मुझे याद हैं मि० विंकलर था और जो आज के मौजूदा चीफ इंजीनियर को १५ साल तक काम सिखा सकता है। जब मि० विंक्लर ने जब गंगापुर स्कूल की शिकायत हुई इन्सपेक्शन करके उनको यह सर्टिफिकेट दिया कि सब काम अच्छी तरह से कायदे के माफिक हो गया है, तो फिर यह बादमें टंटा करने की की बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर अभी जयपुर राज्य होता तो नये चीफ इंजीनियर को यह मौका नहीं मिलता और मौजूदा चीफ इंजीनियर एगज़ीक्युट्य्व इंजीनियर से आगे जा नहीं सकते थे। वे कहते हैं कि काम खराब है। पोलिटीकल प्रेशर से कहते है कि गंगापुर स्कूल का काम खराब हैं और एन्टीकरप्शन बोर्ड से यह चाहते हैं कि वह इस मांमले को रीओपिन करें। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि उस समय के चीफ इंजीनियर और वहां उस समय के मिनिस्टर जो मैं कह सकता हूँ कि माननीय सदस्य के जो सुसर थे उन्होंने यह कह दिया था कि हमने एग्ज़ामिन कर लिया है और सब ठीक हो गया है। अब आप यह चांहते हैं कि उस मामले को वापिस खोलें और एन्टीकरप्शन बोर्ड उनको सजा दे। मैं माननीय सदस्य के शब्दों को दोहराते हुए यह कहूँगा कि उनके शब्दों में अगर उनको सजा दी जावेगी तो यह बोर्ड नपुंसक होगा। यह इंजीनियरों के बारे में कहा गया है।

अब जनरल डिबेट के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं खुद कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। मगर इस डेमोक्रेसी के युग में यह तो नहीं हो सकता कि जिस पर जरा शक हुआ सजा दे दी जावे। अगर ऐसा हो तो बड़े से बड़े आदमी को शक में पकड़ लिया जा सकता है लेकिन डेमोक्रेसी में जिसको सजा दें उनको मौका देना लाजमी होता है और खास तौर से गवर्नमेंट के मुलाजिमों को कहे कि वे निडर होकर काम करें और न्याय करें और फिर उन पर इस प्रकार का प्रेशर डाला जावे और एन्टीकरप्शन बोर्ड पर प्रेशर डाला जावे तो कौनसा ओफिसर वर्थ दी नेम या वर्थ साल्ट होगा जो इसको रोक सकेगा? मुझे दुख होता है कि अगर इस डेमोक्रेसी में ऐसा होता रहा तो न्याय नहीं होगा। हमने हमारी हाई कोर्ट को हमारे संविधान में इस प्रकार के अधिकार दिये हैं कि उस पर किसी प्रकार का प्रेशर न डाला जावे। इसके माने यह होंगे कि वे लोग निडर होकर काम करें और लोगों को न्याय दे सकें। इसी प्रकार हम हमारे ओफिसरों को जो न्याय करते है, जो अच्छे हैं उनको बचाना हमारा कर्तव्य है और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा देना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिये यह कहना कि 'Give the dog a bad name and hang him' यह तो ठीक नहीं है। जो लोग काम करते हैं उनसे गल्तियें होती हैं। मामूली गल्ती हुई और कहीं से प्रेशर पडा और यह कहें कि

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

एग्ज़ेम्पल सेट करने के लिये उसे सजा ठीक दो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरा वास्ता है, मैं ऐसी पोलिसी और कार्यवाही नहीं होने दूंगा। मुझे न तो एन्टीकरप्शन बोर्ड में रहने का शौक है न कोई व्यक्तिरूप से फायदा होता है। अगर हमें काम करना है तो कहीं पर करना है चाहे विधान सभा में करें, चाहें कहीं करें। जो काम करेंगे खुले आम करेंगे चाहे लड़ाई मोल लेना भी पड़े।

श्री मानसिंह अहार— बोर्ड ने उनको सजा दी है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वह तो बोर्ड की प्रोसीडिंग्ज़ से देखा जावेगा और उसका जवाब आपको माननीय होम मिनिस्टर देंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी फलीभूत हो तो बेगुनाह को सजा नहीं दी जावे।

भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों के बारे में दूसरे सदस्यों ने काफी कह दिया है और मैं समझता हूँ कि मुझे उस पर सदन का समय नहीं लेना चाहिये। मेरे खयाल से मैंने जो पोजिशन थी, साफ कर दी है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष,......

(घंटी)

मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बातें कहना चाहता हूँ और दो तीन मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा ; Not general debate, Sir, only two to three minutes will do, Sir. I think I will talk only about.........

जहां तक एन्टीकरप्शन बोर्ड के सिलसिले में माननीय सदस्य ने फरमाया बहुत स्पष्टीकरण था। लेकिन जो बातें १०, १५ दिनों में सवाई माधोपुर में गुजरी हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सवाई माधोपुर में अदालतों में जिनका सीधा सम्बन्ध जुडिशियरी और एग्जिक्युटिव से हैं, ऐसा नोटिस में आया कि भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है। वास्तव में हमारे माननीय मित्र और दूसरे सदस्य तत्परता से यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे मगर वास्तव में भ्रष्टाचार किस प्रकार फैला हुआ है उसकी दलीलों में न जाकर यह कहूँगा कि मैंने देखा जिम्मेदार अधिकारी हैं वे रीअल कल्प्रिट को मालूम करने के लिये तैयार रहते हैं मगर साथ में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मेरे १५ साल के बार के अनुभव के बाद यह देखा कि बार एसोसिएशन सवाई माधोपुर ने एक प्रस्ताव पास करके हाई कोर्ट व सरकार को भेजा है। जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार हैं और एग्ज़िक्युटिव भी इससे वंचित नहीं है, इसको रोका जावे। मेरे १५ साल के प्रोफेशन के जीवनकाल में देखा कि बार के वकीलों ने बहुत से मामले भ्रष्टाचार के बताये और उन्होंने सच्चाई से कहे। जो शिकायत की गई पता नहीं कि एन्टी करप्शन के डिपार्टमेंट के कौन से अधिकारी द्वारा वह सूचना

[श्री श्रीदास गोयल]

लीकेज हुई ? वे पहले ही सवाई माधोपुर उसकी लीपा पोती करने के लिये आकर उसकी कोशिश करते हैं।

तो मैं निवेदन करूं कि वास्तव में इस प्रकार की गैरजिम्मेदाराना कार्यवाही की जाय और एन्टीकरेप्शन बोर्ड के अन्दर से निकले तो एक दुखपूर्ण बात होगी।

एक पुलिस के जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा, अब तक यह हो गया था, वे खुद एक व्यक्ति से कन्विन्स होते जा रहे थे और उन्होंने कहा कि वे इस बात को बोर्ड के सामने रखेंगे और उस पर निर्णय करावेंगे। दस-पांच दिन गुजर गये। उस बात पर अर्ज करूं कि माननीय अध्यक्ष यह बोर्ड का हाथ नहीं लेकिन ऐसे मित्र का हाथ हो सकता है जो उस बोर्ड में बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, उन्होंने उस स्टेटमेन्ट को देखा है और उसके बाद लीकेज हो गया।

मैं इसके साथ ही अर्ज करूं कि अभी मेरिट्स और सोनियोरिटी का सवाल रखते हुए प्रोमोशन की बात कही गई। जहां तक मेरिट्स को देखने का सवाल है मैं निवेदन करूंगा कि मशीनरी लूली-लंगडी और अपाहिज है, कि सही तौर पर मेरिट्स का ख्याल ही नहीं कर पाती। सवाई माधोपुर के वनों के सम्बन्ध में बार बार कहा, एस. डी. ओ. ने जंगल कटवाड ले। ठेकेदार को लाखों रुपयों का फायदा पहुँच गया।

(घंटी)

एक-दो बात और अर्ज करना चाहता हूँ।

रुकावट डाली गई लेकिन जिन एस. डी. ओ, ने गड़बड़ी की उनको प्रोमोशन दिया गया उनको ए. डी. एम. बना दिया गया। आपने कहा कि फाइल पर पूरी तरह से सबूत वगैरह न आ, जाय तब तक कैसे भ्रष्टाचार माना जा सकता है। इसके लिए मैं निवेदन करूं कि गिल्टी कॉन्शियंस के लिए ललाट पर नहीं लिखा रहता है कि मैंने रिश्वत दी है। इसके लिए तो उनकी कार्य प्रणाली, कर्तव्यपरायणता से इन्फरेन्स निकालना होगा। आपने तो डिपार्टमेंटल बात कही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अदालत में भी यदि कोई आदमी कत्ल करके आता है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिये और अगर उसके पक्ष में सबूत नहीं तो भी अदालत को उसके विषय में निर्णय लेना पड़ता है। तो जो जो चीजें आप देखने लग गये और जो कि राजस्थान की प्रगति के लिए अत्यन्त बाधक हैं उन चीजों को सख्ती और तेजी के साथ मिटाना होगा और उसके लिए बोर्ड के मेम्बर साहेबान ने जो दलीलें दी हैंउ न दलीलों, लच्चर दलीलें भी हैं और उसके लिए मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि इससे तो भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं बल्कि उसको प्रोत्साहन मिलेगा। केन्द्र की ओर से दलालों तक को सजा देने का विचार किया जा रहा है, कानून बन रहे हैं, केन्द्र उसके लिए सतर्क है

[श्री श्रीदास गोयल]

और जागरुक हैं। तो मैं निवेदन करूं कि हमारे बोर्ड को और सरकार को अपनी समानान्तर शक्ति से इसको मिटाना चाहिए ।

अन्त में मैं यही बात कह कर कि भ्रष्टाचार में शिकायतें आवेंगी उनको केवल फाइलों पर ही न देखें, उनके लिए आपको इन्टरेन्सेज़ निकालना होगा और जो सही रास्ता हो उसको अख्तियार करना होगा। यू. पी. के अन्दर भी आई जी. पी, ने स्टाफ को लेकर इसको दूर करने का प्रयत्न किया, राजस्थान में भी नये आई. जी. पी. आ गये हैं और मैं महसूस करता हूँ कि सद्‌चरित्र आई. जी. पी. आ गये हैं; अतः मैं निवेदन करूं कि हमें शुद्ध वातावरण में आगे बढ़ना चाहिये।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष; बार बार घंटी बजा रहे हैं। घंटी यह बताती है कि भ्रष्टाचार का जो अंधियारा है वह साफ हो ।

कु० श्री जसवन्त सिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके पोइन्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। क्या आप एन्टीकरप्शन बोर्ड से यह चाहते हैं कि नियम को मानें या न मानें ? आप भी रूलिंग पार्टी के मेम्बर हो। आप यह कहें कि बोर्ड का दायरा नियमों के अन्दर न रहे, सीमित न रहे, जिस किसी की शिकायत हो उसी का केस ले लें और फिर उनको फुल लिमिट है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की । यह बात है दूसरी । लेकिन एक सरकार ने कानून बना दिया, रूल भी बना दिये गये तो क्या आप एन्टीकरप्शन बोर्ड से यह आशा करते हैं कि वह उन रूल्स से बाहर जाय ? जब कोई रूल है और कोई एन्टीकरप्शन बोर्ड का सदस्य है तो वे ओनर बाउन्ड हो जाते हैं कि वे उन रूल्स को मानें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष,.... ....

(घंटी)

मैं इसका उत्तर तो दे दूं। नियमों का पालन तो करें लेकिन......

श्री मानसिंह महार—यह एन्टीकरप्शन बोर्ड 'आन्टी' कब से बना ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे निहायत खुशी है कि हमारे सदन के सदस्य भ्रष्टाचार को हटाने के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं और आज काफी दिलचस्पी ली है। मैं यह चाहता हूँ कि अभी तक जो वे दिलचस्पी लेते रहे हैं उससे ज्यादा लें और इस तरह से लें कि वह क्रियात्मक रूप में हो और रचनात्मक रूप में हो ।

[श्री रामकिशोर व्यास]

जो भी यहां फरमाया गया, करप्शन जैसा कि वे समझते हैं, गवर्नमेंट चाहती है न हटे, मैं यह चाहता हूँ कि वह न हटे, तो ऐसी जो भावना है उसके लिए मैं निहायत नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि वे इस चीज को अपने दिमाग से बिलकुल निकाल दें। आप इसके लिये जितने उत्साही हैं उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम हम उसके बराबर तो हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

जो चीज आप इस सदन में फरमावें वह इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल फरमावें और जिस तरह से इस सदन में बोलना चाहिये उसके तरीके के अनुसार फरमावें, वे हमेशा ही स्वागतापूर्ण होंगी।

आप उन बातों को छोड़ दीजिये जो व्यक्तिगत हों। आपसी द्वेष भाव की हों, आप उन बातों को भी छोड़ दीजिए। जो ओफीसर्स यहां नहीं हैं, जो बातें प्रमाणित नहीं की जा सकतीं आप उनको भी छोड़ दीजिये। जो बातें आप फरमावें उनके सम्बन्ध में मैं आपको निहायत नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि प्रमाण हमें दें, हम उनकी तहकीकात करेंगे; फिर चाहे वह कितना ही बड़े से बड़े अफसर क्यों न हों..................

(करतल ध्वनि)

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि बड़े से बड़े अफसर के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी लेकिन उसके लिए प्रमाण आने चाहिये, मेटीरियल आना चाहिए।

श्री मानसिंह महार—पैसे कहां से लाये उनको देने के लिए।

श्री रामकिशोर व्यास—(जारी रखते हुए) मैं वह भी अर्ज करूंगा। इसमें किसी को झिझक नहीं होगी। अभी आपने जो एक एतराज एन्टीकरप्शन बोर्ड के बारे में उठाया उसके बारे में मैं यह मानने को तैयार हूँ कि करप्शन है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता और न पहले भी कभी मैंने किया। करप्शन होने का प्रमाण ही यह है कि एन्टीकरप्शन बोर्ड की स्थापना करना। इसी करप्शन को मिटाने के लिए इलाज सोचा जाता है और उसी लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के बनने के बाद करप्शन बढ़ा और बढ़ता चला गया। आम तौर पर जनरल वे में यह कहा जाता है इस तरह से उन्होंने केवल एक पक्ष ही देखा दूसरे पक्ष को उन्होंने गालिबन नजर अन्दाज ही किया। बोर्ड ने कुछ काम किये हैं वे आपको कुछ तो अखबारों के जरिये से भी मालूम हो चुके हैं। जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है इसमें ऐसा नहीं कि केवल छोटे ही केसेज हों। आज जो इस बोर्ड के सामने केसेज़ पेन्डिंग हैं उनमें आर. ए. एस. आर. पी. एस. और आई. ए. एस. तक के अधिकारियों के भी हैं......

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक्शन किसी के खिलाफ लिया गया है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—आप सजा को ही एक्शन मानते होंगे, हम दूसरी कार्यवाही को भी एक्शन मानते हैं ।

जैसा कि मैंने निवेदन किया जो, हमारी हायर सर्विसेज हैं उनके केसेज भी बोर्ड के सामने हैं । इसलिये यह समझना कि बोर्ड महज इसलिये है कि वे भी उसके सामने आयें, उसको सजा दे दें । मेरी तरह आप भी शायद इसको न्यायपूर्ण नहीं मानेंगे जैसा कि अपोजीशन के लीडर कुंवर जसवन्तसिंहजी भी इस चीज को मानते हैं कि बोर्ड के सामने जो भी मामले आयें चाहे कैसे भी अधिकारियों के हों जो वास्तव में सजा पाने का हकदार हैं उसको सजा मिलेगी और जो बेगुनाह हैं उनको बरी भी किया जा सकता है, यह बोर्ड के फरायज हैं । बोर्ड के सामने जो भी मामले आते हैं उनको वह मेरिट्स पर तय करते हैं । जो सजा पाने का मुस्तहक है उसको सजा मिलती है और जो बरी होने लायक है वह बरी हो जाता है । आप इस बात का विश्वास रखें कि बोर्ड इन मामलों में न किसी की सिफारिश की परवाह करता है और न किसी के उच्च अधिकारी होने की परवाह करता है; वह जो कुछ भी फैसला देता है ओन मेरिट्स देता है ।

अभी एक पर्टिकुलर केस के लिये रेफर किया गया । मैं उस बारे में निवेदन करूं कि स्थिति यह थी कि गंगापुर स्कूल के बारे में यह कहा जाता है कि उसमें हजारों रूपयों का भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन जब हमें यह मालूम हुआ कि उसका प्लास्टर उतर गया है, जब यह बात हमारे नोटिस में आई तो मैंने इसकी जांच करवाई । इसके बारे में जितनी एवीडेन्सेज अवेलेबल थीं ली गई । इसके लिये यह कहा जाना कि इसमें हजारों रुपयों की रिश्वत चली है । यह आठ साल पहले का किस्सा है उसके लिये यह संभव भी नहीं कि गवाहियां इकट्ठी कर सकें कि कितना कितना रूपया किस को दिया गया लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने था कि स्कूल की इमारत से पानी चूता है तो हमने इस बारे में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को लिखा, उन्होंने चार्ज शीट तैयार की; उसमें नेगलीजेन्स आदि आदि के चार्ज लगाये । एक्चुअल रीजल्ट हमारे सामने था । हमने नतीजा निकाल लिया और वहां काम करने वाले इन्जीनीयरों आदि पर नेगलीजेन्स का चार्ज लगा दिया और इस अपराध की जो सजा बोर्ड ने मुनासिब समझी वह उनको मिल गई । अब यह हो सकता है कि आपके ख्याल में वह सजा कम हो लेकिन बोर्ड ने इस सजा को मुनासिब समझा । जिस तरह का चार्ज उन पर था, जो मेटीरियल काम में लिया गया उससे जितनी सजा बोर्ड ने मुनासिब समझी उनको दी । इस केस में हमारे सामने नेट रिजल्ट था इसलिए हम सजा को तजवीज कर सके ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि एन्टीकरप्शन बोर्ड जब से बना है बड़ी दिल्चस्पी से काम कर रहा है । मैं इसकी एक मिसाल हाउस के सामने पेश करूं । अभी एक-दो महिने पहले की बात है एक मामले में एक धनी मानी सज्जन एक अधिकारी को रिश्वत देना चाहते थे, उनके कुछ दस्तावेजों के तबादले की बात थी । कुछ रुपया तय किया गया । उन अधिकारी ने कहा, अच्छी बात है । उस बात की उन अधिकारी ने हमारे विभाग को सूचना दी कि ये सज्जन मुझे रुपया देना चाहते हैं, हमने उनसे कहा आप जरूर मन्जूर करिये और हमने उनकी मदद के लिये एन्टी करप्शन विभाग के कुछ कर्मचारी भेज दिये । उनके साथ टाइम तय किया गया और उन्हीं

[श्री रामकिशोर व्यास]

ऑफिसर के मकान पर कुछ रुपया देना तय हुआ। जिनको रूपया देना था वे रूपये लेकर वहां गये। उन दोनों की उस अधिकारी के कमरे में बातचीत हुई। जब रुपया देने की बात आई और रुपया दिया जाने लगा तो उस अधिकारी ने कहा थोड़ी चाय तो पी लीजिये और यह कह कर उन्होंने चाय लाने के लिये आवाज दी। तो क्या होता है कि जो चाय लाता है वह एक औरत का वेश बनाकर हमारा फोटोग्राफर आता है, उसने उसी वक्त उसी हालत में उनकी फोटो खींच ली। तो उस तरह से उसका चालान हो जाता है। आज तक जितने भी केसेज़ आये वे इस तरह के आये हैं जिसमें रिश्वत ली गई है। यह इस तरह का केस है। जिसमें रिश्वत दी जा रही है और उस रिश्वत देने वाले का चालान किया गया है। उसके सम्बन्ध में कार्यवाही होगी। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जिनको जितना श्रेय हो मिलने का, उतना तो आपको देना चाहिये। यह कहना कि बोर्ड कुछ करता नहीं यह ठीक नहीं है। बोर्ड के कुछ नियम हैं उसका कुछ प्रोसीजर है उसी के अन्तर्गत वह कार्य करता है। अगर हम उसके अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं करते हैं तो यह एक प्रकार से उसके साथ अन्याय होगा।

जयपुर शहर के कई केसेज़ एन्टी करप्शन विभाग ने पकड़े हैं जिसमें रुपया लेते हुए लोग पकड़े गये। इसी तरह और भी कई जगहोंमें, कोटा, जोधपुर आदि में एन्टी करप्शन विभाग ने टिप लेते हुए पकड़ा है। लिहाजा यह कहना कि इस विभाग ने कुछ काम नहीं किया, इतनी ज्यादती तो इस विभाग के साथ आपको नहीं करनी चाहिये।

एक बात यह भी फरमाई गई कि रावत साहब मुझ से मिले थे और उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि मैं केसेज़ पकड़वा सकता हूं। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा ऋणि हूंगा, अगर आप एसे केसेज़ हमको दें। जिसमें आर० ए० एस० व आर० पी० एस के अधिकारी सम्मिलित हैं उनको पकड़वाने की बातें वे कर रहे थे। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने एक भी केस ऐसा नहीं बताया। आशा है आयन्दा भी अगर वे ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ऐसे मामलों को पकड़वाने की कोशिश की जायगी तो मैं उनका बहुत ऋणी हूँगा। मैं सदन को वह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि कितने ही बड़े और उच्च अधिकारी के मामले क्यों न हों हम उनके साथ किसी भी प्रकार की ढील नहीं करेंगे, उनको सजा देने में। लेकिन जो भी केसेज़ आये वे ठोस प्रूफ के साथ हों। आज तक उन्होंने एक भी मिसाल लाकर नहीं दी जिसमें किसी पर्टिकुलर एक्ट का जिक्र हो...

श्री मानसिंह महार:—पैसे का मामला है।

श्री रामकिशोर व्यास:—मैं अब उस पर आता हूँ। उन्होंने एक समस्या हमारे सामने रखी। उनका कहना है कि रिश्वत देने के लिये रुपया चाहिये और वह सरकार को देना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि सही बात यह है कि कोई आदमी अपने मुकदमें के लिये रिश्वत देता है या और किसी चीजके लिये देता है तो ऐसे आदमी को जो दूसरे को दे रहा है, ऐसे आदमी को पकड़वाना

[श्री रामकिशोर व्यास]

चाहिए। गवर्नमेंट हर आदमी को पकड़वाने के लिये रुपया तो दे नहीं सकती, वह बहुत ज्यादा बात होगी।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, गरीब आदमी रुपया दे नहीं सकता।

श्री रामकिशोर व्यास—वह तो वापिस मिल जाता है। रुपया रहता कहां है उसके पास ?

श्री मानसिंह महार—अगर देने की पोजीशन में होते तो फिर वे कभी नहीं कहेंगे कि फलां को दिया है।

श्री रामकिशोर व्यास—वह तो हिम्मत के साथ उनको कहना ही पड़ेगा और अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपको भी उसे इसके लिए कहना पड़ेगा, हिम्मत भी करनी पड़ेगी और स्पेसिफिक केसेज़ बरामद भी कराने पड़ेंगे।

फिर भी आपने जो सुझाव दिया है मैं जरूर इस पर, जहां तक सम्भव होगा विचार करूंगा और ऐसी रकम आइन्दा के बजट में रखवाने की कोशिश करूंगा।

इसके बाद एक बात सवाई माधोपुर के बारे में कही गई कि वहां एक रेजोल्यूशन पास किया गया। यह सही है। मैं भी चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मिटे। पर जैसा मैंने आपको कहा कि जनरल रेजोल्यूशन पास करने से हम कोई एक्शन ले नहीं सकते जब तक कोई स्पेसिफिक केस नहीं बतावें। बावजूद इसके भी मैंने कहा है, भ्रष्टाचार विभाग को कि वहां वे जावें और एन्क्वायरी करें और स्पेसिफिक केसेज़ का पता लगा सकते हों तो लगावें। इस बारे में ज्यादा डिटेल में जाना इस वक्त पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं होगा। पर फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार इस मामले में पूरी पूरी मदद करने को तैयार है, अगर आप स्पेसिफिक केस बतावें। तो इस पर जरूर कार्यवाही की जावेगी फिर चाहे वह किसी भी अफसर के खिलाफ हो। पर सुबूत पूरे होने चाहिये, नहीं तो अगर एक्शन ले लेते हैं तो कोर्ट ऑफ ला से वह एक्शन निरस्त किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को इतमीनन दिलाता हूं कि अगर सही स्पेसिफिक केसेज़ सुबूत सहित आप लावेंगे तो सरकार जरूर आपकी मदद करेगी।

कुछ बातें ऐसी कही गईं कि जिनका सम्बन्ध ज्यादा करप्शन से तो नहीं था, पर चूंकि उनको वे बातें कहनी थी इसलिए कह गये हैं। उन्होंने इसे समझा कि अच्छा मौका है यह कहने का; जैसे एक किसी जाट के कत्ल के बारे में। आज क्वेश्चन भी था इस बारे में। इसको बहुत महत्व दिया गया। मुझे अफसोस है कि सदन के सदस्यों के बारे में भी आरोप लगाये गये और इसको एक बड़ा राजनैतिक महत्व दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मर्डर के बारे में ही कहता हूं कि आज जब प्रश्न आया तभी इस प्रकार की बातें सुनी। इसके पहले इस कत्ल के पीछे कोई

[श्री रामकिशोर व्यास]

राजनैतिक महत्व रहा हो, यह मेरी जानकारी में नहीं आया। मैं फिर यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह से सदन के सदस्यों को मामूली मामूली बातों में इन्वोल्व करेंगे तो यह सदन की शोभा की बात नहीं है। आज आप एक सदस्य पर एक आरोप लगाते हैं तो आप समझिये कि दूसरों के भी जुबान होती है और इस तरह अगर सदन के १६० सदस्य एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर हम कहां पहुंच जावेंगे, इस पर आप स्वयं गौर करिये। अब ज्यादा अर्ज करना मैं नहीं चाहता। आपने इस बारे में जो चैलेंज दिया है उसे मैं मन्जूर करता हूं, मन्जूर करता हूं, मन्जूर करता हूं। और यह भी साफ तौर से कहता हूं कि इसमें फिर कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी इन्वोल्व क्यों न हो, एन्क्वायरी करने के बाद अगर साबित हो गया तो उसे अवश्यमेव सजा दी जावेगी।

("हियर हियर" की आवाज)

यह मैं आपको तसल्ली दिला देना चाहता हूं, पर झूठ-मूठ अनकन्फर्म्ड बातें न कहकर.........

श्री भैरूंसिंह—(वि सं० १६) आपके पास अनकन्फर्म्ड होगी।

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकता है।

श्री भैरूंसिंह—तो मैं भी तैयार हूं साबित कराने के लिए।

श्री रामकिशोर व्यास—ठीक है, ऑल राइट। यह केस सबजुडिस है और इसमें जो अब तक एविडेन्सेज़ आई हैं उनके अलावा आप अब और जो कुछ भी लावेंगे वे मुझे मन्जूर हैं; आप भी लाइये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम तो काफी हो गया।

श्री भैरूंसिंह—सूरजभान के लिए भी बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास—इसके बारे में पहले काफी कह चुका हूं, अब क्या कहूं ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह चेलेन्ज एक्सेप्ट किया आपने तो, इसको मैटीरियलाइज़ कैसे करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—तीन सजेशन श्री मथुरादास ने दिये हैं। या तो वे हाउस में यह लिख कर दे दें या बाहर मैदान में कह दें, फिर किसी के बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह--फिर तो हाउस के बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । जो चीज सदन में ही कही जा सकती है वह बाहर नहीं कही जा सकती । बहुत सी चीजें बाहर कही जा सकती हैं और सदन में कही जाने वाली बात तो यहीं कही जावेगी । अब जो चेलेन्ज एक्सेप्ट किया गया है उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा क्या कोई कमीशन बिठावेंगे या एन्क्वायरी कमेटी अपोइन्ट करेंगे, क्या करेंगे यह जरा स्पष्ट कर दें ।

श्री गोपीलाल यादव--पेश तो करें मेटीरियल । सदन को लिख कर दे दें और उस पर इन्क्वायरी करा देंगे ।

श्री कु० जसवन्तसिंह—मैं जानना चाहूंगा कि यह कैसे होगा ? सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कन्डक्ट ऑफ बिजनेस को मैने जहां तक देखा है वहां तक मैं कह सकता हूं कि उसमें तो ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं हैं । तो फिर वे किस तरह से लावेंगे । सदन के कुछ माननीय सदस्यों का खयाल है कि इसे एन्टी करप्शन बोर्ड को सौंप दें और अगर यह आशा की जाती है कि माननीय उपाध्यक्ष या अध्यक्ष नियमों के बाहर जाकर कुछ करें तो हम ऐसा कभी नहीं करने देंगे उनको और अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे ।

(हियर हियर)

वे अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्दर जो कार्यवाही कर सकते हैं वही कर सकते हैं और फिर कन्डक्ट ऑफ बिजनेस में ऐसी चीज को तय करने के बारे में कोई प्रोवीजन नहीं आया, जिससे कि यह कार्यवाही की जा सकती हो । पर जहां तक मैं समझता हूँ आपके चेलेन्ज को, उसमें मामले की एन्क्वायरी हो सकती है; चाहे सदन के मेम्बरों के कमीशन के द्वारा या और किन्हीं व्यक्तियों द्वारा इनमें से आप दोनों में से क्या करना चाहते हैं ? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो, नम्रता से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें कुछ नहीं कर सकते ।

श्री गोपीलाल यादव—इन्क्वायरी तो फिर हो ही रही है, ऑलरेडी ।

श्री रामकिशोर व्यास—रूल्स ऑफ प्रोसीजर को वायोलेट करने का कोई प्रश्न नहीं है । भाई गोपीलालजी ने एक सुझाव दिया था कि किसी मेम्बर ने अगर अपनी पोजीशन को एब्यूज किया है तो अगर यह हो सकता है तो वह देख लिया जावे और फिर रूल्स में फोलो नहीं होता है तो और कोई तरीका ले लिया जावे, लीडर को सौंप दिया जावे ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—फिर चेलेन्ज तो हवा में ही रह गया ।

श्री रामकिशोर व्यास—तो फिर तो आप या तो स्पीकर को दे दीजियेगा या लीडर ऑफ दी हाउस को दे दीजियेगा; फिर वे स्पेसिफिक एलीगेशन के सदस्य खिलाफ लावें ।

श्री गोपीलाल यादव—जब केस कोर्ट में चल रहा है, तो फिर यह सब सबजुडिस मामला हो जायगा।

कु ० श्री जसवन्तसिंह—फिर चेलेन्ज एक्सेप्ट करने का कोई प्रश्न नहीं। ऐसी ही बातें चलती रहेंगीं, करते रहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर—यह तो जैसा चैलेन्ज उनका था वैसा ही एक्सेप्ट हो गया। अगर कोई सुझाव होगा तो उस पर विचार किया जावेगा।

श्री भैरूंसिंह (१६)—प्रस्ताव भी आ जावेगा, सुबूत भी आ जावेंगे। आप चिन्ता न करें।

श्री उपाध्यक्ष—मांगों पर विचार किया जाय। श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यहां तो अब गिलोटिन लग जाता है। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो सदन में इसके बारे में जवाब दिया उसके बाद केवल आपको मुझे इतना ही कहना है कि परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है और जो अपनी धारणा प्रकट की है उसको तो हम सब मानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिये और सर्विसेज़ के बारे में बार बार ऐसी चीज आती है कि उनके सिलेक्शन में गड़बड़ियां हुईं; तो इस पर मेरा यही कहना है कि इसके लिए भी सबके रूल्स बने हुए हैं। सिलेक्शन बोर्ड में कोई चीज आती है तो उसे बड़े बड़े अफसर मिल कर करतें हैं। यह तो हुई आर. ए. एस, और आई. पी. एस. और आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के लिए, तो यूनियन पब्लिक सर्विस के सदस्य यहां आते हैं और उनके साथ यहां के उच्च अधिकारी गण मिल कर उनका सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह पूरे कायदों के अनुसार ही सिलेक्शन होता है। इसमें और किसी चीज की शंका वगैरह करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये।

श्री मानसिंह महार—क्या उनके सर्विस रेकार्ड भी उनके सामने पेश होते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सर्विस रेकॉर्ड पेश होते हैं सब उनके सामने।

श्री मानसिंह महार—वह रेकॉर्ड छिपाया गया है, इसकी जांच क्या करेगी सरकार?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस बात के लिए ऐसी दरख्वास्तें दी थीं, यह आपके कहने से मालूम हुआ। जो कुछ चीज थी वह बोर्ड के सामने आनी चाहिये थी। सूची उनकी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से आई है और इसकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मन्जूरी होगी। हमारे सिलेक्शन की चीज का यह दायरा ही नहीं है।

[श्री व्रजसुन्दर शर्मा]

यह आई. ए. एस. का सिलेक्शन है वह हमारे दायरे का नहीं है, वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे का है।

बाकी आपने फरमाया कि प्रोमोशन्स हो जाते हैं और प्रोमोशन्स मर्जी आये उस तरह से हो जाते हैं। तो उसका एक तरीका होता है कि एक आदमी का जो काम होता है उसके अफसर उसको देखते हैं, और अफसर देखने के बाद में काम की तारीफ करते हैं। गुण—अवगुण की वही लोग करते हैं जांच जो कि सुपीरियर ऑफिसर होते हैं। उस बारे में यह कहा गया है कि सरकार रेकार्ड बतायें; वह होते होते होता है जल्दी नहीं हो सकता है। जिसके खिलाफ कोई बात है वह सब बता दें, ऐसी चीज नहीं होती है। हरेक व्यक्ति को उचित अवसर मिलता है। हर व्यक्ति सीनियर रहता है। सदन में मैंने कहा था खुद ने कि आर. ए. एस. का सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ है...

श्री मानसिंह महार—क्या वह बात आपने गलत कही थी, इसका मतलब है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--उसके बाद में क्या; और उससे आज जिस प्रकार के भाषण जिस चीज के बारे में, एन्टी करपशन के बारे में कटौती प्रस्ताव के ऊपर जनरल डिसक्शन कर रहे हैं यदि यह प्रिसीडेन्स कायम करते जायेंगे तो कहीं खात्मा नहीं होगा। इस सारी चीज पर चार महीनें तक बहस चल सकती है। यह शुरूआत कर देते हैं कि अमुक ने रिश्वत ली उसके खिलाफ कुछ नहीं किया गया है। तो रिश्वत ली गई तो एन्क्वायरी के बाद यह नहीं हुआ। इस तरह से चार महीने....

श्री मानसिंह महार—अगर इस तरह करने से इम्प्रूवमेंट हो जाय तो क्या हर्ज है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-- मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में जैसी भावना आपकी है, जैसा कि गृह मंत्रीजी ने बताया हमारी भी इसी प्रकार की भावना है। करपशन को हम भी मिटाना चाहते हैं। लेकिन आज आप साहबान की जिस तरह की धारणा है अगर उसे ठीक तरह से काम में लायेंगे और जो सुझाव दिये हैं, जिनमें कई अच्छे सुझाव हैं लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से सुझाव चलते हैं उसके ऊपर मैं कहूँगा कि ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जो सुझाव ठीक हैं उन पर और एग्जामिन करके जो भी होगा कोशिश की जायगी। भ्रष्टाचार कम हो, इस बात से डिनाई कोई नहीं कर रहा है। तो उसे खत्म तो करना ही है। इन्हीं शब्दों पर हमारे लायक दोस्त विचार करेंगे और अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे।

श्री जसवन्तसिंह– (श्री मेहता से) नहीं साहब, वापिस मत लीजिये।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की आशा करता था (विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि) और उस घोषणा की आशा करता था जिसको हमारे केन्द्र के बड़े बड़े नेता कहते

[श्री चांदमल मेहता]

थे कि सीनियोरिटी शुड बी मेन्टेन्ड । लेकिन खेद की बात है कि जैसा कि केन्द्र के बड़े २ नेताओं ने इस बात को बहुत कहा है और घोषणा करते हैं वह सदन में सुनने को नहीं मिली । मैं यह नहीं समझा कि जब कि केन्द्र में सीनियोरिटी मेन्टेन की जा सकती है तो राजस्थान में कौनसी अड़चन आ सकती है । लेकिन मैं यह मानता हूँ कि शायद मंत्री महोदय इस के बारे में अधिकृत नहीं हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं । मुझको यह पूर्ण विश्वास है कि यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी मौजूद होते तो उन सारी बातों को सुनते जो कि मैंने बताई हैं कि किस तरह से इसमें सीनियोरिटी को नहीं मान कर किस तरह से पक्षपात किया गया है । तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस तरह की घोषणा करते । मैं मानता हूँ कि सरकार में इस तरह की विचारधारा रही होगी कि सीनियोरिटी का पूर्ण विचार किया जायगा और जिस तरह का पक्षपात अब तक रहा है वह नहीं रहेगा । यह मान कर चलता हूँ ।

दूसरी ओर मैंने निश्चित बातें कही थीं वे निश्चित माननीय गृह मंत्रीजी से संबंध रखती थीं । मैंने असेम्बली में भी सवाल उठाया था । उसके बारे में वे मौन हैं कि क्या कार्यवाही हुई । यह सब स्थिति देखने की बात है । हो सकता है कि वे मौजूद नहीं हों और उन्होंने सुना नहीं । वह अपराध मेरा नहीं है । मेरा इन्ट्रेस्ट उन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना था । मैं आज सुनना चाहता था कि उनको बार २ चेलेन्ज़ करने की नौबत नहीं आ सकती है । इसको नहीं सुनना चाहता था । जिसके बारे में रेकार्ड की जरूरत नहीं थी बल्कि सारी बातें उसके ध्यान में थीं । शायद मंत्री महोदय मौजूद नहीं थे या जानबूझकर उन्होंने उसको टाल दिया था । मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का आश्वासन माननीय गृह मंत्री महोदय ने दिया है उस आश्वासन के आधार पर चलेंगे और हमको यह मौका नहीं आना चाहिए कि एक, दो या तीन बार कहा, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो । इस आशा के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(विपक्ष की ओर से 'नो-नो' से जोर से आवाजें)

अनुमति दी जाती है ।

श्री जसवन्तसिंह—नो, सर । या तो माननीय सदस्य यह बतायें कि जिम्मेवरी से उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा या मखौल के वास्ते रखा ।

श्री मथुरादास माथुर—यह तो आपके समझने की बात है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—भाषण से जाहिर होता है कि इजाजत नहीं दी जाय ।

Page No.82

श्री मथुरादास माथुर—जो बादल गरजता है वह बरसता नहीं है ।

एक माननीय सदस्य—माननीय गृह मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है उससे संतोष नहीं है, फिर वापिस कैसे ले सकते हैं ?

(घंटी)

श्री रामकिशोर व्यास—हमारे दिलों में संतोष है, घबराइये नहीं ।

श्री सभापति—Ayes have it

श्री जसवन्तसिं—Noes have it, sir

श्री मथुरादास माथुर—Ayes have it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—भ्रष्टाचार के पक्ष में कौन २ हैं, इस पर मत हो जाय ।

श्री मथुरादास माथुर—It is for the first time that a Member wants to withdraw his cut-motion and the Leader of Opposition is insisting that......

श्री जसवन्तसिंह—We should see that corruption does not spread.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Exactly.

श्री मथुरादास माथुर—In which quarter ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—We should at least see that these votes are in favour of corruption and these votes are against.

श्री उपाध्यक्ष—क्या इजाजत नहीं देना चाह रहे हैं ?

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि जो डिमान्ड संख्या ४७ पर श्री चांदमल मेहता ने जो कटौती प्रस्ताव रखा उसके वापिस लेने की अनुमति मांगी है, उसकी इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

विथड्रॉ करने की इजाजत दी गई ।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरा कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४७, मेजर हेड २५-सामान्य प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को, २,००० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान स्वीकार हुआ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—अब आगे के लिए गुलेटिन काम में लाना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—एजेंट मिनिट पर गुलेटिन लगाया जाता है, ठीक साढ़ा बारह बजे लगाया जा सकता था।

श्री उपाध्यक्ष—कल क्वेश्चन ऑवर के बाद में गुलेटिन एप्लाई किया जायगा।

अब सदन की कार्यवाही कल दिनांक २. १२. ५५ को प्रातः ८. ३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तत्पश्चात सदन की कार्यवाही ८ बज कर ८ मिनट रात्रि को, शुक्रवार दिनांक २ दिसम्बर, १९५५ को प्रातः ८.३० बजे तक के लिये स्थगित की गई]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक- १ दिसम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

१. (६ एच. एम.)—श्री चांदमल मेहता (८७):—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

क. जयपुर जिले के किन २ पुलिस अधिकारियों के सन् ५४ के टी. ए. और डी. ए. बिलों का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है ?

ख. उक्त बिल कब से किनके पास पेंडिंग हैं ?

ग. सन् १६५५ के किस किस महीने के किन २ अधिकारियों के बिल अभी तक पास नहीं हुये हैं ?

उत्तर

क. जयपुर जिले के निम्नलिखित पुलिस कर्मचारियों का सन् १६५४ के टी. ए. बिलों का पेमेन्ट नहीं हुआ है:

१. श्री जगमालसिंह, सब इन्सपेक्टर। २. श्री अब्दुल गनी, हैड कान्सटेबिल। ३. थाना रूपनगढ़ के कान्सटेबिलों का बिल।

ख. श्री जगमाल सिंह का बिल, एस० पी०, जयपुर के कार्यालय में २०. १. ५५ को आया था परन्तु उसके साथ कोर्ट सर्टिफिकिट नहीं था। अतः यह लौटा दिया गया। यह लौटकर आया जब तक टाइम बार हो गया था। अब यह प्रीऑडिट के लिये अकाउन्टेन्ट जनरल के पास पेन्डिग है।

श्री अब्दुल गनी का बिल एस० पी०, जयपुर के कार्यालय में ता० ६. ६. ५४ को आया। इसके साथ भी ऐसा सर्टिफिकिट नहीं था। इसके आने जाने में यह भी टाइम बार हो गया। यह भी अब ए० जी० के पास पेन्डिग है।

रूपनगढ के कान्सिटेबिलों का यह बिल ता० २२. १०. ५४ को एस० पी के कार्यालय में आया। जनवरी, १६५५ में यह ट्रेज़री ऑफीसर के पास भेजा गया परन्तु उसने एतराज उठा दिया; जब तक इसका उतर दिया गया यह भी टाइम बार हो गया। अब या ए० जी० के पास पेन्डिग है।

ग. इस विषय की एक सूची सम्मिलित है।

S, No	No. and date of bill	Month	Amount	Place to which it contains	Ramarks,
1.	14286/31. 8. 55	June 55	15-2-0-	P. S. Sadar	S. I. of Police
2.	14025/22. 8. 55	May 55	14-12-0	P. S. Dudu	-do-
3.	13538/16. 8. 55	June 55	27-7-0	P. S. Pragpura	H. Cs.
4.	14673/5. 9. 55	June 55	54-2-0	P. S. Dausa	Consts.
5.	14878/7. 9. 55	June 55	22-2-0	S. P. Thuli	H. Cs.
6.	12655/29. 7. 55	June 55	30-0-0	P. I. Dausa	Consts.
7.	13607/17. 8. 55	June 55	12-15-0	P. S. J. Ramgarh	
8.	13608/17. 8. 55	June 55	7-14-0	-do-	Consts.
9.	13481/16. 8. 55	June 55	69-14-0	P. S. Chomu	H. Cs.
10.	13300/10. 8. 55	May 55	88-11-0	P. S. Dausa	S. I. of Police
11.	14880/7. 9. 55	May 55	17-0-0	P. S. J. Ramgarh	Consts.
12.	14674/5 9. 55	May 55.	25-10-	Dausa	Consts.
13.	14515/1. 9. 55	June 55	29-7-0	P. S. Kishan garh.	H. Cs.
14.	13022/4. 8. 55	June 55	17-9-0	Dy. S. P. Sadar	Consts.
15.	1309/4. 8. 55	June 55	4-8-0	-do-	,,
16.	13709/18. 8. 55	June 55	21-0-0	P. S. Ramganj	,,
17.	14516/1. 9. 55	June 55	42--8--0	P. S. Kishangarh	,,
18.	13709/29. 8, 55	June 55	64--11--0	P. S. Pragpura	S.I. of Police
19.	14232/25. 8. 55	June 55	43--10--0	P. S. Ramganj	S. I.
20.	13301/10. 8. 55	June 55	35--1--0	P. S. Dausa	H. Cs.
21.	14355/31. 8. 55	May 55	12--4--0	P. S Sadar	Consts.
22.	14350/,,	May 55	16--8--0	,,	,,
23.	14405/,,	June 55	11--0--0	Police Lines	H. Cs.
24.	14406/ ,,	June 55	55--7--0	,,	,,
25,	14354/ ,,	May 55	10--8--0	P. S. Sadar	Const.
26.	14035/22. 8. 55.	June 55	28-10-0	Dy. S. P. office Kishangarh	,,
27.	12613/31. 8. 55	Jnne 55	50--15--0	P. S. Phagi	H. C.
28.	14041/22. 8. 55	May &June 55	19--8--0	Dy. S. P. office Kishagarh	H. C'
29.	12234/20. 9. 55	June 55	7--4--0	Sarwar	,,
30.	13247/9. 8. 55	June 55	3--0--0	Police Lolice	S. I.
31.	13630/17. 8. 55	June 55	246--3--0	--do--	H. C. S.

S. No	No. and date of bill	Month	Amount	Place to which it contains	Remarks.
32.	13630/31. 8. 55	June 55	66--1--0	P. S. Ramgarh	H. C.
33.	14403/1. 9. 55	July 55	1002--0--0	Police Lines	Consts.
34.	13722/18. 8. 55	May 55	46-0--0	P. S. Dausa	Consts.
35.	13721/ ,,	June 55	21--11--0	Police Lines	H. C. S.
36.	13395/12. 8. 55	July 55	8--14--0	P. I. Office	Consts.
37.	14724/5. 9. 55	July 55	121--0--0	P. S- J, Ramgarh	,,
38.	12630/26.7.55	July 55	63-6--6	Police Lines	R. I. Jaipur.
39.	14722/5. 9. 55	July 55	47--0--0	P. S. Amber	Consts.
40.	14650/5. 9. 55	May, June, July 55	10--4--0	D. I. S.	Consts.
41.	12129/8. 8. 55	July 55	33--6--0	P. S. Cuidasji	S. I. of police
42.	12174/ ,,	July 55	93--0--0	,,	Consts.
43.	13294/10 8. 55	July 55	24--9--0	P. S. Dausa	H. C.
44,	13249/9- 8. 55	July 55	52--15--0	Police Lines	Police lines.
45.	14140/23- 8. 55	July 55	16--14--0	Police Lines (Recovery)	Consts.
46.	14139/23. 8. 55	July 55	26--2--0	Recovery Staff	H- C.
47.	14141/ "	July 55	16--0--6	"	Consts.
48.	13540/16. 8. 55	July 55	38--4--0	P. S- Bairath	H. C.
49.	13496/16. 8. 55	July 55	46--15--0	P. S. Amber	S. I.
50	1545/10. 8. 55	July 55	47--15--0	P. S- Chomu	H- C.
51.	13248/9. 8. 55	July 55	4--8--0	Police Lines	S. I.
52.	13455/10. 8. 55.	July 55	21--12--0	P. S. Chomu	S. I. of police.
53.	13647/18. 8. 55	July 55	115--0--0	P. S. Dogru	Consts.
54.	14044/22. 8- 55	July 55	13--8--0	A. P. Gaul	H. C-
55.	14038/22, 8. 55	July 55	47--1--0	Roopgarh	S. I.
56.	14039/22. 8.55	July 55	7--8--0	Kishangarh	H. C.
57.	14036/22.8. 55	July 55	117--0--0	Sarwar	H. C.
58.	14032/ "	,,	23--2--0	Sambhar	Consts.
59,	14030/ "	June & July 55	41--9--0	P. S. phulera	S. I.
60.	13245/9. 8.55	July 55	15--2--0	Police Lines	S. I.
61.	13246/ "	"	12--12--0	"	"
62.	13243/ "	June 55	86--1--0	"	"
63.	13969/22. 8. 55	April 55	43--0--0	P. S- Kishangarh	H. C.
64.	12125/8- 8. 55	July 55	54--6--0	Sambhar	H. C.
65.	31. 8.55	June 55	44--14--0	S. P.Office	S. I
66.	14522/1. 9. 55	July 55	30--8--0	P. S. R	H. C.

S. No.	No. and date of bill	Month	Amount	Place to which it contains	Remarks.
67.	13611/17. 8. 55	July 55	12--3--0	Sambhar	H. C
68.	14546/1. 9. 55	July 55	17--15--0	Bandiikui	S. I.
69.	13589/16. 8. 55	July 55	22--8--0	Bairath	H. C.
70.	/3. 9. 55	July 55	50--4--0	R. T. C	H. C.
71.	14395/31. 8. 55	July 55	16--2--0		
72.	14494/1. 9. 55	July 55	126--10--0	P. S. Chaksu	Consts.
73.	14400/31. 8. 55	July 55	31--8--0	P. T. S	S. I.
74.	132968/10. 8. 55	May 55	49--1--0		
75.	14043/22. 8. 55	May 55	51--13--0	P. S. Arain	S. I.
76.	13729/20. 8. 55	June 55	73--9--6	P. S. Dausa	S. I.
77.	13710/18. 8. 55	May 55	7--10--0	P. S. St. Circle	S. I.
78.	12495/26. 7. 55	May 55	18--9--0	P. S. Bajji	S. I.
79.	12360/26. 7. 55	May 55	33--9- 0	P. S. Kotputli	S. I.
80.	12262/20. 7. 55	May 55	176--14--0	Police Lines	H. C.
81.	12260/20. 7. 55	May 55	77--3--6	-do-	H. C.
82.	11711/11. 7. 55	May 55	16--2--0	P. S. Kotputli	H. C.
83.	1394/31. 8. 55	July 55	71--0--0	-do-	S. I.
84.	14885/7. 9. 55	July 55	14--8--0	Polic Lines	S. I.
85.	14888/7. 9. 55	July 55	15--8--0	-do-	S. I.
86.	14889/7. 9. 55	July 55	88--6--0	-do-	H. C.
87.	14954/7. 9. 55	July 55	33--8--0		
88.	11576/8. 7. 55	May 55	41--4--0	Sambhar	Consts.
89.	11733/11. 7.55	April & May 55	29-12-0	Phulera	Consts.
90.	15125/10. 9.55	August 55	28-10-0	Sambher	H. C.
91.	15126/10. 9.55	,,	31-11-0	,,	S. I.
92.	15124/ ,,	,,	159-3-0	Dudu	Consts.
93.	—/ 5. 9.55	,,	45-7-0	M. Chowk	H. C.
94.	—/ ,,	,,	97-3-0	R.T.C. Udaipur	S. I.

S. No.	No. and date of bill	Month	Amoun	Place to which it contains	Ramarks,
95.	14700/5. 9.55	August 55	34-10-0	P.S.Amber	S. I.
96,	14651/5. 9.55	,,	12-8-0	D.I.S.	S. I.
97,	14499/1. 9.55	,,	46-4-0	Police Lines	R. S. I.
98,	14882/7. 9.55	,,	30-2-0	P. S. Chomu	S. I.
99,	14883/7. 9.55	,,	32-5-0	Govindgarh	H. C.
100,	14884/7. 9.55	,,	18-4-0	Police Lines	S. I.